खण्ड-360, अंक-7
सोमवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(28 फरवरी, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 360 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1179–1183
प्रश्नोत्तर	1185–1276
प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न ..	1276–1278
भूतपूर्व सदस्य, श्री रामनाथ पाठक के निधन पर शोकोद्गार	
भूतपूर्व सदस्या, श्रीमती बृजरानी मिश्र के निधन पर शोकोद्गार	1278–1282
जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में चकबन्दी से संबंधित अभिलेख तथा नक्शे उपलब्ध न होने से किसानों में असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1282
प्रदेश में भिखारियों की बढ़ती हुई संख्या एवं उससे उत्पन्न समस्याओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1283
मिश्रिख (सीतापुर) थानान्तर्गत श्री कुबेर गिरि उर्फ त्यागी बाबा एवं उनके दो शिष्यों की हत्या एवं पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1283
आजमगढ़ में सड़कों एवं नालियों के टूटने एवं गंदगी के व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1284–1285
भूतपूर्व गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1285–1286
जिन्द (हरियाणा) के पुलिस अधीक्षक तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1286–1287
थाना किच्छा (नैनीताल) के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री मोहन सिंह खुन्नू के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय . ..	1287–1289
चम्बल घाटी के डाकुओं के आत्म समर्पण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच स्थित तनावपूर्ण वातावरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	1289–1292
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1982 (वापस लिया गया)	1292
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1292–1299

विषय			पृष्ठ–संख्या
1983–84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 8–कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15–गृहविभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17–गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23–नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24–नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25–नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36–प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37–प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55–विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65–सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69–सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70–सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79–सैनिक कल्याण विभाग	..	..	1299–1346
श्री मुख्तार अनीस, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री लटूरी सिंह एवं श्री रेवती रमण सिंह के दल परिवर्तन की सूचना			1346
उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन–कार्यक्रम की सूचना	..		
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	..	1346–1347
नत्थियां	..	..	1349–1376

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ म 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह का अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 345

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह बेठी, श्री (मेरठ)
अनवर खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रूखाबाद)
अबुल कलम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलूमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (ललू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर) (उर्फ सूत्तन भैया)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए० सी० ग्राइस, श्री नाम (निदशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश सिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश सिंहरिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल मुन्नू, श्री (लखनऊ)
कमला तिवारी, श्रीमती (कानपुर)
कमल देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती, (हरदोई)
कबेर भण्डारी, श्री (देवरया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिद, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरूल बशर, श्री (आजमगढ़)
खैराती हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)

गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ीगढ़वाल)
चन्द्र शेखर दिवेदी श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा श्री (पिथौरागढ़)
चेंतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोन्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नारायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव,, श्री (मैनपुरी)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बग्गर, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जियाराम शुक्ल 'निर्मल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुलतानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ रजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह बुन्देल, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परलाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्म प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परशुराम लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)

भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रतो राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे इश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)

राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम श्री (शाहजहांपुर)
रूल्ह सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
बुद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (झांसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायन तिवारी, श्री, (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकटा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमार, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)

सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरोशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 28 फरवरी, 1983

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न]

श्री जटा शंकर, श्री नारायण कृषि उ0 मा0 विद्यालय, बाबूगंज, उन्नाव की अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने की मांग

*1--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के अतारंकित प्रश्न संख्या-69 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान के लिए किन अधिकारियों द्वारा संस्तुति की गयी थी ? विद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने से पूर्व क्या कोई जांच कराई गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

संस्तुतियां प्राप्त नहीं की गयी थीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संस्थाओं को अनुदान सूची पर मान्यता तिथि के क्रम से लाने के लिये निदेशालय से क्रमानुसार सूची मांग कर उसी पर आधारित आदेश निर्गत किये गये थे ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर खैर देर से आया लेकिन जो उत्तर आया है वह भी अपने आप में रोचक है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं । सवाल यह है कि उन्नाव का एक स्कूल था जिसको ग्रान्ट-इन-एड की सूची में ले लिया गया था और बाद में पता चला कि वह स्कूल इक्जिस्ट नहीं करता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि निदेशालय की सूची में उसका नाम कैसे बना रहा और इंस्पेक्टर आफ स्कूल की सूची में उसका नाम कैसे बना रहा जबकि स्कूल था ही नहीं ? किस सन् में उसको मान्यता मिली थी और कब से खत्म कर दी गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, स्कूल का नाम था जटाशंकर, श्री नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।

श्री पंचानन राय--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट है कि इस पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन द्वारा कोई जांच कराई गई कि कौन लोग दोषी हैं जिन्होंने मान्यता समिति को भ्रमित करने की चेष्टा की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसमें भ्रष्टाचार की दूर से भी कोई छाया या गन्ध नहीं है । पूर्व निर्धारित नियमों को बदल करके 30-3-78 को एक राजाज्ञा प्रसारित हुई । शासनादेश द्वारा यह तय किया गया कि मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उनकी मान्यता के क्रम नुसार उनकी अर्हता/अनर्हता पर विचार किये बिना भी अनुदान सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा यह इसी के क्रमानुसार था । इसमें जिले के लेबल पर फिजिकल चेकिंग नहीं की गयी जिससे गलती से इसका नाम आ गया लेकिन मान्यता पहले से प्राप्त थी । सन् 74 से यह स्कूल बन्द था । लेकिन इसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं उठता । जो भी स्लिप हुई है, क्योंकि तुरन्त गलती पकड़ ली गयी और पेमेन्ट तुरन्त रोक दिया गया ।

श्री पंचानन राय -

शिक्षा विभाग किस तरह कार्य कर रहा है, इसका यह एक उदाहरण है । 75 में फैसला हुआ कि क्रमानुसार मान्यता दी जायेगी । ढाई सौ स्कूलों का 78 में निकला । उसमें ग्रान्ट में शामिल किया गया । 74 में बताया गया बन्द था । उसके बावजूद 78 तक बना रहा जबकि मैनेजर ने स्कूल में ताला लगा दिया और छात्र स्कूल के बाहर पढ़ते रहे....।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री पंचानन राय--

कुछ बता कर ही तो पूछूंगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो फंक्शनिंग का तरीका है शिक्षा विभाग का, मंत्री जी ने सिद्धान्त में स्वीकार कर लिया है कि 1974 से बन्द है, 1978 तक स्कूलों की सूची में था और उसको अनुदान दिया गया । साल भर हुआ फैसला किया गया कि स्कूल बन्द था । जो यह 4 साल तक सूची में बना रहा और उसको विद्यालय माना जाता रहा इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अनुदान दिया नहीं गया, सूची में इसका नाम अवश्य रहा । जो बैंक ड्राफ्ट दिया गया 18-7-78 को, 4-8-78 को डी0 आई0 ओ0 एस0 ने गलती पकड़ी और तुरन्त इसमें काम किया गया और बैंक ड्राफ्ट को कोष में जमा करने के आदेश हो गये 25-8-82 को । जो दूसरा प्रश्न है कि 1974 में स्कूल बन्द हो गया था और क्यों मान्यता सूची मे रह गया, इसके विषय में जांच करा ली जायेगी और दोषी व्यक्ति को सजा दी जायेगी ।

[सोमवार, 28 फरवरी, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद में नयी कक्षाएं खोलने की अनुमति

*1--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में जनपद फैजाबाद के किन-किन विद्यालयों को नयी कक्षाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गयी तथा

शासन ने विद्यालयों में अध्यापकों के नये पदों के सृजन पर रोक लगाने हेतु कोई शासनादेश जारी किया है ? यदि हां, तो नयी कक्षाएं खोलने की अनुमति जारी करने का क्या औचित्य था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा –

मान्यवर 23-9-82 को प्रश्न दिया गया और इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना इसी सचिवालय से लेनी थी । पता नहीं क्या सूचना एकत्र कर रही हैं । केवल सचिव से सूचना लेनी थी । मैंने पूछा था जनपद फैजाबाद के किन-किन विद्यालयों को नयी कक्षाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है तथा क्या शासन ने विद्यालयों में अध्यापकों के नये पदों के सृजन पर रोक लगाने हेतु कोई शासनादेश जारी किया है, इस मामले को टाला जा रहा है । मेरे पूरे जनपद में नयी कक्षायें खोल दी गईं और अध्यापक हैं नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई, इसमें आप हमें संरक्षण दें और इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शीघ्र ही सूचना एकत्र करके विधायक जी को दे दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैंने 301 की नोटिस दी थी इसी विषय पर और उसका उत्तर मुझे मिल गया है कि कोई रोक नहीं है । दुर्भाग्य से मैं उसे लेकर नहीं आया इस समय, उसमें बताया गया है कि कोई रोक नहीं है । इसमें डाइरेक्टर के बाबू, डिप्टी सेक्रेट्री के बाबू आदि हैं, जिनका झगड़ा है । जिसकी वजह से इन पदों पर सृजन नहीं हो रहा है । इसी सदन में सूचना दी गई कि रोक नहीं है तो मैं सूचना देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक साल में कोई पद सृजित नहीं किये गये । अगर रोक नहीं लगी है तो पिछले एक साल में कोई पद सृजित न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह तो बड़ा वृहत् है, पूरे प्रदेश के सम्बन्ध में है । एक प्रश्न पूंछें उसका उत्तर दिया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, शिक्षा विभाग से इसका गहरा सम्बन्ध है, इसका जवाब दिलवा दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि अगर कोई सूचना एकत्रित की जा रही है तो 15 दिन पर पुनः कार्य सूची में रखा जाएगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

एक वर्ष से मान्यवर, पदों पर रोक लगी है। अनेक विद्यालय नये खोले गये, अनेक विषय खोले गये, उनको पढ़ाने वाला कोई है नहीं परिणाम यह है कि पूरी जनता में इस बात की आशंका व्याप्त है कि हमारे लड़कों का भविष्य क्या होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्पष्ट आश्वासन दिला दें कि क्या यह सरकार ऐसे विद्यालयों में नियुक्त करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जहां अध्यापक नहीं हैं, नये सब्जेक्ट में मान्यता दी गयी है उनमें नियुक्ति का प्रयास हो रहा है। शीघ्र से शीघ्र किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

प्रयत्न से काम नहीं चलेगा। बात स्पष्ट होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी क्या मैंने आपका नाम लिया है, जो शोर मचा रहे हैं ?

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप व्यवस्था दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो केवल फैजाबाद से सम्बन्धित है।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, फैजाबाद से सम्बन्धित तो है। फिर भी पूरे प्रदेश का सम्बन्ध इससे बना हुआ है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से आश्वस्त कर दें कि जहां नये विद्यालय या विषय खोले गये हैं, वहां पद सृजन किया जायेगा। मान्यवर, शिक्षा मन्त्री के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। चार-चार आदेश चले जाते हैं, बी० एस० ए० तक इनके आदेश नहीं मानते।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

यह कोई उत्तर नहीं है कि प्रयत्न किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी की बात को कोई अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। यह प्रयास कर रही ह कब तक प्रयास करेंगी ?

(व्यवधान)

*2—श्री श्याम नरायन तिवारी, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री कुबेर भन्डारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही

*3—श्री विजय सिंह राना तथा श्री सन्त बक्स रावत—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के प्रधानाध्यापक ने वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी-2-2009/दस-106-81, दिनांक 2 सितम्बर, 1981 में निहित आदेशों की अवहेलना करते हुए वित्तीय वर्ष 1981-82 के कार्यभार के अन्तिम सप्ताह में कई लाख रुपये का सामान क्रय किया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध उक्त अनियमितताओं के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ एक स्वत:शासी संस्था है, जिस पर वित्त विभाग का शासनादेश संख्या बी0-2-2009/दस-106-81, दिनांक 2-9-81 लागू नहीं होता है, अत: शासनादेश की अवहेलना तथा प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री सन्त बक्स रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि लखनऊ स्पोर्टस कालेज स्वायत्तशासी संस्था है इसलिए 2-9-81 का शासनादेश इस पर लागू नहीं होता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं को शासन द्वारा प्रति वर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है ? यदि ऐसी संस्थायें अनियमितता करें तो इसके लिए कौन दोषी होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि वित्तीय सहायता दी जाती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है। 2-9-81 की राजाज्ञा जिसका मा0 सदस्य ने उल्लेख किया है स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू नहीं होती। केवल राजकीय संस्थाओं के लिए यह है। राजाज्ञा 23-12-52, 20-7-71 एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के अनुसार उनका संचालन होता है। उनका निरीक्षण भी होता रहता है। प्रत्येक वर्ष उनका आडिट भी होता है।

श्री सन्त बक्स रावत—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, शासन द्वारा प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है और माननीय मंत्री जी ने कुछ नियमों का भी उल्लेख किया कि इनके तहत इनका निरीक्षण होता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो वित्तीय अनियमितता हुई है इसके संबंध में कोई जांच कराई गई यदि नहीं कराई गई है तो माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर जो दोषी व्यक्ति पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है। यदि, आप आज्ञा दें तो विशेषरूप से जो जाँच की गई है और जो आडिट आब्जेक्शन किया गया है उसका एक आइटम है।

मान्यवर, इस विद्यालय को 1982-83 में 24 लाख रुपए का अनुदान सरकार की ओर से स्वीकृत हुआ। यानि तीन महीने में 6 लाख रुपये बैठता है। जो अन्तिम किस्त की उसका जनवरी, फरवरी और मार्च में उपयोग होना चाहिए था। पहली जनवरी को अन्तिम किस्त नहीं मिली एवम् राजाज्ञा तो, अन्तिम किस्त, दिनांक 28-2-83 को सैंक्शन हुई थी, बैंक को सूचना दी गई, दिनांक 27-2-83 को और 28-2-83 को रविवार था इसलिए इसका उपयोग मार्च तक ही करना आवश्यक हो गया। लेकिन जो भी खर्चे किए गए वे 1 जनवरी से 30 मार्च तक के थे। यह अनियमितता आडिट में पायी गई। भोजन-व्यवस्था भी स्कूल में होती है। अभी को दो बच्चों में ही आटे-दाल का भाव याद आ जाती है। मेरे 260 बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं, मैं बहुत बड़े परिवार की अम्मा हूं।

मान्यवर, ऐसा ही पूर्व के वर्षों में काफी समय से कोयला नहीं मिलता था। कोयला न मिलने से खाना कैसे बने, क्योंकि बाढ़ आ गई थी, रेल के डिब्बे नहीं मिले वहां पर हड़ताल हो गई थी। इसलिए उन्होंने, प्रबन्धक समिति ने यह निर्णय लिया कि एक साल का कोयला एक साथ खरीद लिया जाय तो तिहाजा टूबी आन द सेफ साइड के लिए 92 हजार का कोयला मार्च म खरीद लिया गया था। मेरे पास सब ओपेन है जिसम 12 हजार रुपये का कोयला मार्च म खर्च हो गया था बाकी कोयला भन्डार में पड़ा हुआ है। प्रबन्धक समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि 1983-84 के ग्रान्ट में इसको एडजेस्ट कर लें उसके आदेश हो गए हैं। भ्रष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 12 हजार रुपये का कोयल एक महीने में खर्च हुआ, तो 12 हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से एक साल में 1 लाख 44 हजार रुपए का खर्चा 260 बच्चों के लिए होना चाहिए। मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि एक महीने में 12 हजार रुपये का कोयला इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इससे स्पष्ट है कि कुछ अनियमितताएं जरूर हुई हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिसने यह अनियमितता की है उस व्यक्ति के खिलाफ माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अभी मैंने आपसे कहा है कि यह जो खर्चा हुआ है यह केवल 3 महीने का खर्चा ह जनवरी, फरवरी और मार्च का। बच्चे 260 हैं।

*4--श्रीमती गौरी देवी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र तथा आरक्षण कोटा

*5--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 26 नवम्बर, 1981 को दैनिक समाचार-पत्र आज में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा 69 अध्यापकों के अवनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित नहीं किए गए हैं? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 में तदर्थ नियुक्तियों हेतु आरक्षण की कोई व्यवस्था न होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा प्रश्नगत नियुक्तियों हेतु विज्ञापन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, यह एक नीतिगत प्रश्न है, जिससे उत्तर प्रदेश की पूरी अनुसूचित जाति, जनजाति प्रभावित है। अभी तक प्रबन्धकों के हाथ में नियुक्तियां रही हैं, परन्तु गत वर्ष से उनको रोक दिया गया है। अब शासन अपने माध्यम से नियुक्तियां करने जा रहा है। अगर शासन अपने माध्यम से नियुक्तियां कर रहा है तो आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह अवश्य है कि विज्ञापन में आरक्षण का कोई जिक्र नहीं था लेकिन जो चयन हुआ है, उसमें आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है और 10-15 प्रतिशत के हिसाब से अभ्यर्थी चुने गये जो अनुसूचित जाति के थे।

श्री पंचानन राय--

शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि प्राविधान नहीं था, मैं कहता हूं कि प्राविधान है। तमाम जिलों में आरक्षित पोस्ट एडवरटाइज की गयीं। सदन में रोज चिन्ता व्यक्त करते हैं कि हरिजन उपलब्ध नहीं हैं। अगर एडवर्टाइजमेन्ट में आरक्षण नहीं है तो सामान्य अभ्यर्थी के हिसाब से हरिजन अभ्यर्थी को भी देखा जायगा। क्या हरिजन अभ्यर्थियों के लिए कोई अलग चयन 18 प्रतिशत के हिसाब से किया गया और सामान्य के लिये अलग किया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जब चयन की सूची बनी तो उसमें जो कुल अभ्यर्थी चुने गये वह 69 थे और जो चयन सूची बनी उसमें 11 अनुसूचित जाति के हैं। उससे वह परसेन्टेज पूरा हो जाता है, इसलिये इसमें कोई एतराज की बात नहीं है और कोई मंला-

फाइड इन्टेन्शन नहीं था । दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वह यह है कि विज्ञापन में क्यों नहीं दिया गया, तो जो कठिनाई निवारण आदेश प्रकाशित हुआ था, उसमें क्योंकि आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए विज्ञापन में नहीं दिया गया, लेकिन चयन करते समय इसको ध्यान में रखा गया और आरक्षण का कोटा पूरा किया गया ।

श्री भीखा लाल--

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि तदर्थ नियुक्तियां थी, इसलिये आरक्षण नहीं रखा गया । क्या शासन ने ऐसी नीति बना ली है कि स्थायी नियुक्तियों में ही आरक्षण दिया जायगा, तदर्थ नियुक्तियों में नहीं दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हरिजन अभ्यर्थी को चाहे स्थान दे दिया गया है लेकिन विज्ञापन में सन्दर्भ नहीं दिया था । इससे क्या यह बात सही नहीं है कि बहुत से अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थी जो यदि विज्ञापन में आरक्षण देख लेते तो एप्लाई करने से वंचित रह गये एवं उनके हित का अहित किया गया । सम्बन्धित अधिकारी ने जो गलत विज्ञापन निकाला, उसमें शासकीय नीति की अवहेलना की । ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या आपने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

एक तो यह है कि आरक्षण के अन्तर्गत जो कोटा था उसको चयन में पूरा कर लिया गया, दूसरा यह है कि अगर किसी अधिकारी को दोषी पाया जायगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं नम्रता के साथ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैंने एक सुनिश्चित और प्वाइन्टेड सवाल किया था । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि अगर दोषी पाया जायगा तो किया जायगा । नियमों में है कि कोई भी उत्तर कल्पना पर और विचारों पर आधारित नहीं होगा ।

मान्यवर, मैंने बिल्कुल साफ प्रश्न किया था कि माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विज्ञापनकर्ताधिकारी ने अनुसूचित जाति वर्ग का उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि शासन की नीतियों की अवहेलना हुयी है या नहीं, यदि हुयी है तो उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी तो किन कारणों से नहीं की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसमें शासन की नीति का उल्लंघन का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि नियुक्ति में अनुसूचित जाति के लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि विज्ञापन में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण हेतु छपना रह गया, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इस कमी को नियुक्ति में पूरा कर दिया गया। तो क्या माननीय मंत्री जी हमारी सूचना को सही मानते हुए कि फैजाबाद में ऐसे ही मामलों में नियुक्ति में भी कोई ध्यान रक्खा गया है और इस प्रकार वहां का कोटा पूरा नहीं हुआ है तो क्या माननीय मंत्री जी वहीं के कोटे को पूरा कराने एवं दोषी व्यक्ति के प्रति कार्यवाही करने का आश्वासन देंगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न की आज्ञा नहीं देता, यह दूसरा प्रश्न है जो फैजाबाद से सम्बन्ध रखता है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जो सदन में एक नीति स्पष्ट की गयी है उसके अनुसार अभ्यर्थियों को चुना नहीं गया है और इससे यह स्पष्ट है कि अनुसूचित वर्ग की उपेक्षा की गयी है और जितने अभ्यर्थी सामान्य कोटे से चुने गए, उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को वेटिंग में रखा गया है और इसी प्रकार अनुसूचित वर्ग में जितने अभ्यर्थियों को चुना गया, उनमें से कितनों को वेटिंग लिस्ट में रक्खा गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, 1969 की लिस्ट बनी जिसमें से 11 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के चुने गये वेटिंग लिस्ट का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री का उत्तर तारांकित प्रश्न में इसी डी0 आई0 ओ0 एस0 के खिलाफ अनियमितता, भ्रष्टाचार और जितने भी आरोप किसी अधिकारी के खिलाफ हो सकते हैं, आए थे, जिसे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया था । और अब फिर इसी डी0 आई0 ओ0 एस0 के खिलाफ यह प्रश्न भी आया कि उसने जानबूझकर अनुसूचित जाति के विषय में यह कार्यवाही क. तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह अधिकारी दोषी है । यह जानने के बावजूद भी उसके प्रति कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है ?

श्रीमती वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं पहले भी इसी बात को दोहरा चुकी हूं कि 69 अभ्यर्थियों का चयन हुआ जिसमें से 11 अभ्यर्थियों का चयन अनुसूचित वर्ग में किया गया, इससे काम हमारा पूरा हो गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी श्री केदार नाथ सिंह जी के प्रश्न का पूरा उत्तर अभी नहीं आया है, उसे पुनः दोहरा दीजिए ।

श्री गोदार नाथ सिंह--

एक अतारांकित प्रश्न के बारे में माननीय मंत्री जी ने यह अवगत कराया है कि वह डी0 आई0 ओ0 एस0 के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के मामले पाये गय और फिर इस प्रश्न में भी माननीय मन्त्री जी ने उसी डी0 आई0 ओ0 एस0 के खिलाफ यह स्वीकार किया कि उनकी गलती से ऐसा हुआ तो इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वह एक भ्रष्ट अधिकारी है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का निलम्बन अब तक किन कारणों से नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

भ्रष्टाचार की स्थिति स्पष्ट होने पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी और जहां तक दूसरे प्रश्न का उत्तर है । अगर इस सम्बन्ध में यह प्रूफ किया जाता है कि भ्रष्टाचार की वजह से यह दोष हुआ है तो उसके बारे में भी विचार किया जायेगा ।

श्री बिहारी लाल--

आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आपका शिक्षा विभाग इतना भ्रष्ट और करप्ट है और माननीय मंत्री जी बिलकुल तोड़ मरोड़ कर जवाब दे रही हैं । मैं अपने पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, वहां के तीन जिलों के बारे में बतलाना चाहता हूं कि वहां पर दो-दो हजार और तीन-तीन हजार रुपए दे कर एक-एक नियुक्ति हो रही है । 18 परसेन्ट पर तो विचार ही नहीं किया जा रहा है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

भ्रष्टाचार दूर करने के लिये जब भ्रष्टाचार की शिकायत आयेगी तो उसे दूर करने पर विचार किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीया शिक्षा मंत्री, मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने तो उनका प्रश्न स्वयं ही अस्वीकार कर दिया है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस विषय का कठिनाई निवारण अध्यादेश, कहीं ऐसा प्राविधान नहीं है लेकिन नियुक्ति में हरिजनों को लिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हरिजनों के कोटे से संबंधित वह प्रपत्र किस रूप में है और किस तारीख को किस अध्यादेश के द्वारा जारी हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह आप कठिनाई निवारण अध्यादेश के बारे में पूछ रहे हैं या हरिजनों के कोटे के बारे में ? हरिजनों के कोटे के बारे में सरकार की ओर से एक आदेश निकला था 12-7-1978 को जिसके द्वारा अशासकीय

सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों की नियुक्ति हेतु क्रमशः 18 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित इन्हीं आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा चयन सूची तैयार करते समय किसी विद्यालय में एक से अधिक पदों के प्रति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को निर्धारित कोटे का स्थान प्रदान किया गया।

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की स्रोत सामग्री का संकलन एवं प्रकाशन का हिन्दी में अनुवाद कराने की कार्यवाही

*6--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो राज्य सरकार द्वारा लिखवाया तथा प्रकाशित कराया जा रहा है उसके अब तक प्रकाशित सभी 8 खंडों को मूल रूप में अंग्रेजी में ही प्रकाशित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उनका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नहीं लिखाया जा रहा है, अपितु स्वतन्त्रता संग्राम इतिहास की स्रोत सामग्री का संकलन एवं प्रकाशन कराया जा रहा है। चूंकि अधिकांश स्रोत सामग्री अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है, अतः प्रकाशित 8 खंड मूल रूप में अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये हैं।

प्रकाशित सामग्री का हिन्दी में अनुवाद कराने की कार्यवाही की जा रही है। हिन्दी के अच्छे अनुवादक उपलब्ध न होने के कारण इस कार्य में विलम्ब एवं कठिनाई का अनुभव हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में दो कन्डिकाएं हैं। मैं पहली कन्डिका के बारे में पूछना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिफरेन्स सामग्री तैयार की जा रही है और इसकी मूल सामग्री अंग्रेजी में मिली, तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो हिन्दी में भी मिली। तो हिन्दी की मूल सामग्री का आपने अंग्रेजी में अनुवाद करा लिया और उसके लिये आपको व्यक्ति भी मिल गये परन्तु जो सामग्री अंग्रेजी में आपको उपलब्ध हुई उसका अभी तक हिन्दी में अनुवाद नहीं कराया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 8 खंड प्रकाशित हुए हैं तो क्या इन आठों खंडों की आपको अंग्रेजी में ही सामग्री उपलब्ध हुई ? यदि मूल रूप में ही अंग्रेजी में यह उपलब्ध हुई तो इसे फिर क्यों अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो अंग्रेजी में है, उसको हिन्दी अनुवाद करने का निर्णय शासन द्वारा ले लिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष हमारा संरक्षण आप करें । माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

श्री मोहन सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उसका एक आध खंड मैंने भी देखा है, जो सामग्री प्रकाशित की जा रही है, वह बहुत सी उस जमाने की है, जो थाने के रिकार्ड हैं हिन्दी में या उर्दू में उपलब्ध हैं, उनका अनुवाद अंग्रेजी में कराया जा रहा है । माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि हिन्दी में अनुवाद नहीं कराया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सामग्री हिन्दी भाषा में उपलब्ध है उसको अंगेजी में अनुवाद कराये जाने का क्या कारण है और उसको प्रकाशित किए जाने का भी क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, निर्णय लिया जा चुका है, यह निर्णय 17-1-76 का है । हमने विज्ञापन कई बार निकाला है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मंत्री जी किसी भी प्रश्न का उत्तर साफ-साफ नहीं दे रही हैं । इस सम्बन्ध में आपका संरक्षण हमें मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न किया जाय उसी का उत्तर देना चाहिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी बिल्कुल ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पहला मेरा सवाल यह है जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने और अग्निहोत्री जी ने पूछा, कि जो मूल सामग्री है, उर्दू में है, हिन्दी में है उसका अनुवाद अंग्रेजी में क्यों कराया गया है । दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हिन्दी के अनुवादक नहीं मिले तो उन्होंने अनुवादक के पद के लिए कब-कब विज्ञापन निकाला ? कितने-कितने प्रार्थना-पत्र आये और क्या उसके लिये किसी कमेटी का गठन किया गया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो स्वतंत्रता संग्राम परामर्शदात्री समिति बनी है, उसका पुनर्गठन 13-11-1975 को हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह कौन पूछ रहा है, प्रश्न तो मैंने किया कि उसका ट्रान्सलेशन क्यों नहीं हिन्दी में कराया गया ?

श्री अध्यक्ष--

आप उत्तर दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

29-1-1980 को विज्ञापन कराया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा सवाल फिर रह गया । मैं एक हैं। प्रश्न करना चाहता हूं कि जो हिन्दी तथा दूसरी भाषा में सामग्री थी उसका ट्रान्सलेशन अंग्रेजी में क्यों कराया गया । ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो हिन्दी और उर्दू की सामग्री का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो संकलन है, उसकी अधिकतर सामग्री अंग्रेजी में थी, इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि इसको अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाये और अब निर्णय लिया गया है कि हिन्दी में अनुवाद किया जाये और 29-1-1980 को विज्ञापन निकाला गया है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न किए । हिन्दी और उर्दू में जो चीजें उपलब्ध थीं उनका अंगेजी में अनुवाद हो गया और जो चीजें अंग्रेजी में हैं उनका अनुवाद हिन्दी में नहीं हो पाया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 29-1-1980 को विज्ञापन निकाला गया, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विज्ञापन किन-किन अखबारों में दिया गया और दुबारा कब दिया गया था तथा कितने आवेदन-पत्र आये ? किस कारण वश अभी तक वह व्यवस्था नहीं हुई ? मान्यवर, इस सदन की भाषा भी हिन्दी है और प्रदेश की भाषा भी हिन्दी है । जब इस माननीय सदन में माननीया शिक्षा मंत्री द्वारा हिन्दी की इतनी उपेक्षा हो तो यह बहुत ही अपमानजनक बात है, इसलिये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वे अपना स्पष्ट स्पष्टीकरण इस सदन के सामने देंगी कि अभी तक उसका अनुवाद हिन्दी में क्यों नहीं हो पाया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया दिनांक 29-1-80 को विज्ञापन निकाला गया और उसके लिये 10 नमूने प्राप्त हुये लेकिन विशेषज्ञों ने उन नमूनों को पसन्द नहीं किया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

धिक्कार हैं ऐसे विशेषज्ञों को । क्या माननीय मंत्री जी ऐसे विशेषज्ञों को सदन के सामने लायेंगी जो हिन्दी की इतनी उपेक्षा कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री दल गंजन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी बतायें कि वे कितनी हिन्दी पढ़ी हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें मैंने आपको नहीं बुलाया है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का मनमाने तरीके से काम करने का एक उदाहरण है। श्रीमन्, आप प्रश्न को देखें, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो राज्य सरकार द्वारा लिखवाया जा रहा है और प्रकाशित किया जा रहा है, श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी देवनागरी स्क्रिप्ट है और उत्तर प्रदेश की राजभाषा भी हिन्दी ही है--ये दो चीजें स्पष्ट तरह से प्रश्न में हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के स्पष्ट होते हुए भी किस आधार पर, किन अधिकारियों की रिकमन्डेशन पर अथवा सिफारिश पर उनका कलेक्शन ओरीजिनली अंग्रजी में किया गया ? इसको अवहेलना करते हुये कि उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी है राजभाषा भी हिन्दी है, जिन अधिकारियों ने ऐसा किया उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह जो पुस्तक छप रही है इसका कार्य बहुत पुराने समय से शुरू हो गया था। 6 खन्ड इसके छप चुके हैं पहला खन्ड 15 अगस्त, 1957 को ईश्यू हुआ। इस तरह से उसके 6 खन्ड निकल चुके हैं। इधर दो खन्ड निकले हैं। अंग्रेजी में ही शुरू म इसको निकालने की व्यवस्था हुई। लेकिन हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह इनका ट्रांसलेशन हिन्दी में कर दिया जाय।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका प्रकाशन कब से प्रारम्भ हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया कि इसका प्रकाशन पहले 15 अगस्त, 1957 से शुरू हुआ उसके बाद दूसरी बार 15 अगस्त, 1958, तीसरी बार 26 जनवरी, 1959, फिर 15 अगस्त, 1959, फिर 26 जनवरी, 1960, इस तरह से हुआ।

श्री राम कुमार भार्गव--

मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले शिक्षा मंत्री जी ने यह जानकारी दी है कि 35 साल हमें आजाद हुये हो गये लेकिन अभी भी यहां पर अंग्रेजी ज्यादा चल रही है, मैं इस सूचना के लिये उन्हें बधाई देता हूं। किन्तु मैं माननीया मंत्री जी से सदन में यह आश्वासन चाहता हूं कि इसके बाद जो खन्ड इस पुस्तक के प्रकाशित होंगे वे पहले हिन्दी में होंगे और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हिन्दी में अच्छे अनुवादक उपलब्ध नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं एक सवाल बहुत साफ-साफ पूछना चाहता हूं जो माननीय मंत्री ने सूचना दी कि वर्ष 1980 में जो विज्ञापन हुआ उसमें जो प्रार्थना-पत्र आये, वे स्तर के नहीं पाये गये। मैं उनकी इस बात को मान लेता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 1980 के बाद आज 1983 है उसके बाद सरकार क्यों कुंभकर्णी नींद में सो गयी? क्या कोई प्रयास इस बारे में हुए? यदि हुए, तो क्या प्रयास हुए? दूसरी बात यह कि अभी बहुत से खंड प्रकाशित होने हैं तो क्या माननीया शिक्षा मंत्री आइवासन देंगी कि विगत में जो कुछ हुआ अब भविष्य में कोई भी खंड अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं होगा और मूल रूप में हिन्दी में ही प्रकाशित किया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस पर विचार किया जायेगा।

श्री गुलाब सिंह के विरुद्ध बिना लाइसेन्स अफीम की खेती करने का मामला

*7—श्री मोहन सिंह—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री गुलाब सिंह के विरुद्ध देहरादून के आबकारी विभाग ने बिना लाइसेन्स अफीम की खेती करने का कोई मामला दर्ज किया है? यदि हां, तो सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं और उन तथ्यों की रोशनी में विभाग ने क्या कार्यवाही की?

परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

अफीम की खेती का विषय भारत सरकार का है। आबकारी विभाग इससे सम्बन्धित नहीं है। फिर भी सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह मामला एक मंत्री से सम्बन्धित है, पूरे प्रदेश और देश में यह बात फैली कि उधर बैठे हुए मंत्रियों में से एक मंत्री बिना लाइसेन्स के देहरादून में अफीम की खेती करते हैं और वहां पर छापा भी पड़ा जिसमें एफ0 आई0 आर0 लिखवाई गयी, उनके परिवार के लोग गिरफ्तार हुए। उन्होंने पोलिटिकल प्रेसर में उसे दबाने की कोशिश की। मैंने एक सवाल पूछा उसमें माननीय मंत्री जी कहते हैं अफीम की खेती का मामला भारत सरकार से सम्बन्धित है फिर भी हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अफीम की खेती के बारे में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी वह उत्तर प्रदेश के पुलिस थाने में उत्तर प्रदेश में कराई गयी तो क्या इस तरह की जानकारी मंत्री जी को है कि उत्तर प्रदेश की परिधि के अन्दर, पुलिस विभाग के अन्तर्गत किसी थाने में कोई एफ0 आई0 आर0 केन्द्रीय आबकारी विभाग ने लिखाई जिसमें माननीय गुलाब सिंह, विधायक के विरुद्ध इस तरह की सूचना दी गयी कि वह बिना लाइसेन्स के अफीम की खेती करते हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कि इन्हीं सब मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न संख्या 7 जो माननीय मोहन सिंह जी ने किया है यह कोर्ट में पैंडिंग है और यह सब-जुडिस है । तो क्या जो सब-जुडिस मामला हो, ऐसे प्रश्न को यहां पर उठाया जा सकता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

क्या इस तरह का मामला कोर्ट में विचाराधान है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, जो सूचना मेरे पास है उससे ऐसा लगता है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में ऐसा लगता है कि उनके पास इस संदर्भ में काफी सूचना है जिसको वह इस आदरणीय सदन से छुपाना चाहते हैं । जब किसी प्रश्न की मुकम्मल सूचना हो और उसे सदन से छुपाया जाय तो उसमें सदन का कन्टेम्प्ट माना जाता है । उनके पास जो सूचना है उससे ऐसा लगता है मामला कोर्ट में पेंडिंग में है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी सूचना है जिसके आधार पर आपने कहा कि यह मामला पेंडिंग में है । यह बता दें कि वह कौन सा मामला है जो कोर्ट में पेंडिंग में है ?

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, बता दिया कि मामला कोर्ट में पेंडिंग में है ।

(व्यवधान)

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने तो निवेदन कर दिया कि मामला न्यायालय के विचार धीन है । यह जो सवाल का पहले जवाब आया यह पहले आ गया उसके बाद सूचना मिली कि मामला विचाराधीन है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने यही प्रश्न किया था कि आबकारी विभाग ने बिना लाइसेंस अफीम की खेती करने का कोई मामला दर्ज किया है ? यदि किया है तो सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं ? इस पर माननीय मंत्री जी कह देते कि अफीम की खेती नहीं करते....

(व्यवधान)

कोई मामला पेंडिंग नहीं है । लेकिन जब मंत्री जी के पास यह सूचना है कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या चीज कोर्ट में पेंडिंग है, इसको मंत्री जी बतायें ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं उसी की सूचना प्राप्त की जा रही है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं । प्रश्न संख्या 8 ।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायं । यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं उत्तर से तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करके पूछ लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मंत्री जी सदन में सही उत्तर नहीं दे रहे हैं और जो सूचना आयी है उसको वह छिपा रहे हैं ।

(व्यवधान)

गलतबयानी सदन में कर रहे हैं, इसलिये मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं ।

(व्यवधान)

(श्री मोहन सिंह के साथ श्री दलगंजन सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री अकबाल हुसैन, श्री किरनपाल सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मुख्तार अनीस—

(व्यवधान के मध्य)

श्री गुलाब सिंह के विरुद्ध पहले प्रधान मंत्री को पत्र लिखा गया था कि उनको पद से हटाया जाय चूंकि वह अफीम की बिना लाइसेन्स के खेती करते हैं और आज यहां सदन में सही सूचना नहीं दी जा रही है इसलिये इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(व्यवधान)

(श्री मुख्तार अनीस भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, जो प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं, दो मिनट के लिये ।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं । शांत रहें ।

हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों को ग्रान्ट इन एड पर लाने का आधार

*8--श्री माता प्रसाद पान्डेय (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट विद्यालयों को ग्रान्ट इन एड पर लाने के लिये क्या आधार रखा गया ? क्या विद्यालय का पिछड़े क्षेत्र में स्थित होना भी प्राथमिकता का आधार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्गत मान्यता पत्र की तिथि के ज्येष्ठता क्रम में अनुदान सूची पर लिये जाने का आधार है । पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण में निहित जटिलता, अनिश्चितता तथा सम्भावित विवादों के कारण इसे प्राथमिकता का आधार नहीं बनाया गया है ।

प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता

*9--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की 20 हजार प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देने की सहमति व्यक्त की है ? यदि हां, तो इस दिशा में प्रदेश सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि केन्द्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया । तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की 20 हजार प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से कोई धनराशि मांगी है कि नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इस विषय में केन्द्र सरकार को कई पत्र लिखे कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल भवन रहित या टूटे-फूटे भवन स्कूलों के हैं उनकी सहायता हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया जाये ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, जो पत्राचार हुआ उस पर केन्द्र सरकार ने क्या स्वीकार किया और कितनी धनराशि की मांग किया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, पहला पत्र, जो यहां से जारी हुआ वह, 14-7-82 को दूसरा 8-11-82 को शिक्षा मंत्री की ओर से केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में भेजे गये हैं ।

केन्द्र सरकार से जो पत्र आये हैं उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने लिखा है कि इस विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव को लेकर विश्व बैंक के साथ बात-चीत कर रहे हैं और उसके विषय में कार्यवाही की जा रही है । यह पत्र केन्द्र सरकार ने 11-10-82 और 2-11-82 को भेजा था ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय, केन्द्र सरकार से 20 हजार प्राइमरी पाठशालाओं के लिए कितनी धनराशि की मांग किया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

लगभग 100 करोड़ रुपये का ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

20 हजार भवनों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने कितने धनराशि के आवंटन की बात सोची है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उन्होंने बता दिया है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आपको सूचित करना चाहूंगी कि कई वर्षों के बाद 1980 में प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सक्रिय रूप से ध्यान दिया है और नये विद्यालयों के निर्माण के लिए 1980-81, 1981-82 व 1982-83 के बजट में प्राविधान हुआ है और पहली बार जीर्ण-शीर्ण भवनों का उद्धार करने के लिए...

(व्यवधान)

एवं पुराने स्कूलों के भवन निर्माण हेतु बजट में प्राविधान किया गया था और उसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जीर्ण-शीर्ण भवनों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है ।

श्री गौरीशंकर भैय्या--

हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि इस वर्ष 1983-84 में आप कितने भवन उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, 1983-84 का बजट अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जायेगा ।

आर्य कन्या इंटर कालेज गुलावठी, मेरठ में इतिहास प्रवक्ता का रिक्त पद एवं नियुक्ति

*10--श्री छत्तर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इंटर कालेज गुलावठी, मेरठ ने नवभारत टाइम्स दिनांक 21-9-82 के द्वारा इतिहास प्रवक्ता

को रिक्तियां निकाली थीं जो आरक्षण की रिक्तियां थी ? यदि हां, तो इंटरव्यू में मौजूद पिछड़ी जाति से सम्बन्धित अभ्यर्थी को न चुनकर एक उच्च जाति के अभ्यर्थी को ले लिया गया और उसे आर० आई० जो० एस० मेरठ के बिना अनुमोदन के ही वेतन भी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रानीखेत तहसील में प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के पुनर्निर्माण पर विचार

*11––श्री जसवन्त सिंह बिष्ट (अनुपस्थित)––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में सन् 1980 से 13–10–82 तक कितने प्राइमरी पाठशालाओं के भवन टूटे–फूटे हैं और उनके निर्माण हेतु अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

रानीखेत तहसील में सन् 1980 में 116 प्राइमरी पाठशालाओं के भवन टूटे–फूटे थे । 13 अक्तूबर, 1982 तक इनमें से 75 प्राइमरी पाठशालाओं की मरम्मत की गई । 17 प्राइमरी पाठशालाओं की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है । शेष 24 प्राइमरी विद्यालयों के भवनों की मरम्मत का कार्य धनाभाव के कारण नहीं हो पाया है । इस हेतु वर्ष 1983–84 की जिला योजना में वांछित धनराशि हेतु प्रस्ताव किया गया है ।

ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में हुए टेस्ट मैच व उसका संचालन

*12––श्री हरिकिशन श्रीवास्तव, श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार यादव––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों में कितने क्रिकेट टेस्ट मैच हुए हैं और उनका संचालन किसके द्वारा कराया गया ? कितनी–कितनी धनराशि प्रत्येक टेस्ट मैच में ग्रीन पार्क ट्रस्ट को प्राप्त हुयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

पिछले 10 वर्षों में 6 क्रिकेट टेस्ट मैच ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में हुए हैं और उनका संचालन उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के तत्वाधान में कराया गया था ।

प्रत्येक टेस्ट मैच से मोदी स्टेडियम ट्रस्ट, कानपुर को निम्नलिखित धनराशि प्राप्त हुई थी :

वर्ष	धनराशि
	रु0
1973	16,000.00
1976	32,952.50
1979	2,67,300.00
1979	2,17,000.00
1979	10,25,000.00
1982	8,62,000.00

पिछले 10 वर्षों में 6 क्रिकेट टेस्ट मैच ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में हुए हैं और उनका संचालन उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के तत्वाधान में कराया गया था ।

प्रत्येक टेस्ट मैच से मोदी स्टेडियम ट्रस्ट, कानपुर को निम्नलिखित धनराशि प्राप्त हुई थी :

वर्ष	धनराशि
	रु0
1973	16,000.00
1976	32,952.50
1979	2,67,300.00
1979	2,17,000.00
1979	10,25,000.00
1982	8,62,000.00

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इसके आयोजनकर्त्ता कौन लोग हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वह मैंने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के तत्वाधान में यह कराया जाता है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बताएंगी कि इस ग्रीन पार्क ट्रस्ट को गत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना अनुदान दिया है ? कितने रुपये का ऋण दिया है और कितना रुपया उसको ट्रस्ट द्वारा वापस हो गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

1979 में जब वहां टेस्ट मैच हुआ था, उसकी सीट्स बढ़ाने का विचार किया गया था और अगर हम सीट्स न बढ़ाते तो यह भी डर था कि शायद यह टेस्ट मैच ही न हो, तो उस समय 25 लाख रुपया शासन की ओर से अनुदान दिया गया है और उन्होंने बैंक से 25 लाख रुपया ऋण लिया था ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री सुन्दर सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*13--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्त्ता ने माह अगस्त-सितम्बर, 1982 में उन्हें बी० एस० ए०, हरदोई के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों का एक शिकायती-पत्र दिया था, जिस पर डी० डी० आर०, लखनऊ को जांच हेतु आदेश दिये थे ? क्या यह सत्य है कि डी० डी० आर०, लखनऊ ने आरोपों को सत्य पाते हुए अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 10-10-82 को शिक्षा सचिव को दे दी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र माह जुलाई, 1982 में प्राप्त हुआ था ।

उप शिक्षा निदेशक, षष्टम मण्डल, लखनऊ ने दिनांक 12 अक्तूबर, 1982 को अन्तरिम जांच आख्या की एक प्रति शासन को प्रेषित की थी । पूर्ण जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है । इसी बीच श्री सुन्दर सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी का हरदोई से स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*14--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, कार्यालय बलिया की शिकायती जांच उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा सन् 1980 में कराई गई ? यदि हां, तो क्या शिकायत मिली और कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

सन्दर्भगत जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के विरुद्ध की गयी थी न कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के कार्यालय के विरुद्ध ।

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में प्रमुख आरोप अध्यापकों की अनियमित नियुक्ति, उनका अनुमोदन तथा अनियमित रूप से अध्यापकों का वेतन भुगतान किये जाने थे ।

जांच में आरोप सिद्ध पाये जाने पर तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है तथा उन्हें सचेत किया गया ।

आई0 आर0 डी0 योजना में उन्नाव जनपद को दी गयी धनराशि

कुल परिवारों को सहायता

*15--श्री भीखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में आई0 आर0 डी0 स्कीम में उन्नाव जनपद के लिए कितने धन का प्राविधान किया गया था? और उसमें से कितने धन का उपयोग किया गया ? प्रत्येक विकास खण्ड में गरीबी रेखा के ऊपर उठाने के लिए कितने परिवारों को सहायता दी गई ? यदि स्वीकृत धनराशि में से कुछ उपयोग नहीं हो सकी तो क्यों ?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

वर्ष 1981-82 में उन्नाव जनपद के लिए आई0 आर0 डी0 योजना के लिए 96.00 लाख रुपया का प्राविधान किया गया था जिसके विरुद्ध 96.09 लाख रुपये का सदुपयोग किया गया। जनपद के समस्त 16 विकास खंडों में कुल 9897 परिवारों को सहायता दी गयी । स्वीकृत परिव्यय का शत प्रतिशत उपयोग किया गया ।

खंड विकास समितियों के चुनाव में आरक्षण की कथित व्यवस्था

*16--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री परमाई लाल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खंड विकास समितियों का चुनाव कब तक करा दिया जायेगा ? क्या यह सहा है कि प्रमुखों के चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा तिलहन एवं दलहनी फसलों के बीजों की आपूर्ति

*17--श्री शंकर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा एन0 एस0 सी0 तथा कृषकों को रबी की फसल के लिए दलहनी फसलों, दालों तथा तिलहन के जो बीज दिये जाते हैं उनकी प्रोसेसिंग कब की गयी और कब एन0 एस0 सी0 को बीज दिये गये ? क्या जिन तिथियों में बीज दिये गये उस समय तक अधिकांश बीजों के बोने का समय निकल चुका था ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)--

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 1349 पर ।)

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लि0, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा कृषक उत्पादकों को बीज की आपूर्ति तथा लिया गया अधिक मूल्य

*18--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी 1981-82 में उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा बीज उत्पादकों को गेहूं बीज उत्पादन के लिए नियमानुसार आधार बीज न देकर प्रमाणित बीज दिया गया और इस प्रमाणित बीज का मूल्य बीज उत्पादकों से आधार बीज के मूल्यों के बराबर लिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार अनाधिकृत रूप से लिए गये इस अधिक मूल्य को धनराशि बीज उत्पादकों को वापिस कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

रबी 1981-82 में उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लि0, हल्द्वानी, ननीताल द्वारा कुछ कृषक उत्पादकों को ऐसा आधारीय बीज बांटा गया था जिसका परीक्षण संसाधन (प्रोसेसिंग) से पूर्व 2 बार किया गया था और आधारीय बीज के मामलों के अनुरूप पाया गया था लेकिन उसके कृषकों में बुआई के लिए वितरण के बाद उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से संसाधन के बाद वाले परीक्षण परिणाम प्राप्त हुए जिनसे यह ज्ञात हुआ कि लगभग 1375 कु0 बीज आधारीय बीज के मामलों के अनुरूप नहीं है यद्यपि प्रमाणित बीज के मानकों के अनुरूप है ।

जिन उत्पादकों से आधारीय बीज का मूल्य लिया गया था उन्हें अधिक मूल्य की वापस कर दिया गया है ।

सहायक विकास अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा दिया गया कथित शिकायती-पत्र

*19--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, विकास खंड, जलालाबाद, शाहजहांपुर को कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र बी0 डी0 ओ0, जलालाबाद के खिलाफ माह जनवरी, सन् 1982 में जिला विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला अधिकारी, नियोजन, शाहजहांपुर को दिया है कि उपरोक्त विकास खंड में सरकारी योजना के अन्तर्गत गरीबों को जो भैंसें खरीदकर दी गई हैं वे सब फर्जी हैं ? यदि हां, तो शिकायत की जांच कौन अधिकारी कर रहा है और उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा बताया गया ऐसा कोई शकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कन्या इन्टर कालेज, झांसी की अध्यापिकाओं को सी० डी० एस० की कटौती की धनराशि का भुगतान

*20--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कन्या इन्टर कालेज, झांसी की अध्यापिकाओं का सी० डी० एस० के अन्तर्गत की गई कटौती की धनराशि उन्हें अभी तक वापिस नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है ? तथा शासन ने इस सम्बन्ध में अगस्त, 1982 तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के खंड प्रथम के लेखे में बिना प्री आडिट कराये कार्यवाही किए जाने की कथित शिकायत

**1--श्री राम आसरे वर्मा--(अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि महालेखाकार द्वारा मार्च, 1982 में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खंड प्रथम के लेखा में 1981-82 के वाउचरों पर बिना प्री आडिट कराये कार्यवाही किये जाने की गम्भीर अनियमितता बताते हुए आपत्ति की गई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

महालेखाकार द्वारा भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खंड प्रथम के लेखा में 1981-82 के वाउचरों पर बिना प्री आडिट कराये कार्यवाही किये जाने की कोई आपत्ति मार्च, 1982 में नहीं उठाई गई है । अतः दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1981-82 के बाउचरों पर बिना प्री आडिट कराये कार्यवाही किए जाने की कोई आपत्ति मार्च 1982 में नहीं उठाई गई है, इसलिए कोई ऐक्शन लेने का प्रश्न नहीं उठता । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1982 के बजाय 1981 का जिस वक्त इसका आडिट हुआ, तो उस पर क्या कोई आपत्ति सामने आई थी ? यदि आई, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री रियासत हुसैन की रुचि पर लिया गया ।

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, फरवरी, 1982 में आडिट पार्टी ने आपत्ति की थी, उसमें कुछ ऐतराज आये थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि जो ऐतराजात आये थे, वे क्या हैं, और उसके सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जो ऐतराजात किए हैं वे इस प्रकार से हैं---(1) माह जुलाई, 1981 से नवम्बर, 1981 तक के किसी भी वाउचर पर खंडीय लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । यह एक अनियमितता है । भविष्य में समस्त वाउचर खंडीय लेखाकार के माध्यम से पारित होने चाहिये । (2) निदेशालय कार्यालय का 1,400 रुपये प्रतिमाह का किराये की स्वीकृति खंडीय कार्यालय में नहीं भेजी गई है जिसे उपलब्ध कराई जाये । (3) इस वाउचर संख्या 45 का भुगतान भू0 ज0 सं0 खं0 2 से सम्बन्धित है, किन आदेशों के अन्तर्गत इसका भुगतान किया गया है । (4) खंड 8 को भुगतान किन आदेशों के अन्तर्गत किया गया है, इसकी स्वीकृति आदेश उपलब्ध कराये जायें । (5) वाउचर संख्या 45---452.50 रुपये के वाउचर पर रसीदी टिकट अपेक्षित है । (6) वाउचर संख्या 17, खंड 8 के किराये का भुगतान खंड 1 से क्यों किया गया है । (7) वाउचर पर रसीदी टिकट अपेक्षित है, इसी तरह के आब्जेक्शन्स हैं मान्यवर ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

शासन की तरफ से क्या इनका उत्तर भेजा गया ? कोई कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जो आब्जेक्शन्स आये हैं उनका उत्तर विभाग की तरफ से महालेखाकार को भेजा जा चुका है और चूंकि वहां से कोई जवाब नहीं आया है इसलिए यह संभव है कि वे उनसे संतुष्ट हों ।

श्री रियासत हुसैन---

जो दो यह आब्जेक्शन हैं कि एक तो 4 माह तक बिना सिग्नेचर हुए काम चला रहा और दूसरे यह कि 14 सौ रुपये माहवार किराये पर जो दफ्तर था उसकी स्वीकृति नहीं ली गई, इनका उत्तर क्या भेजा गया विभाग की ओर से, उसे कृपया बता दें ?

श्री बलराम सिंह यादव---

निदेशालय भवन के किराये की स्वीकृति हो चुकी है और उसके बारे में सूचना भेजी जा चुकी है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मेरे आज 3 अतःरांकित प्रश्न थे. . .

श्री अध्यक्ष--

आपको कोई प्रश्न पूछना है इस पर ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

प्रश्नों के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण की कथित योजना

**2--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या शिक्षा मंत्री ग्रामीण क्षेत्र में कम खर्च से एवं शीघ्र शिक्षा के प्रसार हेतु नये हाई स्कूल खोलने के बजाय मौजूदा जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत करके हाई स्कूल बनाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ऐसे निर्देश जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि सभी प्रकार के जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने की न तो कोई योजना है और न इसके लिये वित्तीय संसाधन ही उपलब्ध है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें विरोधाभास है । मेरे प्रश्न के पहले भाग में जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करके हाई स्कूल बनाने के सम्बन्ध में है । लेकिन मान्यवर, उसके लिए 5-7 ही हाई स्कूल प्रति वर्ष खुल पाते हैं और उसी प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वित्तीय संसाधनों का अभाव है । तो मैं माननीय मंत्री जी का इस विरोधाभास की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि प्रदेश के कम वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जो हमारे प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल हैं, उनको हाई स्कूल करने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, विरोधाभास बिल्कुल नहीं है, बात बिल्कुल साफ है । तीन प्रकार के जूनियर हाई स्कूल हैं, जो माननीय विधायक जी उसको जानते हैं । एक तो राजकीय जूनियर हाई स्कूल है, दूसरा गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूल, तीसरा परिषदीय जूनियर हाई स्कूल है । जो राजकीय जूनियर हाई

स्कूल हैं, जहां पर अगर व्यवस्था होती है, अगर वहां पर जमीन, भवन अवेलेबुल है और वहां पर आवश्यकता अगर है, पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उसके उच्चीकरण के बारे में हम विचार करते हैं और कार्यान्वित करते हैं। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की जहां तक बात है, तो ऐसे बहुत से जूनियर हाई स्कूल हैं, तो जब हाई स्कूल खोलते हैं, तो उनके मानक के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, हम उनको हाई स्कूल की मान्यता दे ही देते हैं और फिर वह वार्षिक क्रमानुसार ग्रान्ट इन ऐड में आ जाते हैं। तीसरे परिषदीय जूनियर हाई स्कूल जो हैं, उसके उच्चीकरण के लिए, पहले उसका प्रान्तीयकरण किया जाय, राजकीय बनाया जाय। इस प्रकार की कोई ऐसी योजना छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं है।

श्री धनीराम वर्मा—

माननीय, इस सरकार का सही प्रगति की तरफ प्रयास नगण्य है। सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष राजकीय हाई स्कूल के रूप में 5–7 स्कूल यह सरकार खोला करती है और जूनियर हाई स्कूल 50 और 60 के बीच में और माननीय, प्राइवेट सेक्टर में यानि व्यक्तिगत प्रयासों से बहुत से जूनियर हाई स्कूलों को खोल रखा है। शिक्षा का प्रसार मूल रूप से वही कर रहे हैं। जिन जूनियर हाई स्कूलों ने मान्यता की शर्तें पूरी कर ली हैं, और स्थायी मान्यता प्राप्त कर ली है, उनको सरकार ने अनुदान की सूची पर न लाकर प्राइवेट क्षेत्र को हतोत्साहित किया है और जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल में परिणत करने के लिए एक बाधा पैदा कर रखी है। जूनियर हाई स्कूल, जिसे स्थायी मान्यता प्राप्त है, उनको ग्रान्ट इन एड पर ही ला रहे हैं, जिसके कारण प्राइवेट मैनेजमेंट उनको जूनियर हाई स्कूल से परिणत करने में अर्थाभाव के कारण असमर्थ हो रहा है, जिससे शिक्षा में अवरोध पैदा हो रहा है। क्या उनको ग्रान्ट इन ऐड में लाने की माननीया मन्त्री जी कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

[× × ×]

श्री पंचानन राय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछली जुलाई 1982 से प्रदेश में 10 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला किया है ? जब शासन 10 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था लागू करने को तैयार है तो कक्षा 8 तक विद्यालयों का क्या औचित्य रह गया है ? तो क्या इस स्थिति में सरकार विचार करेगी कि जो 10 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था करेंगे उसी के अनुरूप कक्षा 10 तक की सामान्य शिक्षा के विद्यालय प्रदेश में रहें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

[× × ×]

श्री अकबाल हुसैन—

माननीय, मैं मूल प्रश्न की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मूल प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम खर्च पर हाई स्कूल खोलने

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की व्यवस्था की जाय । तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, बदकिस्मती से 36 विकास खंड ऐसे हैं जहां पर न तो राजकीय हाई स्कूल हैं और प्राइवेट सेक्टर में हाई स्कूल हैं । तो क्या इस स्थिति को देखते हुये चाहे राजकीय जूनियर हाई स्कूल हों या परिषदीय जूनियर हाई स्कूल हों । जहां पर भवन वगैरह उपलब्ध हो वहां राजकीय हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, प्रतिवर्ष नये हाई स्कूल खोले जाते हैं । जो प्राइवेट हैं उनको मान्यता दी जाती है । जो मान्यता प्राप्त हैं उनको अनुदान सूची में लिया जाता है । वित्तीय संशाधनों को देखते हुए, उस क्षेत्र के पिछड़े पन को देखते हुये वहां पर उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुये वहां पर हमेशा हम खोलने का विचार करते हैं और कर रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, कई प्रकार के जूनियर हाई स्कूल हैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हुये जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल हैं जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत हैं तथा जो बात माननीय पंचानन राय ने छठीं पंचवर्षीय योजना के 10 वर्षीय लक्ष्य को बनाया है उसको ध्यान में रखते हुये माननीय मन्त्री जी कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लोग हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए राजकीय जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल बनाने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल में उच्चीकृत करने का मतलब यह नहीं है कि कोई खर्च ही नहीं होता । खर्च तो पूरा ही करना पड़ता है, चाहे भवन हो, चाहे भूमि हो या टीचर्स हों वहां जो संसाधन होते हैं लाइब्रेरी वगैरह सबका प्राविधान करना पड़ता है । जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करने का मतलब यह नहीं है कि कोई खर्च ही नहीं होता है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे जूनियर हाई स्कूल जो परिषद् द्वारा चलाये जा रहे हैं और जो पिछड़े क्षेत्रों में हैं तो क्या ऐसे जूनियर हाई स्कूलों के उच्चीकरण पर मन्त्री जी विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, पिछड़े क्षेत्रों में हाई स्कूल खोलने की स्कीम है ही । परिषदीय स्कूलों का उच्चीकृत करने का सवाल नहीं उठता । परिषदीय स्कूल सरकारी नहीं हैं । परिषद् और राजकीय स्कूलों में फर्क है । हम नये राजकीय हाई स्कूल खोलते हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने बतलाया कि जो भी राजकीय, जिला परिषदीय या प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं उनके उच्चीकरण के लिए बहुत बड़े वित्तीय ससाधनों की आवश्यकता है । इस पर जब यह पूछा गया कि जिला

परिषदीय विद्यालयों के उच्चीकरण में क्या कठिनाई है तो आपका जवाब है कि इसमें लम्बा प्रोसीजर अख्तियार करना पड़ता है । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर वे समस्त राजकीय अथवा जिला परिषदीय विद्यालयों का उच्चीकरण नहीं कर सकती हैं, तो कम से कम पिछड़े हुए कस्बों के अन्दर बालिकाओं के विद्यालयों को, जहां पढ़ने की कोई दूसरी सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन राजकीय विद्यालयों को उच्चीकृत करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, बालिकाओं को हर सम्भव न्याय और शिक्षा सुलभ कराने के सम्बन्ध में शासन जागरुक है और शासन चाहता भी यही है कि बालिकाओं के शिक्षा के क्षेत्र का प्रसार हो, उसका विकास हो ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि अभी माननीया मन्त्री जी ने पूर्व सवालों के जवाब में बताया है जो परिषदीय जूनियर हाई स्कूल हैं, तो वे परिषदीय जूनियर हाई स्कूल, यदि वहां भवन मौजूद हो, जमीन मौजूद हो, वह पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत हो, और उसके 15-20 कि0 मी0 की दूरी तक चारों तरफ काई स्कूल न हो, तो वह क्रमोत्तर हाई स्कूल बनेगा । मान्यवर, इसी से सम्बन्धित एक जूनियर हाई स्कूल अलीगंज सुल्तानपुर में है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, शासन ने आदेश दे रखा है क्रमोत्तर करने के लिए ?

श्री अध्यक्ष—

जो सुल्तानपुर के बारे में आप बता रहे हैं, उसका जिक्र इसमें नहीं है ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, अभी पिछले वर्ष माननीय मुख्य मन्त्री के आदेश से शिक्षा सचिव ने अलीगंज में एक परिषदीय हाई स्कूल को क्रमोत्तर करने का आदेश दिया, मगर उस पर अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ । क्या इस परिस्थिति को देखते हुये उसको क्रमोत्तर करने के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह देखते हुए कि जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल जो ग्रान्ट इन ऐड पर आ जाते हैं, तो उसका वित्तीय भार सरकार पर पड़ने लगता है, और जिला-परिषदों के संसाधन ऐसे नहीं हैं कि वे आपने जूनियर हाई स्कूलों का उच्ची-

करण अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कर दें । मैं माननीया मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या वे इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगी जिस ब्लाक में कोई हाई स्कूल नहीं है, प्राइवेट या किसी तरह का नहीं है तो उस ब्लाक के अन्दर कम से कम एक जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत करने के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जहां तक मुझे याद है, लगभग 34 ब्लाक्स ऐसे हैं, जहां पर कोई हाई स्कूल नहीं है। शासन की यह नीति है कि जिन ब्लाक में कोई हाई स्कूल नहीं है, तो वरीयता के प्वाइंट आफ व्यू और सब बातों को देखते हुए, हम वहां स्कूल खोलने का प्रयास करेंगे । मान्यवर, परिषद् के स्कूल को हम हाई स्कूल बनायें या राजकीय हाई स्कूल खोलें, तो पैसा उसमें भी लगता है और इसमें भी लगता है। हमारी नीति यह है कि हम परिषद् के स्कूलों का उच्चीकरण न करके, वहां राजकीय हाई स्कूल स्टेट फार्वड करने की व्यवस्था करें, मान्यवर, यह करना ज्यादा सरल और शार्टकट है ।

अतारांकित प्रश्न

मण्डी क्षेत्र में मार्गों के रख रखाव की कथित योजना

1--श्री हरी किशन श्रीवास्तव, श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1978 एवं 1979 में कृषि उत्पादन मण्डियों द्वारा अपने मण्डी क्षेत्र में कृषि उत्पादन ले जाने की सुविधा के लिये मार्गों का निर्माण कराया था ? यदि हां, तो क्या विभाग उन मार्गों के रख-रखाव के लिये कोई योजना बना रहा है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मण्डी शुल्क की आय से सड़क निर्माण का कार्य करना सम्भव नहीं है अतः उक्त धनराशि से मार्गों की रख रखाव की योजना नहीं बनाई जा रही है ।

कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम के निर्माण हेतु अनुदान

2--श्री हरी किशन श्रीवास्तव, श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम के निर्माण में उत्तर प्रदेश शासन ने पिछले पांच वर्षों से कितना अनुदान एवं कितना कर्ज दिया है और उसकी वापसी हो गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने पिछले पांच वर्षों में (वर्ष 1978-79 में रु0 25.00 लाख तथा वर्ष 1981-82 में 30.00 लाख) कुल 55.00 लाख का अनुदान दिया है । शासन द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है, अतएव वापसी का प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा विभागान्तर्गत मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में मण्डलीय मनोवैज्ञानिक के रिक्त पद तथा उक्त पद पर प्रोन्नति का आधार

3--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभागान्तर्गत मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश एवं इसके केन्द्रों के मण्डलीय मनोवैज्ञानिक (कनिष्ट शिक्षा सेवा राजपत्रित श्रेणी-2) के पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा मई, 1982 तक चयन करने के लिये कितने पद अब तक रिक्त हैं ? क्या इन पदों पर पूर्व मानक के आधार पर बनायी गयी सूची के आधार पर प्रोन्नति न देकर मनोविज्ञान शाला में काम करने वाले टीचिंग ग्रेड के एल० टी० ग्रेड के कनिष्ठ लोगों को प्रोन्नति दी जा रही है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन से अधिकारी जिम्मेदार ह ? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

केवल दो पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरदोई में दहर झील के विकास की योजना पर विचार

4--श्री हरीशंकर--

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ का पत्र संख्या 814/1/1982. सण्डी, जिला हरदोई में नहर झील के विकास के सम्बन्ध में निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

जी हां । नहर झील के विकास की योजना को वर्ष 1983-84 की जिला स्तरीय योजना में सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है ।

हाई स्कूल या इण्टर की परीक्षाओं में आरोपों में रोके गये परीक्षाफल की परीक्षार्थियों को सूचना

5--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल या इण्टर की परीक्षाओं में विभिन्न आरोपों में रोके गये परीक्षाफल की सूचना सम्बन्धित परीक्षार्थियों को नहीं दी जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, ऐसी सूचना परीक्षार्थियों को सम्बन्धित प्रधानाचार्यों के माध्यम से दी जाती है ।

राम जानकी दिनकर इण्टर कालेज, जमालापुर, जौनपुर के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री नगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव को पेंशन, प्राविधायी निधि, बीमे का भुगतान

6--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि राम जानकी दिनकर इण्टर कालेज, जमालापुर, जौनपुर के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री नगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने कब अवकाश ग्रहण किया ? क्या उन्हें पेंशन प्राविधायी निधि और बीमे का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 30-6-1980 को ।

जी हां । प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

हरिहर महादेव इण्टर कालेज, देवचंदपुर, वाराणसी में समाज शास्त्र की नियुक्ति में अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

7--श्री प्रभू नारायण सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वांछित आख्या शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सराय ख्वाजा, जौनपुर के सहायक अध्यापक, श्री जय प्रकाश सिंह की हत्या तथा आश्रितों को सामान्य सुविधायें

8--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सराय ख्वाजा, जौनपुर के सहायक अध्यापक, श्री जय प्रकाश सिंह को बोर्ड की परीक्षा से ड्यूटी करके लौटते समय दिनांक 24-3-82 को हत्या करके लाश कुएं में फेंक दी गई थी ? यदि हां, तो मृतक शिक्षक के आश्रितों को अब तक क्या सुविधायें दी गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री जय प्रकाश सिंह, दिनांक 24-3-82 को बोर्ड की परीक्षा ड्यूटी पर नहीं थे अतएव इस दिनांक को परीक्षा ड्यूटी करके लौटते समय उनकी हत्या किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । श्री सिंह की लाश दिनांक 26-3-1982 को कुएं से प्राप्त हुई थी । मृतक के आश्रितों को मान्य सुविधायें पारिवारिक पेंशन, भविष्य निधि, जीवन बीमा उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

सेवा निवृत श्री नन्द किशोर पांडे, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरना, नैनीताल की पेंशन

9--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द किशोर पांडे, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरना, पोस्ट गरमपानी, जनपद नैनीताल 30 जून, 1978 को सेवा मुक्त हुए हैं और उन्हें अभी तक नियमानुसार पेंशन नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? उन्हें कब तक पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । राजकीय सेवा में स्थायी न होते हुए सेवा निवृत्त के कारण उन्हें नियमानुसार पेंशन देय नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कन्या इन्टर कालेज, झांसी में अध्यापिकाओं की दक्षतारोक तथा वेतन वृद्धि

10--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय कन्या इन्टर कालेज, झांसी में 1972 से अब तक किन-किन अध्यापिकाओं को दक्षतारोक पार नहीं कराया गया तथा किन-किन अध्यापिकाओं की वेतन वृद्धियां नहीं लगाई गई ? प्रबन्धविकरण के विभागीय नियमों के विरुद्ध कार्यकलाप के औचित्य की जांच क्या शासन ने की है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा शासन अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

11--श्री भोखा लाल--

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ब्लाक कर्नेलगंज, जनपद गोंडा में कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि का भुगतान

12--श्री भोखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक कर्नेलगंज, जनपद गोंडा के स्टाफ को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त धनराशि का भुगतान स्टाफ को शीघ्र कराने और दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

विकास खंड से स्थानान्तरित आठ कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि का भुगतान कर दिया गया है, स्थानान्तरित कर्मचारियों का पता ज्ञात किया जा रहा है । धन के आहरण में विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी को सचेत किया गया तथा स्थानान्तरित किया गया ।

प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला बेलदारान, जनपद हमीरपुर के वेतन का भुगतान

13--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला बेलदारान, जिला हमीरपुर के प्रधान अध्यापक को पिछले 1-9-81 से आज तक कोई वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और वेतन दिलाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रधान अध्यापक प्राइमरी पाठशाला बम्हौरी बेलदारान, जनपद हमीरपुर के वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि एवं व्यय

14--श्री भीखालाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्त के लिये कितना प्राविधान नकद अथवा अनाज के रूप में किया गया था और उसमें से कितना व्यय किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में केन्द्र सरकार से कुल 3,340 लाख नकद धनराशि प्राप्त हुई थी । उसके विपरीत समतुल्य राज्य सरकार का अंश जोड़ करके अब तक कुल 5014.81 लाख रुपया व्यय हुआ ।

प्रदेश में शीतगृहों की दरें

15--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में शीतगृहों की दरें शासन द्वारा निर्धारित हैं ? यदि हां, तो दरें क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । प्रत्येक वर्ष आलू की भंडारण अवधि के लिए शासन द्वारा शीतगृहों की दरें निर्धारित की जाती हैं ।

वर्ष 1983 की भंडारण अवधि के लिये 18 रु० प्रति कुन्तल की दर निर्धारित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीरो प्रधान, गांव फगुइयां, जिला वाराणसी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

16--श्री ऊदल--

दिनांक 23 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 14 अप्रैल, 1982 को सीरो, प्रधान, गांव फगुइयां, तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी का प्रार्थना-पत्र शिक्षा मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्न में उल्लिखित पत्र सचिवालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

इस प्रकार की शिकायत सर्वप्रथम माह अगस्त, 1978 में प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच अपर जिलाधिकारी से (प्रशासन), वाराणसी द्वारा की गई थी, जो जांचोपरान्त निराधार पाई गई ।

चोल्ह सीड स्टोर, मिर्जापुर में गबन की जांच

17--श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीड स्टोर चोल्ह, जिला मिर्जापुर में लाखों के गबन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश को 28 अगस्त, 1982 को दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार जांच कराने पर शिकायती-पत्र में जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

चोल्ह सीड स्टोर, मिर्जापुर के गबन के मामले से सम्बन्धित तत्कालीन प्रभारी, बीज गोदाम के विरुद्ध विभागीय तथा अपराधिक कार्यवाही चल रही है । और मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

पंचायत राज विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कच्चे मार्गों का निर्माण

18--श्री हरी किशन श्रीवास्तव, श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 एवं 1979 में पंचायत राज विभाग में उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने किलोमीटर कच्चे मार्गों का निर्माण किया है ? वर्तमान शासन उन मार्गों के रख-रखाव के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइवेट स्कूलों एवं कालेजों के राष्ट्रीयकरण पर विचार

19—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राईवेट स्कूलों एवं कालेजों का राष्ट्रीयकरण करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

इसमें निहित विभिन्न जटिल विधिक एवं आर्थिक प्रश्नों के कारण शासन ने सम्प्रति राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को समाप्त कर दिया है ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय में हरिजनों द्वारा हड़ताल तथा मांगों पर निर्णय

20—श्री राम लाल वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में हरिजनों द्वारा किन मांगों को लेकर दिनांक 17 सितम्बर, 1982 से हड़ताल प्रारम्भ की गई तथा प्रश्नगत हड़ताल कब तक चली ? शासन द्वारा उनकी मांगों के सन्दर्भ में क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में स्टेडियम की अनुमानित लागत तथा निर्माण कार्य

21—श्री मित्र सेन—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980-81 में पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनपद फैजाबाद में स्टेडियम का शिलान्यास किया है ? यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है ? अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ न किये जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

स्टेडियम की अनुमानित लागत लगभग 15·00 लाख रुपये हैं ।

स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है । बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य चल रहा है ।

जनपद जौनपुर में कापी निर्माताओं को रियायती मूल्य के कागज का आवंटन

22—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 1981-82 में नियंत्रित मूल्य की कापियों के निर्माण एवं वितरण हेतु जनपद जौनपुर में सरकारी कागज किनको आवंटित किया गया ? क्या यह सत्य है कि इन कापियों के वितरण में अनियमितता की गई ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1981-82 में जनपद जौनपुर के निम्न कापी निर्माताओं को रियायती मूल्य का कागज आवंटित किया गया :--

(1) आनन्द प्रिंटिंग प्रेस, जौनपुर ।

(2) स्टार फाइन प्रिंटिंग प्रेस जौनपुर ।

(3) मौर्या ब्रदर्स, जौनपुर ।

(4) विवेक पेपर प्रोडेक्ट्स, जौनपुर ।

(5) मार्डन फाइन प्रेस, जौनपुर ।

(6) जौनपुर पेपर प्रोडक्स, जौनपुर ।

(7) जौनपुर प्रिन्टर्स इम्पोरियम, जौनपुर ।

(8) सरकार अभ्यास पुस्तिका, जौनपुर ।

(9) नारायण ब्रदर्स, जौनपुर ।

(10) कृष्ण पेपर वर्क्स, जौनपुर ।

जो हां ।

मौर्य ब्रदर्स जौनपुर, विवेक पेपर प्रोडक्ट्स, जौनपुर एवं सरकार अभ्यास-पुस्तिका, जौनपुर को कागज आवंटन से वंचित किया गया तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बुलन्दशहर के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों को दिया गया अनुदान व उसका व्यय

23--श्री छत्तर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 में जनपद बुलन्दशहर के कौन-कौन से प्राइमरी पाठशाला व कौन-कौन से जूनियर हाई स्कूलों को कितना-कितना रुपया दिया गया ? क्या उसका उचित प्रयोग हुआ ? यदि नहीं, तो विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विस्तीर्णता के आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया जाना जनहित में न होगा ।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत जिला परिषद् के विभिन्न प्राइमरी तथा कन्या पाठशालाओं के अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्य मुक्त होने से रोकने के लिये शासनादेश

24---श्री सत्य पाल सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खंड तिलहर के अन्तर्गत जिला परिषद् (बेसिक शिक्षा परिषद्) के विभिन्न प्राइमरी पाठशालाओं

तथा कन्या पाठशालाओं में ऐसे कौन-कौन से अध्यापक तथा अध्यापिकायें हैं जिनकी आयु गत शिक्षा सत्र में ही 60 वर्ष पूरी हो चुकी थी और उन्हें मात्र बीच शिक्षा सत्र में कार्यमुक्त होने में रोकने के लिए तौसी (सेवा) का अवसर दिया गया था ? यदि हां, तो अब इस सत्र में इन्हें कार्य करने का मौका किस शासनादेश के आधार पर तथा क्यों दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पटल गांव, कन्या प्राइमरी विद्यालय का जीर्णोद्धार हेतु श्री लछम सिंह को कार्य का भुगतान

25--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटल गांव कन्या प्राइमरी विद्यालय का जीर्णोद्धार खंड विकास अधिकारी चौखोटिया, जनपद अल्मोड़ा द्वारा वर्ष 1980 में में वर्क आर्डर से श्री लछम सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, ग्राम खत्याड़ी, विकास खंड चौखेटिया ने किया है और श्री लछम सिंह जी को अभी तक इस कार्य का भुगतान नहीं दिय गया है ? यदि हां, तो इसका भुगतान सरकार अविलम्ब करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में जलालपुर स्थित नरेन्द्र देव इन्टर कालेज को भवन अनुदान व्यय

26--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में जिला फैजाबाद में जलालपुर स्थित नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, को भवन अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कितना धन दिया गया था ? तथा उसका व्यय कब हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्यालय के प्रबन्धक का क्या नाम है ? कब से वे प्रबन्धक पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद फैजाबाद में जलालपुर स्थित नरेन्द्रदेव इन्टर कालेज को वर्ष 1977-78 में भवन अनुदान के रूप में 14,400 रु0 (चौदह हजार चार सौ रुपये मात्र) दिये गये । उक्त धन के व्यय के सम्बन्ध में प्रबन्धाधिकरण ने अनेक पत्र लिखने के बाद भी अब तक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है । प्रबन्धक का नाम श्री सर्वजीत लाल वर्मा है तथा दिनांक 30-4-1971 से वे इस पद पर कार्य कर रहे हैं ।

जलालपुर, जिला फैजाबाद स्थित नरेन्द्रदेव इन्टर कालेज में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी सी0 टी0 डी0, पी0 एफ0 की धनराशि

27--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर, जिला फैजाबाद स्थित नरेन्द्र देव इन्टर कालेज में वर्ष 1976 से कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्म-

चारियों के वेतन से प्रति मास काटे जाने वाली सी0 टी0 डी0 पी0 एफ0 तथा बीमा की धनराशि कितनी-कितनी है और इन मदों से सम्बन्धित खातों में कब व कितनी-कितनी धनराशि जमा की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद की प्रबन्ध समिति में चल रहा कथित विवाद

28—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में चल रहे विवाद की कोई अपील विद्यालय की तथाकथित प्रबन्ध समिति द्वारा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश के यहां उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मंडल के निर्णय के विरुद्ध लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त अपील कब की गयी ? तथा किसके द्वारा की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जलालपुर स्थित नरेन्द्र देव इन्टर कालेज को रिएम्बर्समेंट स्वरूप मिली धनराशि तथा वेतन एकाउन्ट एवं प्रबन्धक में जमा की गई धनराशि

29—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 5 वर्षों में जिला फैजाबाद की जलालपुर स्थित नरेन्द्र देव इन्टर कालेज को किन-किन वर्षों में तथा कितना-कितना धन रिएम्बर्समेंट स्वरूप मिला है और गत 5 वर्षों में वर्षवार कितना कितना धन वेतन एकाउन्ट एवं प्रबन्धक में जमा हुआ ? क्या यह सही है कि उपरोक्त प्राप्त धन नियमानुसार सम्बन्धित खातों में नहीं जमा किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में छपवाये गये प्रश्न पत्र, उत्तर-पुस्तिकाओं का प्रकार तथा क्रय की दर

30—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी ने 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में प्रश्न-पत्र किस दर से और कहां-कहां से छपवाया है उसकी देखरेख किस अधिकारी ने की है तथा उपरोक्त वर्षों में उत्तर-पुस्तिकाएं किस दर से क्रय की गई और विद्यार्थियों को किस दर से विक्रय की गई हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1979-80 में जूनियर हाई स्कूल के परीक्षा के प्रश्न-पत्र रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा छपवाये गये थे। 1980-81 और 1981-82 में उक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी द्वारा प्राइवेट प्रेसों से छपवाये गये थे। प्रेसों के नाम बताया जाना जनहित में न होगा। इनकी देखरेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश में उप विद्यालय निरीक्षक, अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं प्रभारी जूनियर हाई स्कूल परीक्षा द्वारा की गयी।

वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में उत्तर-पुस्तिकायें निम्न-लिखित दरों पर क्रय की गयी :

वर्ष	उत्तर-पुस्तिकाओं का प्रकार	क्रय की दर
1979-80	4 पेजी	51.30 रुपये प्रति हजार
	12 पेजी	157.00 रुपये प्रति हजार
1980-81	4 पेजी	31.50 रुपये प्रति हजार
	12 पेजी	97.25 रुपये प्रति हजार
1981-82	8 पेजी	6.25 रुपये प्रति सैकड़ा
	16 पेजी	12.50 रुपये प्रति सैकड़ा

उत्तर-पुस्तिकायें विद्यार्थियों को बेची नहीं जाती हैं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध आरोपों की जांच

31--श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' तथा श्री कृष्ण मंगल सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 171 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र क्या था तथा 27-8-1982 को प्राप्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शासन को प्राप्त माननीय सदस्य श्री प्रियदर्शी जेतली के दिनांक 15 फरवरी, 1982 के शिकायती-पत्र में प्राइमरी पाठशाला, तांजपुर व हाजीपुर मरुई के विवाद के सम्बन्ध में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद पर भ्रष्टाचार, पक्षपात, कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता व निष्ठावान न होने की शिकायत की गई थी तथा शिकायती-पत्र में दिये गये तथ्यों की जांच किसी मैजिस्ट्रेट अथवा उप शिक्षा निदेशक के नीचे के अधिकारियों के स्तर से कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई थी।

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक से माननीय विधायक के उक्त शिकायती-पत्र पर जांच आख्या प्राप्त हुई है, जिसमें कतिपय आरोपों को सही बताया गया है। प्राप्त जांच आख्या पर कार्यवाही की जा रही है।

32—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

हरिजन कूपों का निर्माण

33—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 1980-81 में कितने हरिजन कूपों का निर्माण हुआ और कितना 1981-82 में प्रस्तावित है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1980-81 में 4864 हरिजन कूपों का निर्माण किया गया। योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के लिए 1550 कूप, 1216 हैन्ड पम्प तथा 425 डिग्गियों का लक्ष्य प्रस्तावित हुआ था।

विकास खंड, दरियाबाद के कतिपय लघु/सीमान्त कृषकों को भूमि विकास बैंक, राम सनेहीघाट से बोरिंग व पम्पिंग सेट हेतु ऋण

34—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, 1980 में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खंड, दरियाबाद के कतिपय लघु सीमान्त कृषकों ने बोरिंग व पम्पिंग सेट हेतु बैंक से ऋण लिया था जिस पर उन्हें नियमानुसार छूट (अनुदान) मिलनी थी जो नहीं मिली, जिसके सम्बन्ध में कृषक श्री त्रिभुवन, निवासी ग्राम खजूरिहा, विकास खंड, दरियाबाद ने दिनांक 22-1-81 को रजिस्टर्ड शिकायती प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी, बाराबंकी, खंड विकास अधिकारी, दरियाबाद को भेजा था ? यदि हां, तो ऋण पर छूट न दिये जाने का क्या कारण है तथा उपरोक्त शिकायत, प्रार्थना पत्रों-पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मार्च, 1980 में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खंड, दरियाबाद के कतिपय लघु/सीमान्त कृषकों को भूमि विकास बैंक, राम सनेहीघाट से बोरिंग व पम्पिंग सेट हेतु लघु सिंचाई योजना अन्तर्गत ऋण दिया गया था। इन समस्त पात्र लघु/सीमान्त कृषकों को नियमानुसार अनुदान दिया जा चुका है।

श्री त्रिभुवन, निवासी ग्राम खजुरिहा, विकास खंड, दरियाबाद का रजिस्टर्ड शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-1-81 प्राप्त हुआ। इनके अध्यापक पुत्र को इनके परिवार में होने तथा उसके वेतन आदि को मिला कर परिवार की आय बढ़ जाने के कारण इन्हें उस समय भूमि विकास बैंक शाखा, राम सनेही घाट बाराबंकी से लिए गए ऋण अंकन 6,500 रु० पर 25 प्रतिशत अनुदान नहीं स्वीकृत किया जा सका। इनके अध्यापक पुत्र की आय को इनके परिवार में

सम्मिलित करते हुए इन्हें प्राप्त ऋण 20 प्रतिशत अनुमान्य अनुदान लघु सिंचाई योजनान्तर्गत दिया जा रहा था, किन्तु उसको श्री त्रिभुवन स्वीकार नहीं कर रहे थे ।

श्री त्रिभुवन ने अपने पुत्र को अपने परिवार से अलग बताया किन्तु सबूत में कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया । श्री त्रिभुवन द्वारा दिनांक 30-1-83 को अपने पुत्र के अलग रहने का प्रमाण-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप नियमानुसार उनके ऋण अंकन पर अनुदान भूमि विकास बैंक शाखा, राम सनेहीघाट के माध्यम से समायोजित करा दिया गया है ।

जनता उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, बदोसराय के परीक्षा केन्द्र के कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान

35--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत जनता उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, बदोसराय वर्ष 1980 में बोर्ड आफ हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट का परीक्षा केन्द्र था, के कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पारिश्रमिक का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा और अब तक न दिये जाने के क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हां ।

केन्द्र का पारिश्रमिक पावना पत्र आपत्तियों के निवारण के पश्चात् 1-8-81 के बाद परिषद् कार्यालय में प्राप्त हुआ । चूंकि देयक एक वर्ष पुराना हो गया था अतएव, वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5, भाग-1 के नियम 74 (ए) के अन्तर्गत पूर्व जांच हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को परिषद् कार्यालय के पत्र संख्या (अर्थ)(2)/2741, दिनांक 3-10-81 द्वारा भेजा गया । महालेखाकार ने देयक पर आपत्ति की, जिसका निवारण कर देयक पुनः महालेखाकार को परिषद् कार्यालय के पत्र संख्या अर्थ (2)/2091, दिनांक 4-10-82 द्वारा भेजा गया । महालेखाकार ने देयक पर पुनः आपत्ति की, जिसे दूर कर परिषद् कार्यालय के पत्रांक अर्थ (2)/5853, दिनांक 31-1-83 द्वारा उन्हें पुनः प्रेषित किया गया है पूर्व जांच के बाद महालेखाकार द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकेगा ।

कु0 करुणा वर्मा, अंग्रेजी प्रवक्ता, आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा को शेष वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

36--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र क्र0 2633/82, दिनांक 13-8-1982, जिसमें कु0 करुणा वर्मा, अंग्रेजी प्रवक्ता, आर्य कन्या इन्टर कालेज, टाण्डा, जिला फैजाबाद के शेष वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

*37--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुमारी जाफरी बेगम, उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका के गाजीपु स्थानान्तरण पर रोक

38--श्री झिलमिट राम--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुसम्मात सोगरा बेगम के प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 9-8-1982 को कुमारी जाफरी बेगम, उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बलिया को इसी पद पर गाजीपुर जनपद में रिक्त स्थान पर किये जाने हेतु दिया था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मन्त्री जी के आदेश के होते हुए भी इनका ट्रांसफर न करके श्रीमती विमला कपूर कैसे पदस्थ की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

स्थानान्तरण पर रोक लगी होने के कारण उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, गाजीपुर के पद पर कुमारी जाफरी बेगम स्थानान्तरित न की जा सकी तथा इस पद पर श्रीमती विमला कपूर पदोन्नति द्वारा पदस्थ की गयीं ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या व उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या

39--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को यह जानकारी है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में श्रेणी एक तथा दो के अधिकारियों की संख्या कितनी है ? उनके अधीन कार्य करने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? क्या यह सही है कि इसी तरह के प्रदेश के तथा अन्य प्रदेशों में कार्यरत विभागों में द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को अनुपात 1 और 4 का होता है। यदि हां, तो इस विभाग के उक्त संगठन में अनुपात की अवहेलना का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 21 एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 73 है, उनके अधीन कार्य करने वाले तृतीय श्रेणी में तकनीकी कर्मचारियों की संख्या 69 है । जो कार्य के अनुरूप एवं समय-समय पर प्रसारित शासकीय आदेशों के अन्तर्गत है । 1 और 4 का अनुपात जहां क्षेत्रीय एवं निर्माण कार्य होते हैं वहां लागू होता है । यह संगठन अनुसंधान प्रकृति का है । अतः उक्त अनुपात इस संगठन में लागू नहीं होता ।

ग्राम सभा स्तर पर प्राइमरी पाठशालाओं को खोलने का प्रस्ताव

40--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी पाठशालाओं को खोलने के प्रस्ताव पर निर्धारित मानक के आधार पर सर्वप्रथम ग्राम सभा स्तर पर प्राथमिकता दी जायेगी ? यदि हां, तो विकास खंड, हैरिंगटन गंज, फैजाबाद की कौन सी ऐसी ग्राम सभाएं हैं जिनमे एक भी प्राइमरी पाठशाला अभी तक संचालित नहीं है और कौन-कौन सी ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां पर दो-दो प्राइमरी पाठशालाएं संचालित की जा रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

ग्राम सभा खड़मड़िया, भिटारी, चिलविली, बिजैनपुर, सराय मजरा, डोहभरयो, भालईपुर, गंगापुर, निजामतपुर, संथूतारा, देवकली, परवरपारा, देयावैश्म, चन्दोपुर, नगहरा, बड्डाडा, जारबा, असवारखुर्द, हरनाथपुर ।

ग्राम सभा निमड़ी ।

आगरा जिले के पंचायत राज अधिकारी कार्यालय मे व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभागीय लिपिक श्री परमार सिंह राना द्वारा अनशन

41--श्री विजय सिंह राना--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभागीय लिपिक श्री परमार सिंह राना ने 1 सितम्बर, 1982 से आमरण अनशन करने की पूर्व सूचना दी थी यदि हां, तो इसमें श्री परमार सिंह की मुख्य शिकायतें क्या थी और उन पर कोई जांच कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अध्यापकों के वार्ड की शिक्षण शुल्क से मुक्ति तथा क्षतिपूर्ति का सरकार द्वारा भुगतान

42--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों के वार्ड (छात्र) को शिक्षण शुल्क मुक्त करने के साथ सरकार द्वारा यह भी व्यवस्था की गयी है कि शिक्षण शुल्क के मुक्ति से जो क्षति होगी उसे शासन क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करेगी ? यदि हां, तो बस्ती के कितने विद्यालय के अध्यापक के पाल्यों और किन-किन विद्यालयों को उक्त भुगतान अभी तक नहीं किया गया क्या सरकार भुगतान करने के लिए सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालय तथा शिक्षा शुल्क का भुगतान

43—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और उन विद्यालयों में से कक्षा 6 का शिक्षा शुल्क गत कितने वर्षों से किन-किन विद्यालय को नहीं भुगतान हुआ ? किस-किस विद्यालय का कितना-कितना धन बकाया है ? इसे भुगतान करने के लिए सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, गोरखपुर द्वारा प्रमाणीकरण हेतु पंजीकृत उत्पादकों एवं क्षेत्रफल का विवरण

44—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1981-82 में उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था शाखा, गोरखपुर द्वारा कितने बीज उत्पादकों का कितना-कितना खेत बीज उत्पादन के लिए पंजीकरण किया गया ? जिन बीज उत्पादकों के बीज नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा गया था उनकी अलग-अलग रिपोर्ट क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

वर्ष 1981-82 में उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, गोरखपुर शाखा के अन्तर्गत 218 बीज उत्पादकों के 1438·53 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पंजीकरण किया गया । उत्पादकनार क्षेत्रफल का विवरण संलग्न है ।

(संलग्नक-1) ।

उपर्युक्त प्रक्षेत्रों/उत्पादकों के 261 नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गये । इनमें से 232 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये एवं 29 नमूने अंकुरण में मानकों से न्यून पाये गये, फलस्वरूप निरस्त किये गये । रिपोर्ट संलग्न है ।

(संलग्नक-2)

†(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1350 पर ।)

श्री शैलेन्द्र सिंह, ग्राम व पो0 लहेनी, जिला देवरिया का बीज उत्पादक के रूप में क्षेत्रफल का पंजीकरण

45--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शैलेन्द्र सिंह ग्राम पो0 लहेनी, जिला देवरिया का राष्ट्रीय बीज निगम के बीज उत्पादक के रूप में उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, शाखा गोरखपुर द्वारा वर्ष 1981-82 में कुल कितने हेक्टेयर खेत का पंजीकरण किया था ? क्या यह सच है कि उक्त बीज उत्पादक के गेहूं की प्रोसेसिंग 9 जून, 1982 को हुई थी जिसका नमूना प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट 6 माह तक न मिलने का कारण क्या था और इससे होने वाली उक्त बीज उत्पादक की क्षति का जिम्मेदार कौन है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री यशपाल सिंह--

श्री शैलेन्द्र सिंह का बीज उत्पादक के रूप में वर्ष 1981-82 में 11·00 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पंजीकरण किया गया था । उक्त बीज उत्पादक के गेहूं का विधायन राष्ट्रीय बीज निगम, गोरखपुर द्वारा दो लाट्स में दिनांक 9-6-82 से दिनांक 11-6-82 तक तथा दिनांक 16-6-82 से 18-6-82 तक किया गया था । प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने में 6 माह नहीं लगे थे । एक लाट का नमूना दिनांक 18-6-82 को लिया गया था तथा उसके परीक्षण परिणाम राष्ट्रीय बीज निगम, गोरखपुर शाखा को दिनांक 14-7-82 में प्रेषित कर दिए गये थे । क्योंकि श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा एक ही पंजीकरण व प्रजाति की उपज को तीन बार प्रस्तुत किया गया था तथा दो लाट्स में विभाजित किया गया इसलिए इसकी समानता की जांच करना आवश्यक हो गया । बीज की गुणता व समानता की पुष्टि के लिए हिट्रोजिनीइटी टेस्ट करने के लिये दोनों लाट्स से पांच पांच नमूने दिनांक 28-9-82 को लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गये । परिणामों की सूचना दिनांक 21-10-82 को राष्ट्रीय बीज निगम को प्रेषित कर दी गई । हिट्रोजिनाइटी टेस्ट के संतोषप्रद परिणाम के उपरान्त ही बीज का प्रमाणीकरण कर दिया गया इसके उपरान्त बीज का भुगतान श्री शैलेन्द्र सिंह को राष्ट्राय बीज निगम द्वारा कर दिया गया । इस प्रकार उत्पादक को क्षति नहीं हुई । अतः इस मामले में किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मंडी समितियों में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के सदस्यों की सचिव/सहायक सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति

46--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मंडी परिषद् के नियंत्रणाधीन मंडी समितियों में सचिव पदों पर अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के सदस्यों एवं विशेष अधिकारी के पदों पर मंडी नियमावली, 1965 के नियम 59 में क्रमशः निर्धारित अर्हता न रखने व पद न सृजित होने के विरुद्ध प्रति नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो मंडी सचिव पद के प्रशिक्षण प्राप्त विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति व नियुक्तियां क्यों नहीं की गयी ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

सचिव पद का प्रशिक्षण प्राप्त अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के सदस्यों को सचिव/सहायक सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता रहा है ।

विशेष अधिकारियों (जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था) को सचिव पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है ।

कृषि विपणन विभाग के मंडी सचिव प्रशिक्षण प्राप्त विभागीय कर्मचारियों को उपलब्धता की दशा में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है ।

नगरपालिका बेसिक प्राइमरी पाठशाला बापू साहब, जालौन का भवन

47--श्री दलगंजन सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि नगर पालिका बेसिक प्राइमरी पाठशाला बापू साहब, जालौन वर्ष किराये के मकान में चल रहा है और क्या यह मकान गिर गया है ? यदि हां, तो पाठशाला कहां लगती है और क्या शिक्षा विभाग में किरायेदारी समाप्त करके कब्जा मकान मालिक को दे दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

जी हां ।

पाठशाला शिफ्टों में नगरपालिका कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशाला काशी-नाथ भवन में चलायी जा रही है ।

जी नहीं, भवन पूर्णतया खाली करा कर मालिक मकान को दिये जाने की कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन द्वारा की जा रही है ।

प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के रिक्त पद

48--श्री फखरे आलम--

क्या शिक्षा मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के कितने स्थान थे और उनमें से कितने स्थानों पर नियुक्ति हुई तथा कितने और स्थान रिक्त हैं ? यदि स्थान रिक्त है तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जगदीश सिंह, प्रवक्ता इंटर कालेज दुबारी, आजमगढ़ द्वारा अनियमित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

49--श्री मोहन सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश सिंह, प्रवक्ता इंटर कालेज, दुबारी, आजमगढ़ के लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहने के बाद भी सक्षम अधिकार नियंत्रक द्वारा अनियमित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 10-12-80 अथवा उसके आस-पास शासन को मिला है ? यदि हां, तो अनियमित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

50-51--श्री दलगंजन सिंह--

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 29-30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विकास खंड खैराबाद, ऐलिया तथा परसेडी में स्थित जूनियर हाई स्कूलों में छात्रों की संख्या तथा अध्यापकों की नियुक्ति

52--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद, ऐलिया तथा परसेडी में स्थित जूनियर हाई स्कूलों (बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित) में वहाँ की छात्र संख्या तथा विषयों को देखते हुए कितने-कितने अध्यापक विद्यालय वार चाहिए और कितने-कितने अध्यापक आज हैं ? जो अध्यापक कम हैं उनकी नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिषदीय जूनियर हाई स्कूल ग्राम रखौना, जिला सीतापुर में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

53--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिषदीय जूनियर हाई स्कूल ग्राम रखौना विकास खंड परसेंडो, जिला सीतापुर में वित्तीय वर्ष 1981-82 में अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग के कितने छात्र थे तथा हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कितनों को मिली ? वर्ष 1982-83 में इसी प्रकार हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग के कितने छात्र हैं तथा कितनों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन का गठन, बैठकें तथा कार्यालय अधीक्षक, श्री बिहारी लाल श्रीवास्तव द्वारा दिया गया अभियोग-पत्र

54--श्री कैलाश चन्द्र--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण, संगठन किन उद्देश्यों के लिए गठित हुआ है ? क्या 1 अक्तूबर, 1981 से 30 सितम्बर, 1982 तक बोर्ड की कोई विधिवत् मीटिंग हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

भूगर्भ जल सर्वेक्षण का संगठन, भूगर्भ जल के अन्वेषण, नियोजन, प्रबन्ध एवं विकास हेतु किया गया है । यह विभाग बोर्ड नहीं है । बल्कि शासकीय विभाग है । विभागीय एवं शासन स्तर पर आवश्यकतानुसार बैठक होती रहती है ।

55—श्री कैलाश चन्द्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण बोर्ड के मुख्यालय के कार्यालय अधीक्षक, श्री बिहारी लाल श्रीवास्तव का दिनांक 22-9-82 का 13 सूत्रीय अभियोग-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री बिहारी लाल श्रीवास्तव के नाम से दिनांक 22-9-82 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था । जांच से यह ज्ञात हुआ कि इस पत्र पर श्री बिहारी लाल श्रीवास्तव के जाली हस्ताक्षर हैं । मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर के प्रस्तर 771(3) के प्राविधान के अन्तर्गत इस प्रकार के जाली शिकायती पत्रों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

56—श्री भोखा लाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मंडी समिति बांगरमऊ, जिला उन्नाव द्वारा श्रम के बदले खाद्यान्न योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

57—श्री भोखा लाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मंडी समिति बांगरमऊ, जिला उन्नाव द्वारा जिलों में कौन सी सड़कें श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाई गई हैं और उनकी पृथक्-पृथक् लम्बाई क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मंडी समिति बांगरमऊ, जिला उन्नाव द्वारा श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कें बनाई गई हैं—

1—चारोथाना कुरसठ सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 5 किलोमीटर ।

2—आगापुर से संडीला रोड तक, लम्बाई 2.1 किलोमीटर ।

3—कबीरपुर से संडीला रोड तक, लम्बाई 1.8 किलोमीटर ।

4—देवगांव से निहालपुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 2.8 किलोमीटर ।

5—पुरथ्यावां से संडीला औरास रोड तक, लम्बाई 2.00 किलोमीटर ।

2—उपरोक्त मार्गों में से देवगांव से निहालपुर सम्पर्क मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खड़ंजा का कार्य किया जा रहा है । पुरथ्यावां से संडीला औरास मार्ग पर खड़ंजा का कार्य अवशेष है । शेष मार्गों पर खड़ंजा एवं पुलिया का कार्य पूर्ण है ।

जनपद बदायूं में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल खोले जाने हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति का निर्णय तथा उक्त समिति के सदस्य

58—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि वर्ष 1981-82 में जनपद बदायूं में कितने प्राइमरी स्कूल एवं कितने जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत किये गये इनको खोले जाने हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति ने क्या-क्या निर्णय लिया था ? क्या उक्त निर्णय के आधार पर ही उक्त स्कूल खोले जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त स्कूल किन-किन स्थानों पर खोले जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

59—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला शिक्षा सलाहकार समिति में स्थानीय विधायकगण एवं सांसद सदस्य इसके सदस्य हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी अध्यक्षता विधायकगण अथवा सांसदों द्वारा की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कस्बा फफूंद से ग्राम सलहापुर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर व्यय

60—श्री धनीराम वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तृतीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि इटावा जनपद के कस्बा फफूंद से ग्राम सलहापुर तक बनाये गये 4 किलोमीटर सम्पर्क मार्ग के बनवाने में सरकार का कितना धन व्यय हुआ है ? क्या इस सम्पर्क में पुलिया (कलवर्ट) भी बनवाई गई ? यदि हां, तो कितनी और उन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कस्बा फफूंद में ग्राम सलहापुर तक का सम्पर्क मार्ग 3.977 किलोमीटर खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनवाया गया जिसमें 291.25 कुन्टल गेहूं जिसका मूल्य 34,950.00 रु0 एवं 45,48,250 कुन्टल चावल जिसका मूल्य 5,360.55 रु0 है, व्यय हुआ । इस प्रकार कुल लागत 40,310.55 रु0 है । सम्पर्क मार्ग पर कोई भी पुलिया नहीं बनाई गई है । 3.977 किलो मीटर में से बीच में 866 मीटर सड़क नहीं बनी है ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सामूहिक बीमा योजना की सुविधा

61--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामूहिक बीमा योजना की संशोधित दरें राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए कब से लागू की गई तथा यह सुविधा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को कब से दी गई ? गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को सुविधा विलम्ब से देने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को यह सुविधा 1 मार्च, 1980 से दी गई है तथा सहायता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को यह सुविधा 1 मार्च, 1982 से दी गई है। सहायता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को यह सुविधा देर से इसलिये मिल सकी कि प्रकरण के विभिन्न पहलुओं के विषय में विचार हो रहा था।

कमला महेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर को स्वीकृत भवन अनुदान को जमा करने की नोटिस, आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के बारे में शिकायती-पत्र

62--श्री अजहर ईमाम तथा श्री कल्लू राम--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कमला महेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर को जिसकी अपनी कोई भूमि, भवन नहीं है, को शासन द्वारा भवन अनुदान के रूप में वर्ष 1972-73 से अब तक 55,000 रु० स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो दिनांक 5-11-81 को आडिट द्वारा आपत्ति किये जाने के बाद क्या उक्त धनराशि को वापसी राजकोष में कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

महाविद्यालय की भूमि वार्षिक लीज पर है। उसे 1971-72 से अब तक 55,000 रु० स्वीकृत किया गया है।

जी नहीं।

महाविद्यालय को धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अन्यथा एक मुश्त धनराशि राजकोष में 28-2-1983 तक जमा करने के लिये नोटिस दी गई है ?

63--श्री अजहर ईमाम तथा श्री कल्लू राम--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1981 में श्री अमरेश चन्द्र मिश्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, मिर्जापुर ने शिक्षा मंत्री को एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को कमला महेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर में व्याप्त आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायती पत्र भेजा है, यदि हां, तो वे शिकायतें क्या थीं ? क्या उनकी जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

एक दिनांक रहित पत्र जनवरी, 1982 में प्राप्त हुआ।

उक्त पत्र की मुख्य शिकायतें निम्नलिखित थीं :

(i) महाविद्यालय में प्राचार्या की अवैधानिक नियुक्ति।

(i) राजकीय अनुदानों का दुरुपयोग।

(iii) अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान में अनियमिततायें।

(iv) प्रबन्ध समिति का विधिवत गठन न होना।

जी हां

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा, ग्राम सोहेला के रास्ते पर खड़ंजा बिछाने की मांग

64—श्री विजय सिंह राना—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास खंड बिमउरी के अन्तर्गत ग्राम सोहेला के रास्ते पर खड़ंजा बिछाने के संबंध में (उनके) दिनांक 12-7-82 को हुए आदेशों के अनुपालनार्थ क्या कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

शासनादेश सं0 2666-ए/2-न0 वि0-7-0 के0 (1)—79, दिनांक 8-7-1982 के द्वारा ग्राम सोहला नगरमहापालिका आगरा की सीमा में आ गया है। नगर महापालिका की सीमा में आ जाने के कारण इस ग्राम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खड़ंजा लगवाना सम्भव नहीं है।

अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री अयोध्या प्रसाद सिंह को पेंशन, प्राविधायी निधि, जीवन बीमे का भुगतान

65—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजा हरपाल सिंह इन्टर कालेज, सिंगरमऊ जौनपुर के सहायक अध्यापक श्री अयोध्या प्रसाद सिंह ने माह जून, सन् 1978 में ही अवकाश ग्रहण कर लिया था ? क्या यह भी सत्य है कि उन्हें पेंशन, प्राविधायी निधि और जीवन बीमे का भुगतान आज तक नहीं किया गया ? क्या सरकार अवकाश प्राप्त शिक्षक को देय सुविधायें तत्काल उन्हें उपलब्ध कराएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत अवकाश प्राप्त अध्यापक को प्राविधायी निधि तथा जीवन बीमे के धन का भुगतान किया जा चुका है। उनके पेंशन का प्रकरण संबंधित अधिकारी को स्वीकृत हेतु भेज दिया गया है।

श्री सतीश नारायण माथुर, मुख्य लिपिक, ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ के विरुद्ध आरोप-पत्र

66--श्री दामोदर शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-1-1982 को सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री सतीश नारायण माथुर, जो कि वर्तमान में अतिरिक्त जिला विकास (परियोजना) परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ में मुख्य लिपिक के पद पर कार्यरत हैं, के विरुद्ध, मेरठ विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल में किये गये गम्भीर अनियमितताओं का आरोप-पत्र उनके विभाग को भेजा गया है ? यदि हां, तो आरोप पत्र क्या है और विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

श्री सतीश नारायण माथुर, को दिनांक 13-10-1981 को आरोप-पत्र जारी किया गया था, जबकि 28-1-1982 को उनके विरुद्ध निम्नलिखित चार आरोप थे :

1--प्राधिकरण के भूतपूर्व सचिव, श्री आर0के0 मित्तल द्वारा अभिलिखित चरित्र प्रविष्टियां जो कि श्री माथुर की अभिरक्षा में 2-3-81 को सौंपी गई थी, कार्यभार सौंपते समय कार्यालय में नहीं देना ।

2--कार्यालय की एमरजेंसी लाइट (मूल्य 425 रु0) प्रत्यावर्तन की दिनांक 9-4-81 से 24-9-81 तक की अवधि में अनाधिकृत रूप से रखना ।

3--उक्त एमरजेन्सी लाईट के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने पर इस आशय की झूठी रिपोर्ट देना कि एमरजेन्सी लाईट उनके पास नहीं है ।

4--प्रत्यावर्तन के समय कार्यमुक्त होने के बावजूद कार्यभार नहीं सौंपना ।

उपरोक्त आरोपों के आधार पर प्राधिकरण ने विभागीय कार्यवाही को जारी करते हुये दिनांक 23-1-1982 को उनके पैतृक विभाग के स्थानीय कार्यालय अर्थात् मुख्य विकास अधिकारी को भेज दिया । मामले में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

ग्राम रसूलपुर जिला मुजफ्फरनगर में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की मांग

67--श्री राम अवतरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड शुक्रताल बाजार, जिला मुजफ्फरनगर में कन्या जूनियर हाई स्कूल है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस बारे में एक कन्या जूनियर हाई स्कूल खोले जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

वर्तमान में शासन की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या जूनियर हाई स्कूल स्थापित करने की नहीं है, अपितु सभी जूनियर हाई स्कूलों को बालक तथा बालिकाओं के लिये मिश्रित विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाता है। अतः प्रश्नगत ग्राम में कन्या जूनियर हाई स्कूल स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला सुल्तानपुर में रहमानीपुर मजरे में स्थित कुओं का खसरा नम्बर तथा जमीन के मालिक का नाम

68--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रहमानीपुर में स्थित कुओं का खसरा नं0 क्या है और उस जमीन का मालिक कौन है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला सुल्तानपुर में रहमानीपुर नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है। ग्राम रसूलपुर में एक स्थान पर एक मकान, एक मस्जिद तथा एक कूप है, जिसे लोग रहमानीपुर कहते हैं। इस मजरे में स्थित कूप का खसरा नं0 1155 है। इस जमीन के मालिक श्री अब्दुल वाहिद पुत्र श्री मुस्तफा हैं।

ग्राम रसूलपुर में पुलियों का निर्माण एवं पेयजल कूपों का सुधार

69--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर में कब-कब किस सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करायी गयी है ? पुलिया कहां पर और कब बनवायी गयी है क्या वह मौके पर मौजूद है ? पेय जलकूप सुधार कब और किस-किस कुओं का किया गया है यह कुएं सरकारी ह या निजी हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम रसूलपुर में कोई सम्पर्क मार्ग नहीं है और न किसी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराई गई है। पुलियों का निर्माण का विवरण निम्न प्रकार है :--

पहली पुलिया जगदीशपुर बाजार शुकुल की पक्की सड़क से पूरे स्वयंबर जाने वाले रास्ते पर वर्ष 1967-68 में, दूसरी तथा तीसरी पुलिया जगदीशपुर बाजार शुकुल पक्की सड़क से पूरे बबुईन जाने वाले रास्ते पर वर्ष 1969-70 में ग्राम सभा द्वारा बनवाई गई। चौथी पुलिया पूरे बबुईन से पूरे लाल जाने वाले रास्ते में वर्ष 1977-78 में विकास खंड द्वारा बनवाई गई। सभी पुलियां मौके पर मौजूद हैं।

पेयजल कूपों का सुधार, पूरे बादल में श्री अहद के दरवाजे वर्ष 1968-69 में, एक कूप का गुमानी गंज में हकीम फकीर के दरवाजे पर वर्ष 1968-69 में तथा एक कूप का पूरे लाल में श्री नूर के दरवाजे पर 1976-77 में ग्राम सभा द्वारा कराया गया। यह सभी कूप निजी हैं।

ग्राम सभा रसूलपुर के पुरवों में निजी व सरकारी हरिजन पेयजल कूप, हैण्ड पम्प की संख्या

70--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर तथा उसके 10 पुरवे के निजी व सरकारी कुआं एवं हैंड पम्प की संख्या क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम सभा रसूलपुर के समस्त पुरवों में 82 कूप निजी तथा एक सरकारी हरिजन पेयजल कूप एवं 14 हैण्ड पम्प हैं ।

जनपद गोण्डा में नवाबगंज स्थित सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में नियुक्तियां एवं विमुक्तियां

71--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोण्डा में नवाबगंज स्थित सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में 1971 से 1982 के मध्य कुल कितनी नियुक्तियां एवं विमुक्तियां की गई हैं और शासन द्वारा निर्धारित नियुक्ति एवं विमुक्ति सम्बन्धी पूर्वानुमोदन विज्ञापन इत्यादि की औपचारिकताओं की पूर्ति की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों उपरोक्त अवैध नियुक्तियों एवं विमुक्तियों के प्रति सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

31 नियुक्तियां एवं 19 विमुक्तियां की गयीं ।

जी नहीं ।

प्रबन्ध तन्त्र को अतावधानी । संस्था के प्रबन्धतन्त्र को चेतावनी दी गयी तथा अनुदान अस्थायी रूप से रोका गया ।

जिला परिषद् बरेली द्वारा हरिजन छात्रावास हेतु क्रय की गयी भूमि पर अनधिकृत कब्जा के विरुद्ध कार्यवाही

72--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बरेली द्वारा गत दस बारह वर्ष पूर्व हरिजन छात्रावास हेतु धन्वन्तरि मार्ग, बरेली पर क्रय की गयी भूमि (लगभग 1760 वर्ग गज) पर परिषद् द्वारा अब तक छात्रावास का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त भूमि परिषद् के अधिकार में है अथवा किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव --

धनाभाव के कारण छात्रावास का निर्माण नहीं कराया जा सका । जिला परिषद् द्वारा क्रय किए गये दो भूखंडों में से छोटे भूखंड जिसका क्षेत्रफल 148 1/9 वर्ग गज है, पर परिषद् के निलम्बित कर निरीक्षक श्री हरि प्रकाश गुप्ता द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है । उनके विरुद्ध उक्त भूखंड खाली कराने हेतु प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है और उन्हें आरोप-पत्र दिया जा चुका है ।

शिक्षा विभाग में सतर्कता सेल का गठन

73--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा विभाग में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सतर्कता सेल का गठन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

इसकी आवश्यकता नहीं है ।

जनपद देवरिया के बनकटा, भाटपार रानी एवं भटनी ब्लाकों में भवनहीन व क्षतिग्रस्त प्राइमरी पाठशालाओं की सूची

74--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा, भाटपाररानी एवं भटनी ब्लाकों में कहां-कहां प्राइमरी पाठशाला है ? कहां-कहां भवन हैं कौन-कौन विद्यालय भवनहीन हैं ? किन-किन विद्यालयों के भवन गिर गए हैं या क्षतिग्रस्त हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद देवरिया के बनकटा, भाटपाररानी एवं भटनी ब्लाकों के प्राइमरी पाठशालाओं, भवन सहित विद्यालयों, भवनहीन विद्यालयों तथा ऐसे स्कूलों, जिनके भवन गिर गये हैं अथवा क्षतिग्रस्त हैं की सूचियां संलग्न हैं ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1353 पर ।)

जनपद देवरिया के भटनी, बनकटा एवं भाटपार ब्लाक में हाई स्कूल/इन्टर कालेज व छात्र एवं अध्यापकों की संख्या

75--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत भटनी ब्लाक में कितने हाई स्कूल एवं इन्टर कालेज हैं ? उनके नाम क्या हैं ? इन विद्यालयों में 30 सितम्बर, 1982 को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक कितने छात्र विद्यालयानुसार हैं ? अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

भटनी, बनकटा एवं भाटपार ब्लाक में निम्नलिखित हाई स्कूल/इन्टर कालेज हैं विद्यालयों के नाम के सम्मुख 30-9-82 को छात्र संख्या एवं अध्यापकों की संख्या अंकित है :—

ब्लाक	विद्यालय का नाम	स्तर	छात्र संख्या	अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4	5
भटनी	1—सुभाष इन्टर कालेज, भटनी	इन्टर	1134	42
	2—शहीद मधुबन करामद, इन्टर कालेज, खोराबोर	,,	1273	37
	3—शिवविजय राघव तुलसी दास इन्टर कालेज, झरनाकुटी	,,	709	21
	4—मणिनाथ इन्टर कालेज, नोनापार	,,	723	36
	5—ज्ञानोदय उ0 मा0 वि0, एकडंगा	,,	599	19
	6—उ0 मा0 वि0, बलुआ, अफगान	हाई स्कूल	427	9
	7—किसान उ0 मा0 वि0, सल्लहपुर	,,	611	15

76—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा ब्लाक में कितने हाई स्कूल एवं इन्टर कालेज हैं ? उनके नाम क्या हैं ? इन विद्यालयों में 30 सितम्बर, 1982 को कक्षा 6 से 12 तक कितने छात्र विद्यालयानुसार हैं ? अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बनकटा—

1—जनता इन्टर कालेज, बनकटा	इन्टर	541	38
2—संग्राम सिंह बघेल इन्टर कालेज, अहिरौली, बघेल	,,	674	27
3—लखन जी इन्टर कालेज, अहिरौली, बघेल	,,	476	19

4--सर्वोदय इन्टर कालेज, गाढ़ा	इन्टर	304	24
5--श्री बब्बन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रतसिया	हाई स्कूल	265	9
6--श्री कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाता	,,	553	23
7--उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कड़सरवा बुजुर्ग	,,	290	15
8--बापू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोहनपुर	,,	496	13

77-श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत भाटपार रानी ब्लाक में कितने हाई स्कूल एवं इन्टर कालेज हैं ? उनके नाम क्या हैं ? इन विद्यालयों में 30 सितम्बर, 1982 को कक्षा 6 से 12 तक कितने छात्र विद्यालयानुसार हैं ? अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

भाटपार--

1--गोपाल कृष्ण गोखले इंटर कालेज, बहियारी बघेल	इन्टर	588	23
2--वी0 आर0 डी0 इंटर कालेज, भाटपार	,,	979	41
3--एम0 एम0 इंटर कालेज, भाटपार रानी	,,	1369	51
4--इंटर कालेज, खामपार	,,	460	20
5--रामजानकी इंटर कालेज, बाबू-बंधोमठ	,,	615	23
6--महर्षि टन्डन उ0 मा0 वि0, भाटपार	हाई स्कूल	276	8
7--बी0 आर0 डी0 बा0 उ0 मा0 वि0, भाटपार	,,	246	7
8--राम मनोहर लोहिया उ0 मा0 विद्यालय, पकड़ी बाबू	,,	501	20

जनपद देवरिया के भाटपार रानी, बनकटा एवं भटनी ब्लाकों में चालू किए गए नवीन प्राइमरी पाठशाला

78-श्री हरिवंश सहाय---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंग कि देवरिया जिलान्तर्गत भाटपाररानी, बनकटा एवं भटनी ब्लाकों में वर्ष 1982 में कहां-कहां नये प्राइमरी पाठशाला चालू किए गए ? इन ब्लाकों में किन-किन विद्यालयों का नया भवन बनाया जा रहा है तथा उस पर कितना खर्च होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

देवरिया जिलान्तर्गत भाटपाररानी, बनकटा एवं भटनी ब्लाकों में वर्ष 1982 में निम्नलिखित नवीन प्राइमरी पाठशाला चालू किए गए :--

विकास क्षेत्र	ग्राम जहां नवीन स्कूल खोले गए
1--भाटपाररानी	1--जगहया
	2--मायापुर
2--बनकटा	1--चकरवा टोला
3--भटनी	1--लक्ष्मीपुर

प्रकरण जिला बेसिक शिक्षा समिति, देवरिया के विचाराधीन है ।

वर्तमान निर्माण लागत के अनुसार उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण पर कुल रुपया 2,66,800 व्यय होगा ।

किसानों को जायद फसल हेतु अनुमन्य अनुदान

79--श्री हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों को जायद फसल के लिये प्रति हेक्टेयर एक सौ रुपया अनुदान देने का निर्णय लिया है ? इसका उद्देश्य क्या है तथा यह कब से लागू होगा ?

श्री यशपाल सिंह--

केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धानित दलहन विकास योजना के अन्तर्गत जायद में ग्रीष्म कालीन मूंग की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नलकूप द्वारा सिंचाई पर एक सौ रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान अनुमन्य है जो वित्तीय वर्ष 1982-83 से लागू है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ हेतु वसूल की गई धनराशि

80--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नाम पर वर्ष 1977-78 से अब तक छात्रों से कितना रुपया वसूल किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का लेखा-जोखा कार्यालय में नहीं है ? यदि हां, तो इससे सम्बन्धित दोषी पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रसंघ हेतु वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक कुल 2,02,763·00 रुपये वसूल किया गया है ।

धनराशि का लेखा-जोखा केन्द्रीय लेखा कार्यालय में है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री ललित मोहन माथुर, सहायक कुल सचिव, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के पत्र में वेतन भुगतान की मांग

81--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने को कृपा करेंगे कि कुलपति, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली को दिनांक 29-8-1981 का पत्र श्री ललित मोहन माथुर, सहायक कुल सचिव (परीक्षा), रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक जुलाई 81 व 18-8-81 तक का वेतन भुगतान करने की मांग की गयी है ? सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । वेतन भुगतान की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

कन्या पाठशाला जू0 हा0 स्कूल, कुंवरगांव, जनपद बदायूं की प्रधानाध्यापिका, कु0 शान्ति सिंह का स्थानान्तरण रोके जाने का औचित्य

82--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या पाठशाला, जू0 हा0 स्कूल, कुंवरगांव, जनपद बदायूं की प्रधानाध्यापिक कु0 शान्ति सिंह का वर्ष 1980-81 में क्षेत्रीय जनमत की शिकायतों पर स्थानान्तरण जिला प्रशासन द्वारा किया गया था ? यदि सही है कि उक्त अध्यापिका को उसी विद्यालय में पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो, इसका क्या औचित्य है ? इस सम्बन्ध में श्री मोहम्मद अबरार अहमद, संसद सदस्य का दिनांक 24-8-82 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री एम0 डी0 वर्मा, वरिष्ठ लेखाकार को लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति

83--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री एम0 डी0 वर्मा, लेखाकार, यू0 पी0 एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है जबकि उनसे वरिष्ठ लोगों को प्रोन्नत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि भी की गयी है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं ।

श्री एम0 डी0 वर्मा, वरिष्ठ लेखाकार की प्रोन्नति तदर्थ एवं अस्थायी रूप से लेखाधिकारी के पद पर की गई थी क्योंकि वह वरिष्ठ लेखाकारों की श्रेणी में वरिष्ठ थे । श्री वर्मा की वर्ष 1978-79, 1979--80 एवं 1980-81 की प्रविष्टियां अभी पूर्ण नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

सीतापुर जिले के गैर सरकारी सहायता एवं मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटर कालेजों के अध्यापकों का वेतन निर्धारण

84--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकरी है कि 31 जुलाई, 82 तक वेतन निर्धारण (द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार) होना तय होने के बाद भी सीतापुर जिले के गैर सरकारी सहायता एवं मान्यता प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों के अध्यापकों का वेतन निर्धारण अभी तक नहीं किया गया तथा अब अगस्त, 1982 माह में जुलाई की तारीख डालकर वेतन निर्धारण का पारिश्रमिक निकाला जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अधिकतर मामलों में वेतन निर्धारण हो चुका है। कुछ ही मामले बचे हैं।

यह सत्य नहीं है कि जुलाई की तारीख डालकर वेतन निर्धारण का पारिश्रमिक निकाला जा रहा है ।

85-86--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[दिनांक 7-2-1983 को अतारांकित प्रश्न संख्या 40 तथा 42 द्वारा उत्तरित]

एस० के० पी० इन्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की आडिट रिपोर्ट

87--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक लेखाधिकारी कार्यालय, उप शिक्षा निदेशक, सप्तम् मंडल, गोरखपुर ने फरवरी, 1980 में एस० के० पी० इन्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की आडिट रिपोर्ट डी० आई० ओ० एस०, आजमगढ़ को भेजी है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

प्रबन्धक से अधूरी अनुपालन आख्या प्राप्त हुई थी, जिससे उन्हें वापस कर निर्धारित प्रपत्र पर अनुपालन आख्या भेजने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने हेतु कथित योजना

88--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने हेतु 500 से 1,000 परिवारों के लिए एक किसान सहायक कार्यकर्ता नियुक्त करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

शासन के ग्राम्य विकास सचिव शाखा में प्रश्नगत प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। कृषकों तथा युवकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना विभाग में पूर्व से कार्यान्वित है।

जिला नियोजन कार्यालय, जौनपुर में प्रधान लिपिक की नियुक्ति

89--श्री हरदेव--

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला नियोजन कार्यालय, जौनपुर का प्रधान लिपिक इसी कार्यालय में वर्ष 1949 से कार्यरत है? क्या यह भी सत्य है कि विभागीय और न्यायालय द्वारा अनेकों चार्ज इनके ऊपर लगने के पश्चात् भी इन्हें इसी जनपद में ज्येष्ठता का उल्लंघन करके प्रधान लिपिक नियुक्त कर दिया गया है? क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं। प्रधान लिपिक की नियुक्ति में जिला स्तरीय ज्येष्ठता क उल्लंघन नहीं हुआ है और कोई अनियमितता भी नहीं की गई है।

श्री हरीराम शास्त्री, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल नेवादा, जलालपुर से अवशेष धनराशि की वसूली

90--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बेसिक शिक्षा परिषद्, जौनपुर के अन्तर्गत सीनियर बेसिक विद्यालय, नेवादा, जलालपुर, जौनपुर के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, श्री हरीराम शास्त्री पर विभागीय 14,809 रुपये अवशेष रह गये हैं? क्या यह सत्य है कि श्री हरीराम शास्त्री से मात्र दो हजार रुपये वसूल किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री हरीराम शास्त्री, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल नेवादा, जलालपुर पर 14,809 रुपया नहीं वरन् 2,000 रुपया मात्र विभाग का अवशेष था जो उनके द्वारा जमा किया जा चुका है। कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षकों की पेन्शन निर्धारण

91--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षकों का पेन्शन निर्धारण करते समय प्राविधायी निधि न करने के काल को उनके सेवा काल में नहीं जोड़ा जाता? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षक के पूर्ण सेवा काल का लाभ उनके पेन्शन निर्धारण में देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। जोड़ा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में अनुसूचित जाति के पात्र अध्यापकों को पदोन्नति देने की मांग

92—श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा में दिनांक 2 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसा किन कारणों से कहते हैं कि अभी अनुसूचित जाति के उक्त श्रेणी के अध्यापकों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति देने से विषय में नीति निर्णय (पालिसी डिसीजन) लेना बाकी है? जबकि उक्त अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अनुसूचित जाति के अस्थायी अध्यापकों को आरक्षित कोटे के अन्तर्गत उक्त अधीनस्थ राजपत्रित वेतनमान में शीघ्र पदोन्नत करके कोटा पूरा किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक उक्त कोटा पूरा करा दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नेशनल सीनियारिटी के आधार पर अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज०) वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति देने का सुझाव किन्हीं प्रचलित नियमों के द्वारा प्रतिबाधित तो नहीं होता या किसी अन्य नियम को प्रतिबाधित तो नहीं करता। दूसरे शब्दों में उक्त सुझाव की व्यापकता तथा निर्बाध प्रभावी होने पर विचार किया जा रहा है। नेशनल प्रमोशन के संबंध में औपचारिक आदेश जारी होने तथा अर्ह व पात्र अध्यापकों के उपलब्ध होने पर कोटा पूरा किया जा सकेगा।

फर्रुखाबाद, नगरपालिका क्षेत्र को बेसिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं साज-सज्जा के लिए स्वीकृत धनराशि एवं उपयोग

93—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कितनी धनराशि शहर फर्रुखाबाद नगरपालिका क्षेत्र को बेसिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं साज-सज्जा के लिए स्वीकृत की गई तथा क्या उसका उपयोग हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1981-82 में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत शहर फर्रुखाबाद नगरपालिका क्षेत्र को बेसिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु क्रमशः 25,000 रु० व 20,000 रु० तथा साज-सज्जा के लिए 2,000 रु० की धनराशि स्वीकृत की गई।

उक्त 25,000 रु० तथा उससे मरम्मत होने वाले स्कूलों की चयनित सूची, मरम्मत हेतु प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, फर्रुखाबाद को दी जा चुकी है किन्तु नगरपालिका द्वारा अभी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।

उक्त 20,000 रु० की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट शिक्षा निदेशालय द्वारा रजिस्टर्ड डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद को 24 मई, 1982 को भेजा गया था किन्तु बैंक ड्राफ्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद को प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में पोस्ट मास्टर, इलाहाबाद से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

साज-सज्जा हेतु स्वीकृत धनराशि 2,000 रु0 से क्रय की गई सामग्री का वितरण किया जा चुका है।

25,000 रु0 की धनराशि का उपयोग नगरपालिका अब तक क्यों नहीं कर सकी है इसकी जानकारी नगरपालिका, फर्रुखाबाद से की जा रही है।

20,000 रु0 की उपयोग खोये बैंक ड्राफ्ट के सम्बन्ध में डाक-तार विभाग से जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त ही संभव हो सकेगा।

खण्ड विकास अधिकारी, महाराजगंज, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

94--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के खंड विकास अधिकारी, महाराजगंज के विरुद्ध 50 हजार रुपये के गोलमाल करने, मुड़िला गांव के खड़ंजे में अनियमितताओं, सरकारी कैश के शार्ट होने, परिवार के नाम सम्पत्ति अवैध ढंग से बनाने आदि से संबंधित शिकायतें शासन व स्थानीय अधिकारियों को माह अगस्त, 1982 में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

खण्ड विकास अधिकारी, महाराजगंज, गोरखपुर के विरुद्ध माननीय सदस्य का एक शिकायती-पत्र दिनांक 16 अगस्त, 1982 प्राप्त हुआ। शिकायतों पर जांच प्रगति में है।

95--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला परिषद्, हरदोई द्वारा अध्यापकों की नियुक्तियां, समाचार-पत्रों में विज्ञापन की तिथि, अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

96--श्री राम लाल वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, हरदोई द्वारा मार्च, 1982 में 109, जुलाई, 1982 में 90 तथा सितम्बर, 1982 में 48 अध्यापकों की नियुक्तियां जो की गयीं उनका विज्ञापन क्या कभी किसी समाचार-पत्र द्वारा कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो किन-किन पत्रों में किस-किस दिनांक को रिक्त विषयक विज्ञापन कितने पदों हेतु प्रकाशित हुआ था? क्या यह सत्य है कि इनमें कुछ ऐसे अध्यापकों को भी नियुक्षित की गयी जो कि निर्धारित उम्र से अधिक है तथा कुछ बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित नहीं है? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण अभियन्त्रण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों को पक्का कराये जाने की योजना

97—श्री विजय सिंह राना—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों को पक्का कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के कार्यों की अपनी कोई मूल योजना नहीं है । यह विभाग अन्य विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि से कार्य संपादित कराता है ।

प्रदेश में पिछले वर्षों में पंचायतराज विभाग द्वारा श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत लगभग 35,800 किलोमीटर कच्चे मार्गों का निर्माण किया गया था ।

इन कच्चे मार्गों को पक्का करने का प्रोजेक्ट विश्व बैंक से सहायता हेतु भारत सरकार को भेजा जा चुका है ।

श्री हरिनारायण सिंह, ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा अनियमित तरीके से भू-आवंटियों से पैसा लेने की शिकायत की जांच

98—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 22-10-82 के विकास खंड कार्यालय, मिल्कीपुर, फैजाबाद में ग्राम सभाओं के कुछ भूआवंटियों को आर्थिक सहायता का वितरण किया गया था और ग्राम सभा गोठवारा के भू-आवंटियों को वितरित की गयी धनराशि में से उक्त ग्राम सभा के ग्राम्य विकास अधिकारी (श्री हरिनारायण सिंह) ने अनियमित तरीके से कुछ प्रतिशत में हिस्सा लिया था जिसकी शिकायत श्री हृदय राम, प्रधान, ग्राम सभा मुंगेशपुर ने स्वयं खंड विकास अधिकारी से लिखित रूप में की थी ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र में क्या कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

दिनांक 22-10-1982 को विकास खंड, मिल्कीपुर (फैजाबाद) में भू-आवंटियों को आर्थिक सहायता का वितरण किया गया था । श्री हृदय राम, प्रधान ग्राम सभा, मुंगेशपुर ने खंड विकास अधिकारी से श्री हरिनारायण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अनियमित तरीके से भू-आवंटियों से पैसा लेने की शिकायत की थी । शिकायतों की प्रारंभिक जांच के बाद सम्बन्धित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है एवं विभागीय कार्यवाही अग्रसर है ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधिष्ठाता श्री कीर्ति सिंह व कुलपति द्वारा प्राप्त किया यात्रा भत्ता व उक्त यात्राओं के उद्देश्य

99--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधिष्ठाता श्री कीर्ति सिंह ने वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में कुल कितना यात्रा भत्ता और किन-किन उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों पर प्राप्त किया है ?

श्री यशपाल सिंह--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कृषि अधिष्ठाता डाक्टर कीर्ति सिंह ने वर्ष 1980-81 में रुपय। 2,795.60, वर्ष 1981-82 में रु0 2,984.00 तथा वर्ष 1982-83 में रु0 5,713.50, पैसे कुलयोग रु0 11,493.10 पैसे यात्रा भत्ता के रूप में प्राप्त किया। उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष 1980-81--

1- पाडेयेरी मे नेशनल डिमान्सट्रेशन वर्कशाप में	..	2,211.40 रु0
2--दिल्ली प्लानिंग कमीशन में मीटिंग अटेंड करने तथा आई0 सी0 आर0 में विश्वविद्यालय के कार्य हेतु	..	365.55 रु0
3--विश्वविद्यालय के विभिन्न शोध/प्रदर्शन/प्रसार सम्बन्धी कार्य पर	..	218.65 रु0
योग	..	2,795.60 रु0

वर्ष 1981-82--

1--हिसार, लुधियाना विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय के साथ विश्वविद्यालय भवन तथा अन्य कार्य-कलापों को देखने हेतु	..	393.35 रु0
2--बाम्बे में फूड टेक्नालोजी डिवीजन, भाभा आटोनामिक रिसर्च सेन्टर बाम्बे, वेटरनरी कालेज, डेरी साइंस इंस्टीट्यूट आदि स्थानों की कुलपति के साथ देखने हेतु	..	2,396.10 रु0
3--लखनऊ तथा विश्वविद्यालय के अन्य शोध/प्रसार तथा राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना के निरीक्षण के दौरे पर	..	194.55 रु0
योग	..	2,984.00 रु0

वर्ष 1982–83 से अब तक—

1—दिल्ली में एग्युबुल प्लानिंग कमीशन की मीटिंग	..	832.65 रु0
2—कोयम्बटूर इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन कन्वेन्शन अटेन्ड करने	..	3,959.00 रु0
3—लखनऊ तथा विश्वविद्यालय के अन्य राष्ट्रीय प्रदर्शन योजनाओं/शोध केन्द्रों के दौरे पर	..	921.85 रु0
योग	..	5,713.50 रु0

100—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुल पति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में वर्ष 1981–1982 तथा 82–83 में कुल क्रमशः वर्ष वार कितना यात्रा भत्ता प्राप्त किया है ? तथा उक्त यात्रा का उद्देय क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

कुलपति नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद ने यात्रा भत्ता वर्ष 1981–82 में रु0 9, 868–25, तथा वर्ष 1982–83 में 12 फरवरी 1983 तक रु0 6,152–50 प्राप्त किया है । कुलपति ने उक्त यात्राएं विश्वविद्यालय के कार्य हित में की हैं ।

कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद को तीन अम्बेसडर कारें निजी प्रयोग में लाने की कथित अनुमति

101—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय. फैजाबाद को कार्य हित में तीन एम्बेसडर कारें अपने पास निजी प्रयोग में लाने की अनुमति दी गयी, यदि हां, तो प्रति मास उन तीन गाड़ियों पर कुल कितना मेन्टीनेन्स एवं पेट्रोल खर्च पड़ रहा है तथा उसके विरुद्ध कुलपति को उक्त मद में कितना व्यय करने का अधिकार है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में बकरे व मुर्गे का कथित क्रय

102—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यागिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में वर्ष 1980–81 व 1981–82 में कमशः वर्षवार कुल कितनी कितनी धनराशि के बकरे व मुर्गे खरीदे गये और उनके खरीदे जाने का उद्देश्य क्या है ? अब तक अलग–अलग दोनों की खरीद संख्या क्या क्या है तथा अद्यावधि तक उनकी वर्तमान संख्या क्या है ?

श्री यशपाल सिंह--

वर्ष 1980-81 व 1981-82 में नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्व-विद्यालय, फैजाबाद में क्रमशः वर्षवार बकरे व मुर्गी खरीदे जाने की संख्या शून्य है ।

अतः इससे खरीदने का उद्देश्य एवं व्यय की धनराशि सूचित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में पशुओं का क्रय दुधारू पशुओं की खरीद

103--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1980-81 व 81-82 में कृषि विश्व-विद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में क्रमशः वर्षमार कुल कितनी धनराशि के किन-किन पशुओं को खरीद की गयी ? उनमें से कितने दुधारु हैं तथा दूध देने की उनकी क्षमता क्या है ? अतिरिक्त पशुओं के मरने तथा बिक्री कर दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री यशपाल सिंह--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में वर्ष 1980-81 में किसी प्रकार के पशुओं का क्रय नहीं किया गया ।

वर्ष 1981-82 में कुल रु0 87,085 के 21 दुधारू पशु (10 मुर्रा भैंसे तथा 11 हरियाणा गायें) और एक हरियाना साड़ तथा एक मुर्रा भैंसा क्रय किया गया था । दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता लगभग 7 लीटर से लेकर 10 लीटर प्रतिदिन है । खरीदे गये पशुओं में से न तो किसी की मृत्यु हुई और न ही उन्हें बेंचा गया है ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के कृषि प्रक्षेत्रों पर उत्पादित भूसा एवं क्रय तथा विक्रय

104--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में कृषिफार्म पर कुल कितना भूसा पैदा किया गया और उसे किस दर पर बेचा गया और आवश्यकता पड़ने पर पुनः किस दर पर खरीदा गया ?

श्री यशपाल सिंह--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों पर वर्ष 1980-81 में 1,079, 77 कुन्तल तथा वर्ष 1981-82 में 1,695,39 कुन्तल भूसा पैदा हुआ । समस्त भूसे को विश्वविद्यालय के शैक्षिक डेरी फार्म, कुमारगंज को हस्तान्तरित कर दिया गया । वर्ष 1981-82 में 335 कुन्तल भूसा 48 रु0 प्रति कुन्तल की दर से (भूसे की कीमत, शैक्षिक डेरी फार्म कुमारगंज तक यातायात व्यय सहित) खरीदा गया ।

105--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[दिनांक 14-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 66 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में परिषद् के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक

106--श्री भोखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 3760/15 (5)-80-449-76, दिनांक 9-9-80 के द्वारा प्रदेश के परिषद् के विद्यालयो में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ? जनपद उन्नाव में चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने स्थान रिक्त हैं जो उक्त आदेश के कारण भरे नहीं जा सके हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पोत्तन दुबे, जिला वाराणसी द्वारा शिक्षा विभाग में पुर्ननियुक्ति के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र

107--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पोत्तन दुबे, निवासी ग्राम ईसीपुर, पोस्ट बड़ागांव, जिला वाराणसी ने दिनांक 7-6-1982 को तत्कालीन राज्य मत्री, सामन्य प्रशासन, लखनऊ मंडल (श्रीमती प्रेमवती तिवारी) को कोई प्रार्थना-पत्र शिक्षा विभाग में अपनी पुर्ननियुक्ति के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो श्री पोत्तन दुबे की पुन नियुक्ति हुई ? यदि नहीं हुई, तो कब तक हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

108--श्री विजय सिंह राना--

[दिनांक 7-2-83 के तारांकित प्रश्न संख्या 21 द्वारा उत्तरित]

पी0 डी0 एन0 डी0 इन्टर कालेज चुनार, मिर्जापुर में प्रबन्ध समिति का चुनाव एवं गठन

109--श्री राम चरण सिंह--

विधान सभा के कार्य सूची 2 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 डी0 एन0 डी0 इन्टर कालेज चुनार, मिर्जापुर में प्रशासन योजना के अनुसार प्रबन्ध समिति का वैधानिक चुनाव एवं गठन कब तक हो जायेगा ? प्रबन्ध समिति के वैधानिक चुनाव एवं गठन अब तक न होने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है ? दोषी व्यक्ति के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला शेरपुर नरायनपुर, जिला मिर्जापुर को बालकों के साथ मिश्रित करने या अन्य गांव में हटाने के संबंध में पत्र

110—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 15-8-82 को एक पत्र कन्या प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर नरायनपुर, जिला मिर्जापुर को बालकों के साथ मिश्रित करने या अन्य गांवों में हटाने के सम्बन्ध में उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खन्डों में निर्मित कुएं तथा व्यय

111—श्री राम चरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1981-82 वर्ष 1982-83 में विकास खन्ड राजगढ़, घोरावल, नरायनपुर, जमालपुर, सीखड़, जनपद मिर्जापुर में ब्लाक के माध्यम से कितने कुएं किन-किन स्थानों पर बनाये गये और किन-किन कुओं पर कितना खर्च पड़ा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 व वर्ष 1982-83 में विकास खंड राजगढ़, घोरावल, नरायनपुर, जमालपुर एवं सीखड़ में ब्लाक के माध्यम से बनाये गये कुओं और उन पर हुये व्यय का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1368 पर ।)

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीरसीया ठकुराई, मिर्जापुर में अध्यापकों के स्वीकृत पद

112—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीरसीया ठकुराई टोला खैरपुर, मिर्जापुर में स्वीकृत पद के अनुसार कितने अध्यापक कम हैं और उनकी कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों को पक्का कराये जाने की कथित योजना

113—श्री विजय सिंह राना—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों को पक्का कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की कार्यों की अपनी कोई मूल योजना नहीं है। यह विभाग अन्य विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से कार्य सम्पादित कराता है।

प्रदेश में पिछले वर्षों में पंचायतराज विभाग द्वारा श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत लगभग 35,800 किलोमीटर कच्चे मार्गों का निर्माण किया गया था।

इन कच्चे मार्गों को पक्का करने का प्रोजेक्ट विश्व बैंक से सहायता हेतु भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

श्री हरि सिंह गहलौत, मुख्य अध्यापक, प्राइमरी स्कूल, जिला बिजनौर की भविष्य निधि का भुगतान

114--श्री यम्मन सिंह गहलौत--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरि सिंह गहलौत, मुख्य अध्यापक, प्राइमरी स्कूल उमरपुर आसा, सर्किल शेरकोट, ब्लाक अलहंपुर, जिला बिजनौर जो दिनांक 1-7-74 को सेवा निवृत्त हो गये थे उनकी भविष्य निधि (पी0 एफ0) के धन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो किस तिथि को यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

दिनांक 22-1-82 को। प्रश्न नहीं उठता।

नवाबगंज स्थित सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में की गयी आडिट आपत्तियों का निस्तारण

115--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के नवाबगंज स्थित सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय का वर्ष 1976-77 में किये गये आडिट आपत्ति में निस्तारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या निस्तारण संतोषजनक है ? यदि नहीं, तो दोषी लोगों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में ज्ञापन तथा जांच परीक्षण

116--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश गढ़वाल कुमाऊं के संयुक्त अधिवेशन दिनांक 3 अगस्त, 1980 के ज्ञापन तथा उक्त अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा शासन के शिक्षा-2 के अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या वांछित जांच परीक्षण कराया जा चुका है और जांच रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या-क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

राजकीय शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में एक 15 सूत्री ज्ञापन दिनांक 3-8-80 को प्राप्त हुआ था, जिसम एक मांग यह भी थी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के शिक्षा-2 अनुभाग में जो अनुभाग अधिकारी एवं प्रवर वर्ग सहायक वर्षों से एक ही कुर्सी पर विराजमान होकर शिक्षक विरोधी गतिविधियों में रत हैं-उन्हें तुरन्त अन्यत्र हटाया जाय और गुप्तचर विभाग द्वारा शिक्षक विरोधी गतिविधियों की जांच कराई जाय ।

प्रश्नगत मांग पर सी० आई० डी० की जांच का कोई औचित्य नहीं पाया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राजकीय तथा गैर सरकारी हाई स्कूलों में पढ़ाई हेतु तीसरी भाषा की मान्यता

117--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे राजकीय तथा गैर सरकारी हाई स्कूल कितने हैं जिनमें हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए तीसरी भाषा की मान्यता नहीं है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

473 हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट कालेज ऐसे हैं जिनमें हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए तीसरी भाषा की मान्यता नहीं है ।

राष्ट्रीय कन्या इन्टर कालेज, झांसी में अध्यापिकाओं के जी० पी० एफ० की धनराशि न कटने के विरुद्ध कार्यवाही

118--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय कन्या इन्टर कालेज, झांसी की किन-किन अध्यापिकाओं का जी० पी० एफ० अभी तक कटना प्रारम्भ नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि शिक्षिकाओं के प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद प्रबन्धाधिकरण इस सम्बन्ध में उदासीन हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने अगस्त, 1982 तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कन्या जूनियर हाई स्कूल कमासिन, जिला बांदा में सेविका के पद पर श्रीमती भगोनिया देवी को समायोजित करने के आदेश

119--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्रांक वे० शि० प० 3268-एक-2/78-79, दिनांक 16-2-79 के द्वारा कन्या जूनियर हाई स्कूल कमासिन, विकास खंड कमासिन, जिला बांदा में सेविका के पद पर श्रीमती भगोनिया देवी को समायोजित करने के आदेश दिए गए । यदि हां, तो इसके बावजूद उक्त सेविका को वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के घुघुली एवं परतावल विकास क्षेत्र के नव निर्वाचित प्रधानों को प्राप्त चार्ज

120—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या पंचायत राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के घुघुली एवं परतावल विकास क्षेत्र के कितने नव निर्वाचित प्रधानों को चार्ज मिल चुका है ? क्या यह सच है कि गांव सभा पौहरिया विकास क्षेत्र, घुघुली के प्रधान को जो चार्ज रूप में अभिलेख मिला है वह बिल्कुल नया है एवं नए प्रधान के कई बार पत्र लिखने के बाद भी अभी तक दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खंड घुघुली एवं परतावल के सभी नव निर्वाचित प्रधानों को ग्राम पंचायत के अभिलेखों का चार्ज प्राप्त हो चुका है । प्रधान, गांव सभा पौहरिया, विकास खंड घुघुली को पुराने अभिलेख दिलाने की कार्यवाही की जा रही है तथा अब तक चार्ज न देने के विषय में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

गांव सभा दोरम्हा, जनपद गोरखपुर के प्रधान के विरुद्ध सार्वजनिक भूमि हड़पने एवं निजी भवन निर्माण कराने की जांच

121—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव दोरम्हा, तहसील बांसगांव (गोरखपुर) के वर्तमान प्रधान के विरुद्ध इसी गांव सभा के कई सदस्यों ने इस आशय का शिकायती-पत्र शासन को अभी हाल में भेजा है जिसमें उक्त प्रधान पर सार्वजनिक भूमि को हड़पने एवं उस पर निजी भवन निर्माण करने की शिकायत है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गांव सभा दोरम्हा, जनपद गोरखपुर के सदस्यों द्वारा एक प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी बांसगांव को दिनांक 3-11-82 को दिया था, जिसमें सार्वजनिक भूमि को हड़पने एवं निजी भवन निर्माण करने का आरोप प्रधान व उसके परिवार पर लगाया गया है । शिकायती-पत्र की जांच परगनाधिकारी द्वारा कराई गई परन्तु जांच में समस्त आरोप निराधार पाये गये ।

122—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[दिनांक 7-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 149-150 द्वारा उत्तरित ।]

123—डा० शिवानन्द नौटियाल—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा श्री जे0 एम0 तेजपाल, जिला कृषि अधिकारी को अन्यत्र तैनात किए जाने की संस्तुति

124—श्री गुलाब सेहरा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे0 एम0 तेजपाल, जिला कृषि अधिकारी ने दिनांक 13 अगस्त, 1982 को देहरादून जनपद में अपनी योगदान की सूचना जिलाधिकारी को दे दी थी ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, देहरादून ने कार्यभार ग्रहण करने के आदेश नहीं दिए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

श्री जे0 एम0 तेजपाल दिनांक 13-8-82 को जिलाधिकारी देहरादून से मिले और उन्होंने दिनांक 17-8-82 को योगदान की सूचना जिलाधिकारी देहरादून को दी थी ।

जी हां ।

जिलाधिकारी देहरादून ने कार्यरत जिला कृषि अधिकारी देहरादून को वहीं बने रहने एवं श्री जे0 एम तेजपाल को अन्यत्र तैनात किए जाने की संस्तुति की थी ।

श्री वी0 एन0 शाही, जिला कृषि अधिकारी, देहरादून के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं की शिकायतों की जांच

125—श्री गुलाब सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह भी बतायेंगे कि श्री वी0 एन0 शाही, भू0 पू0 जिला कृषि अधिकारी जिनके स्थान पर श्री तेजपाल ने कार्यभार ग्रहण किया है, के विरुद्ध जनपद देहरादून से भ्रष्टाचार अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को आयी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

श्री वी0 एन0 शाही, जिला कृषि अधिकारी, देहरादून के विरुद्ध जनपद देहरादून से भ्रष्टाचार, अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर जांच कराई जा रही है ?

जनपद गाजीपुर में पंचायत कर की वसूली की जांच

126—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

क्या पंचायत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1982 में हुए पंचायत चुनाव में कितनी धनराशि पंचायत कर के रूप में वसूल की गयी है उसका विकास खंडवार विवरण क्या है ? क्या सरकार विशेष आडिट दल नियुक्त करके पंचायत कर की वसूली की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरसराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक को प्रवक्ता का वेतनमान दिए जाने पर विचार

127--श्री छत्तर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक डी० ओ० नम्बर एफ० 2-2/8 यू० टी०, दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा विभाग से श्री एम० आर० कौल, हथकर, संयुक्त सचिव, के पत्र द्वारा महाविद्यालय, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक को प्रवक्ता के समान वेतनमान 700-1600 देने की संस्तुति एक अप्रैल, 1982 से की है ? यदि हां, तो इस वेतनमान को अब तक कार्यान्वित न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री एस० आर० कौल हथकर, संयुक्त सचिव, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) भारत सरकार के 8 दिसम्बर, 1981 के अर्द्ध शासकीय पत्रांक एफ-2-2/81 यू०-1 द्वारा महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक को प्रवक्ता का वेतनमान 700-1600, 1 अप्रैल, 1982 से नहीं वरन् 1 अप्रैल, 1980 से दिए जाने की संस्तुति की गई। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के वेतनमान क्रमशः 1 जुलाई, 1979 तथा 19 मार्च, 1982 से पुनरीक्षित किए गए हैं। पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रवक्ता वेतनमान दिए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नोरूपुर, बलिया की रजिस्टर्ड सोसाइटी में विधिवत् निर्वाचित प्रबन्धक व प्रबन्ध समिति को अमान्य घोषित किये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक को रखने का औचित्य

128--श्री भोला पान्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नोरूपुर, बलिया की रजिस्टर्ड सोसाइटी शिक्षा परिषद् तथा इस विद्यालय के प्रशासन योजना के नियमान्तर्गत परिषद् के सभी सदस्यों की उपस्थिति में सर्व सम्मति से विधिवत निर्वाचित प्रबन्धक श्री विश्वनाथ तिवारी एवं प्रबन्ध समिति को जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया द्वारा किस विनियम के अन्तर्गत अमान्य कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

129--श्री भोला पान्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16डी (4) के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नोरूपुर, बलिया में 5 मई, 1973 को नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की समाप्ति आठवें वर्ष में 8 मई, 1980 को किस आधार पर की गई ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के बंध प्रबन्धक, विश्वनाथ तिवारी ने सभी त्रुटियों का निराकरण मार्च, 1978 तक पांचवे वर्ष में ही कर दिया था और उचित माध्यम से शासन को सूचित कर दिया था और प्राधिकृत नियंत्रक कालातीत होने पर स्वतः समाप्त हो गया था ? यदि हां, तो प्राधिकृत नियंत्रक को 8 मई, 1980 तक रखने का क्या आधार था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिव, कृषि उत्पादक एवं मन्डी समिति, परतावल का स्थानान्तरण एवं दूसरे सचिव को दिया गया चार्ज

130--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, कृषि उत्पादक एवं मन्डी समिति, परतावल (गोरखपुर) (श्री हरीश नारायण सिंह) का स्थानान्तरण हो चुका है तथा उनकी जगह पर दूसरे सचिव कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या नये सचिव को पूरा चार्ज मिला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

नये सचिव को चार्ज मिल गया है ।

बेरोजगार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

131--श्री उदयवीर सिंह--

क्या शासन को ज्ञात है कि सन् 1971 के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापक जिनकी संख्या जनपद शाहजहांपुर में लगभग 800 है नियुक्ति न होने के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं ? जब कि जनपद के सभी स्कूलों में वांछित संख्या में अध्यापक नहीं हैं ? यदि हां, तो शासन उनकी नियुक्ति की क्या व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एग्रो के जनरल मैनेजर (वर्कशाप) द्वारा कर्मचारियों की दैनिक वेतन पर नियुक्ति

132--श्री मोहन सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, 22 विधान सभा मार्ग, लखनऊ द्वारा 1981 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नवीन नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने सम्बन्धी आदेश के बावजूद जनरल मैनेजर (वर्कशाप) यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन (ताल कटोरा, लखनऊ) द्वारा 1982-83 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो उसका क्या आधार है ? उक्त अनियमित नियुक्तियों के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार जांच करा कर कार्यवाही करेगी तथा अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

एग्रो के जनरल मैनेजर (वर्कशाप) ने प्रबंध निदेशक, यू० पी० स्टेट एग्रो की अनुमति के उपरान्त 9 कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त किया । वर्कशाप के सामान की चोरी की घटनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से उक्त कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया । कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर नियुक्त करने में कोई अनियमितता नहीं हुई है । अतः जांच की आवश्यकता नहीं है और न ही नियुक्तियों को निरस्त करना आवश्यक है ।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की बी० ए० द्वितीय वर्ष की छात्राओं के अंक पत्र उपलब्ध कराने के आदेश

133—श्री प्रमोद कुमार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की वर्ष 1982 की बी० ए० द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं के अंक पत्र अभी तक कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज को न भेजे जाने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी अंक पत्र उक्त विद्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामदवर आत्मज श्री देवीदीन की शिकायत की जांच तथा पुलिया का निर्माण न होने के विरुद्ध जांच

134—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदवर आत्मज श्री देवीदीन के शिकायत की जांच तहसीलदार सदर द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि पुलिया का निर्माण न होने से पानी का निकास अवरुद्ध हो गया है ? क्या इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से कराई गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर की शिक्षा संस्थाओं में कृषि विज्ञान की शिक्षा, विद्यालयों के नाम तथा छात्रों की संख्या

135—श्री राम नारायण सिंह, एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में इस समय कृषि विज्ञान की शिक्षा किन-किन शिक्षा संस्थाओं में दी जा रही है और उन संस्थाओं के नाम तथा छात्र संख्या क्या है ? क्या सरकार कृषि शिक्षा की मांग एवं आवश्यकता का ध्यान रखते हुए सम्बन्धित विद्यालयों में प्रवेश संख्या को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उपलब्ध सूचनानुसार गाजीपुर जनपद के पांच विद्यालयों में इन्टरमीडिएट स्तर तक एवं ग्यारह विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर तक कृषि विज्ञान की शिक्षा इस समय दी जा रही है । इन विद्यालयों के नाम एवं उनकी छात्र संख्या का विवरण संलग्न है ।

फिलहाल ऐसा करना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

(देखिए नत्थी "ड़" आगे पृष्ठ 1370 पर ।)

जनपद गाजीपुर में इन्टरमीडिएट कालेज एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा छात्राओं की संख्या

136--श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने इन्टरमीडिएट कालेज एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं तथा प्रत्येक संस्थाओं में कितने छात्र हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गाजीपुर जनपद में 62 इन्टरमीडिएट कालेज एवं 35 हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं । प्रत्येक संस्था की छात्र संख्या का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 1372 पर ।)

भूतपूर्व शिक्षा अधीक्षक, श्री जय प्रकाश मित्तल, नगर क्षेत्र धामपुर, जनपद बिजनौर के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत

137--श्री श्याम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व शिक्षा अधीक्षक (श्री जय प्रकाश मित्तल) नगर क्षेत्र धामपुर, जनपद बिजनौर के विरुद्ध सम्परीक्षक (आडीटर) द्वारा निकाली गयी अनेक वित्तीय अनियमितताएं तथा गंभीर आपत्तियों के बाद भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

सम्परीक्षक की आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर द्वारा श्री जय प्रकाश मित्तल, शिक्षा अधीक्षक, धामपुर को द्वितीय अनियमितता के दोषी पाये जाने पर उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई तथा वे जनपद बिजनौर से स्थानान्तरित कर दिए गए हैं ।

गोरखपुर जिले के विकास क्षेत्र घुघली में हरिजन एवं कमजोर वर्ग हेतु पेयजल कूपों का निर्माण

138--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के घुघली विकास क्षेत्र में गत तीन वर्षों में जो हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लिए कुएं बनने थे वे सभी तैयार हो गये हैं तथा पीने योग्य पानी मिल रहा है ? क्या यह सच है कि आधे से अधिक कुओं में पानी आया भी नहीं जबकि भुगतान पूरा कर दिया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित विकास अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

गोरखपुर जिले के विकास खंड घुघली में गत तीन वर्षों 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लिए हरिजन बस्ती में 6 पेयजल कूपों का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। इनमें से 4 पेयजल कूपों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इनमें पीने योग्य पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

शेष दो कूपों में से एक कूप निर्माणाधीन है तथा दूसरे कूप के निर्माण हेतु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा 4,000 ईंटें उपलब्ध करा दी गई है। उक्त दो कूपों के निर्माण हेतु पूरी धनराशि का भुगतान अभी नहीं किया गया है।

कूपों के निर्माण का कार्य समय पर पूरा न कराने के कारण श्री राम लौट, ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सी० टी० वेतन क्रम में कार्यरत अध्यापकों की एल० टी० वेतनक्रम में पदोन्नति की ज्येष्ठता सूची

139--श्री प्रभूनारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के सातवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ज्येष्ठता सूची तैयार कर दी गयी है और अध्यापकों की उपलब्ध रिक्तियों पर पदोन्नतियां दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वाराणसी एवं गोरखपुर मंडलों को छोड़कर शेष मंडलों के सी० टी० वेतन-क्रम में वर्ष 1976 तक नियमित नियुक्त अध्यापकों की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची तैयार कर ली गयी है और तदनुसार अध्यापकों को पदोन्नतियां दी जा रही हैं।

वाराणसी एवं गोरखपुर मंडलों से ज्येष्ठता सूची अविलम्ब प्राप्त करने के आदेश शिक्षा निदेशक को दिये गये हैं।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के प्राथमिक शिक्षकों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते के अवशेष देयकों की धनराशि का भुगतान

140--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1976 में जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र जलालपुर के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन से राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने हेतु धन

काटा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त धन से न तो बचत पत्र खरीदे गये और न आज तक उनका नकद अथवा बचत-पत्र के रूप में भुगतान ही किया गया ? क्या सरकार इस अनियमितता की जांच करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अध्यापकों के वेतन से राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र खरीदने के लिए 1976 में कोई धन नहीं काटा गया, अपितु अप्रैल, 1974 से अक्तूबर, 1975 के बीच बढ़ी हुई अतिरिक्त महंगाई भत्ते के अवशेष देयकों से सामान्य निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने हेतु कटौती की गई थी ।

उपरोक्त कटौती की धनराशि से राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र नहीं खरीदे गये ।

अध्यापकों के एरियर की धनराशि से की गई उपरोक्त कटौती को तुरन्त भुगतान किये जाने तथा प्रश्नगत अनियमितता की जांच करने हेतु शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रधानाध्यापक, श्री राम दुलारे दुबे का निलम्बन एवं बहाली

141--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद्, जौनपुर में दिनांक 30 जून, 1982 तक कार्यरत प्रधानाध्यापक श्री राम दुलारे दुबे दिनांक 28-8-1973 से दिनांक 6-12-1975 तक निलम्बित रहे और दोषमक्त पाये जाने पर पुनः बहाल कर दिए गए ? क्या श्री दुबे को उक्त अवधि के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम दुलारे दुबे, दिनांक 28-8-1973 से 6-12-1975 तक निलम्बित रहे और बाद में दोषमुक्त पाये जाने पर बहाल कर दिये गये । निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर में हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था

142--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान के पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार इन विद्यालयों में भी विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था शीघ्र करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर से उपलब्ध सूचनानुसार जनपद जौनपुर में 63 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान के पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

उक्त विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद जौनपुर के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय तथा कार्यरत अध्यापक

143--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं और उनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन शिक्षकों को भी वही सुविधाएं प्रदान करेगी जो इनके समकक्ष अन्य प्राथमिक शिक्षकों को उपलब्ध है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षक संघ, जौनपुर के मन्त्री श्री विनोद कुमार द्वारा शिक्षक समस्याओं से सम्बन्धित दिया गया पत्र तथा समस्याओं का निदान

144--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षक संघ, जौनपुर के मंत्री श्री विनोद कुमार ने वर्ष 1981-82 में विभिन्न शिक्षक समस्याओं से संबधित कितने पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर को लिखे ? उनमें से कितनी समस्याओं का निदान कर लिया गया और शेष का कब तक कर लिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

श्री विनोद कुमार के दो पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुये थे । उनमें उल्लिखित 23 समस्याओं में से 21 का निदान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जा चुका है तथा शेष दो समस्याओं का निदान शीघ्र ही कर दिया जायेगा ।

जनता विद्यालय चनुकी, देवरिया की अवैधानिक अस्थायी मान्यता निरस्त करने का आदेश

145--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या 325/79, मुन्सिफ न्यायालय, देवरिया द्वारा जनता विद्यालय, चनुकी, देवरिया की अवैधानिक अस्थायी मान्यता निरस्त एवं शून्य घोषित करने का आदेश उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मन्डल, गोरखपुर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

विद्यालय की शिक्षा सत्र 1978-79 की अस्थायी मान्यता निरस्त होने के कारण आगे की अवधि के लिए मान्यता नहीं दी गई ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, जनपद चमोली के अन्तर्गत राजकीय विकल्प के पदधारक अध्यापकों को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि को मासिक कटौती तथा दी गई वार्षिक लेखा पर्चियां

146--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपा बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, जनपद चमोली के अन्तर्गत 1-4-74 के बाद राजकीय विकल्प के पदधारक अध्यापकों का सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जो मासिक कटौती उनके वेतन से की जाती है उस राशि को क्या सम्बन्धित अध्यापकों के खातों में जमा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सबको वार्षिक लेखा पर्चियां दे दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त कटौती का धन किस खाते में जमा किया जाता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जनपद चमोली के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राजकीय विकल्प के पदधारक अध्यापकों की 1-4-74 के बाद से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की मासिक कटौती की जा रही है और उस धनराशि को सम्बन्धित अध्यापकों के खातों में जमा किये जाने हेतु स्थानीय कोषागार में सम्बन्धित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जाता है ।

लेखा पर्चियां महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के स्तर से देय हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

146-ए---श्री पंचानन राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जी० एन० के० इन्टर कालेज, कानपुर में छात्रों से अवैध शुल्क वसूल किये जाने की शिकायत पर कृत कार्यवाही

147--श्री पंचानन राय--

द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच के समय शिकायतकर्त्ताओं को साक्ष्य के लिये न बुलाये जाने का क्या कारण है शिकायतों को सही पाये जाने पर शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16(डी) के अन्तर्गत नोटिस कब जारी किया गया तथा यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

ग्राम समाज इन्टर कालेज, जयनगर, जिगनी, आजमगढ़ का स्पेशल आडिट तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मांगी गयी आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या

148--श्री पंचानन राय--

द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-7-81 को शिक्षा निदेशक द्वारा आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या मांगी जाने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक वर्ष तक उसे उपलब्ध न कराने के लिए सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? क्या अनुपालन आख्या अब प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या उस आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को विभाग तथा शासन द्वारा अनुरक्षण तथा प्राप्त अन्य अनुदान

149--श्री पंचानन राय--

द्वितीय सत्र 82 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को विभाग तथा शासन द्वारा सभी अधिकार युक्त नहीं मान्य किया जाता रहा है तो उन्हें अनुरक्षण तथा अन्य अनुदान यथावत् कैसे मिलते रहते हैं? उनके द्वारा नियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी किस आधार पर विधि मान्य माने जाते रहे हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

अशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजन के सम्बन्ध में पत्र

150--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजन के सम्बन्ध में श्री राम अवतार गुप्त, सहायक अध्यापक, गंगा देवी इन्टर कालेज, हरदोई के प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30 मार्च, 1982 मिला? यदि हां, तो अभी तक उस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश दे दिये गये।

श्री राजा राम वर्मा, सहायक अध्यापक, श्री सत्य नारायण तिवारी विद्या मंदिर निगोहा, लखनऊ के अवशेष वेतन का भुगतान

151—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजा राम वर्मा, सहायक अध्यापक, श्री सत्य नारायण तिवारी विद्या मंदिर निगोहा, लखनऊ का अगस्त, 1976 से नवम्बर, 1976 तक 4 माह का वेतन अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है ? तथा राजाराम वर्मा का अवशेष वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्री राजाराम वर्मा को प्रश्नगत अवधि का किसी प्रकार का अवशेष देय नहीं है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

152—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र जांच हेतु अग्रसारित होकर 28 मार्च, 1982 के आस-पास उन्हें मिला ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्र सेवा सदन हायर सेकेन्डरी स्कूल, सेडना, फरीदपुर, जिला बुलन्दशहर में लेखा परीक्षा में गम्भीर अनियमितताएं

153—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्र सेवा सदन हायर सेकेन्डरी स्कूल, सेडना, फरीदपुर, जिला बुलन्दशहर में वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक की अवधि में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा में गम्भीर अनियमितताएं पाई गयी थीं ? यदि हां, तो वे अनियमितताएं क्या थीं तथा उस बारे में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जनपद झांसी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत तथा कृत कार्यवाही

154—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तीनों विद्यालयों को जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी द्वारा निर्देश

कब दिय गये नियम विरुद्ध गठित प्रबन्धाधिकरणों को मान्यता किस अधिकारी द्वारा कब दी गयी तथा इनके विरुद्ध 16 (डी) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

झांसी जनपद में स्थित निम्नांकित तीनों उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धाधिकरण की अनियमितता की जानकारी प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी ने जनवरी, 1981 में इस आशय का पत्र निर्गत किया कि अनियमितता के निराकरण के लिये तत्काल चुनाव करा लें ।

नियम विरुद्ध गठित प्रबन्धाधिकरण को मान्यता तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी द्वारा फरवरी, 1980 में दी गयी थी :--

(1) सरस्वती पाठशाला इन्टर कालेज, झांसी ।

(2) सरस्वती इन्टर कालेज, सोपरी बाजार, झांसी ।

(3) शिक्षक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी ।

नवीन चुनाव न कराने के फलस्वरूप सरस्वती पाठशाला इन्टर कालेज, झांसी के प्रति 16-डी (2) की कार्यवाही विचाराधीन है । शेष दो विद्यालयों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने के लिये शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं ।

नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नहोरा, जौनपुर को हाई स्कूल की मान्यता, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के पद सृजन और नियुक्ति के लिये अनुमोदन

155--श्री हरदेव--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नहोरा, जौनपुर को हाई स्कूल की मान्यता कब मिली और वहां के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का पद सृजन और नियुक्ति के लिये अनुमोदन कब लिये गये ? क्या यह सत्य है कि बिना अनुमोदन प्राप्त किए उक्त विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री सत्यदेव सिंह से गत सात वर्षों से अध्यापन कार्य कराया गया ? यदि हां, तो क्या इस शिक्षक की सेवाओं को देखते हुए इन्हें नियमित मान लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक योजना

156--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक योजना लागू है तथा इस योजना से शिक्षा सत्र 1981-82 में कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद के शिक्षकों द्वारा धरना तथा पत्र में उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही

157---श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि किन-किन 12 शिकायतों का निराकरण किया गया है और शेष 15 शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

158--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन का भुगतान

159--श्री राम चरण सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अवकाश प्राप्त अध्यापकों के पेंशन का भुगतान प्रत्येक मास में नहीं होता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों के पेंशन की धनराशि अध्यापकों के गृह जनपद व तहसील के खजाने से होती रही ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पेंशन प्रत्येक माह में नियमित रूप से भुगतान किये जाने के आदेश हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

खजाने से पेंशन का सीधा भुगतान विविध कारणों से कठिन है । परन्तु शिक्षा निदेशक को पेंशन के स्थानान्तरण का अधिकार दिया जा रहा है ।

जनपद मिर्जापुर में हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेजों में सी० टी०, एल० टी० एवं प्रवक्ता के पद पर अध्यापकों की एडहाक नियुक्ति

160--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेजों में कितने अध्यापकों की एडहाक नियुक्ति सी० टी०, एल० टी० एवं प्रवक्ता के पद पर किस तारीख एवं किन-किन विद्यालयों में की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, आचार्य जे० बी० कृपलानी उ० मा० विद्यालय, बलिया के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय

161--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा शिक्षा निदेशक के आदेश, दिनांक 27 अप्रैल, 1981, जिसके द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को भुगतान के आदेश दिये गये हैं, पर कोई रोक लगा दी गई है ? अवशेष भुगतान के विरुद्ध प्रबन्धक द्वारा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक के यहां अधिनियम के किस धारा के अन्तर्गत अपील की गई है और उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री कमला प्रसाद सिंह, शाखा मन्त्री, गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मारूफपुर, मर्यादपुर, आजमगढ़ की सन्दर्भित शिकायतों की जांच

162--श्री पंचानन राय--

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र, 1982 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री कमला प्रसाद सिंह, शाखा मन्त्री, गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मारूफ-पुर, मर्यादपुर, आजमगढ़ की संदर्भित शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

अवकाश प्राप्त शिक्षकों को प्राविधायी विधि के राजकीय अंश का भुगतान

163--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 कौन-कौन से अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं जिन्हें प्राविधायी निधि के राजकीय अंश का भुगतान नहीं किया गया है ? इन्होंने अलग-अलग किन तिथियों में अवकाश ग्रहण किया है ? इन्हें उक्त धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? कितने शिक्षकों को अभी तक नई दर से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

निम्नलिखित 13 अवकाश प्राप्त शिक्षकों (जिनके सम्मुख उनके अवकाश ग्रहण करने की तिथि अंकित है) को प्राविधायी निधि के राजकीय अंश का भुगतान नहीं हुआ है :—

1—श्री जगर नाथ प्रसाद	30-6-69
2—श्री सिकन्दर अली	4-3-68
3—श्री फेकू मल्ल	30-6-72
4—श्री सत्यदेव त्रिपाठी	21-6-68
5—श्री रमा शंकर सिंह	1-10-73
6—श्री रमाकान्त सिंह	अप्राप्त
7—श्री लालता प्रसाद	15-[illegible]-74
8—श्री पारसनाथ दीक्षित	7-4-75
9—श्री रामाश्रय राय	23-9-74
10—श्री राम चन्द्र सिंह	14-5-71
11—श्री भगवती प्रसाद यादव	10-7-68
12—श्री रामा शंकर पांडेय	जून, 73
13—श्री विलियम पैट्रिक	25-6-71

उक्त अवकाश प्राप्त अध्यापकों के प्राविधायी निधि के राजकीय अंश के भुगतान के सम्बन्ध में विद्यालयों एवं महालेखाकार से पत्र व्यवहार हो रहा है। महालेखाकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त अध्यापकों के राजकीय अंश का भुगतान कर दिया जायेगा।

पुराने दर से पेंशन पाने वाले पांच अध्यापक हैं, जिन्हें अभी तक नई दर से पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

श्री राम लाल मिश्र, प्रधानाचार्य, ग्राम स्वावलम्बी इन्टर कालेज, रनिवा, फैजाबाद को पेंशन एवं प्राविडेन्ट फंड का भुगतान

164—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लाल मिश्र को अवकाश ग्रहण किये 6 वर्ष से अधिक होने के उपरान्त भी पेंशन एवं प्राविडेंट फंड का भुगतान आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो यह भुगतान कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री राम लाल मिश्र ने सेवा निवृत्ति होने के उपरान्त प्रधानाचार्य के पद का कार्यभार आज तक हस्तान्तरित नहीं किया है। जब कि इस सम्बन्ध में

उन्हें विद्यालय द्वारा पंजीकृत पत्र भेजकर एवं मौखिक रूप से अनेकों बार स्मरण कराया गया। अतः जब तक श्री मिश्र अपना चार्ज नहीं देते उनके पेंशन तथा जी० पी० एफ० भुगतान का प्रकरण विद्यालय द्वारा भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि इसके लिए श्री मिश्र स्वयं उत्तरदायी हैं।

श्री मिश्र द्वारा अपने पद का चार्ज देने के उपरान्त ही उनके पेंशन एवं जी० पी० एफ० के प्रकरण पर कार्यवाही आरम्भ करना सम्भव होगा।

ग्राम विकास इन्टर कालेज, बुघौली, जिला कानपुर देहात के ट्रस्टी अध्यक्ष के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

165—श्री राम लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास इन्टर कालेज, बुघौली, जिला कानपुर देहात के ट्रस्टी अध्यक्ष का एक प्रार्थना-पत्र उप शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मंडल, इलाहाबाद को सम्बोधित एक पत्र शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश व शिक्षा मन्त्री को दिनांक 2 सितम्बर, 1982 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की मुख्य बात क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, कथित शिकायती-पत्र मूलरूप में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

166—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध शासन को कोई शिकायती-पत्र सितम्बर, 1982 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से जांच कराई जा रही है।

जनपद मुरादाबाद के सहायता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का भुगतान

167—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद के कितने सहायता प्राप्त गैर सरकारी उ० मा० विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 1-5-82 तक अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया है तथा भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बारह विद्यालयों के शिक्षकों एंव कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो सका है ।

विद्यालयों के प्रबन्धकों अथवा प्रधानाचार्य द्वारा अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि के भुगतान के पत्राजात सीधे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजे गये हैं । चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने पर भुगतान शिक्षकों एवं कर्मचारियों को किया जायगा ।

सेवा निवृत अध्यापिका, श्रीमती तारावती सक्सेना को पेंशन का भुगतान

168—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्रीमती तारावती सक्सेना, सहायक अध्यापिका, महात्मा गांधी बालिका विद्यालय इंटर कालेज, फिरोजाबाद आगरा, जून, 1978 में सेवा निवृत्त हो गयी थी किन्तु उन्हें सितम्बर, 1982 तक पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इन्हें पेंशन का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

अध्यापिका के वेतन निर्धारण का प्रकरण उनके एवं विद्यालय के स्तर पर तय होता है जिसके बाद ही पेंशन के सम्बन्ध में कार्यवाही हो सकेगी ।

ग्राम विकास इंटर कालेज, बुधौली, जिला कानपुर देहात के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक के विरूद्ध शिकायती-पत्र

169—श्री राम लाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास इंटर कालेज, बुधाली, जिला कानपुर देहात के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा शिक्षा संहिता एवं विद्यालय की प्रशासन योजना का उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृष्ण कटियार का प्राथना-पत्र दिनांक 2-9-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की मुख्य बातें क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, कथित शिकायती-पत्र मूलरुप में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है ।

हर चरन दास गर्ल्स इंटर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ के विरुद्ध गबन की दर्ज रिपोर्ट

170—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हर चरन दास गर्ल्स इंटर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 23 सितम्बर, 1977 को 0,000 (दस हजार) रुपये के गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

करायी गयी थी तथा पुनः 30-4-81 को 11,153 (ग्यारह हजार एक सौ तिरपन) रुपये के सरकारी धन के गबन का एफ0 आई0 आर0 दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी नहीं ।

वाद न्यायालय में योजित किया गया जो अब भी न्यायालय में विचाराधीन है ।

अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री रमाशंकर मिश्र की प्राविधायी निधि तथा पेंशन का भुगतान

171—श्री प्रभू नारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 6ठें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंने कि श्री रमा शंकर मिश्र के उक्त संदर्भित प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त अवकाश प्राप्त शिक्षक को शीघ्र ही पेंशन का भुगतान कराएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सरोजनी नगर, लखनऊ की जनता द्वारा स्कूल को भूमि आबंटन करने हेतु पत्र

172—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 2793/82, दिनांक 8 सितम्बर, 1982 प्राप्त हुआ जिसमें सरोजनी नगर, लखनऊ की जनता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र पर स्कूल को भूमि आवंटित करने के लिए लिखा है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

(12 बजकर 18 मिनट)

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब आप किसी प्रश्न के औचित्य को स्वीकार कर उसे पूछने की आज्ञा दे देते हैं तो माननीय मंत्री जी के लिए दो ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विकल्प रह जाते हैं एक तो यह कि ये यह कह सकते हैं कि इसका उत्तर देना जनहित में नहीं है, दूसरे यह कि उनको सूचना चाहिए, वे यह उत्तर नहीं दे सकते कि इसका सम्बन्ध मूल प्रश्न से नहीं है, ऐसा कहना तो श्री अध्यक्ष पर आक्षेप है । आप यह कृपया व्यवस्था दें कि क्या मंत्री इस तरह का असंसदीय उत्तर दे सकते हैं जिससे कि आपके ऊपर आक्षेप हो ?

श्री अध्यक्ष--

कोई भी माननीय मंत्री इस प्रकार का उत्तर नहीं दे सकते हैं । मैं कार्यवाही देख लूंगा और देखकर निकाल दूंगा ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरे 3 अतारांकित प्रश्न थे इसको देखें कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था प्रश्न संख्या 20, 10 और 113 तीनों में शिक्षा मंत्री जी द्वारा उत्तर आया है सूचना एकत्रित की जा रही है । मेरी सही जानकारी है कि जिले से इसकी सूचना आ गयी है जिसमें बहुत भ्रष्टाचार छुपा हुआ है । अध्यापिकायें आन्दोलन कर रही हैं । जानबूझकर इस प्रकार का उत्तर दिया गया है । 5-5 महीने पहले के प्रश्न हैं । उसके बाद शिक्षा मंत्री महोदया द्वारा यह जानकारी मिलेगी की सूचना एकत्रित की जा रही है तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल की बात हो जायेगी । इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और आप व्यवस्था दें कि कब तक सूचना एकत्रित करके मंत्री जी उत्तर दे देगीं ?

श्री अध्यक्ष--

मेरे कक्ष में आइये । प्रश्नों के बारे में किस प्रकार की पद्धति अपनायी जाय, इस सम्बन्ध में मैं नेताओं की एक मीटिंग बुलाऊंगा जो प्रश्नों के बारे में दिन प्रतिदिन का असंतोष है इस पर विचार करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कोई तिथि निश्चित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कर दूंगा ।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में एक मिनट मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रकार से अचानक प्रश्नों के बारे में सुनना किस प्रकार से ठीक है ?

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ.-

मान्यवर, 15 तारीख को 12 नम्बर पर मेरा प्रश्न था उसमें ठीक उत्तर नहीं आया था इसलिए आपने उसको स्थगित कर दिया था । फिर 22 तारीख को इसका जबाब आया जो उस तारीख में जबाब था वही फिर हो गया उसमें दूसरी बात नहीं आयी । माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि अन्तरिम रिपोर्ट आ गयी है उसका इसमें जिक्र नहीं किया गया इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का जो प्रश्न है चूंकि अचानक आप बात कह रहे हैं, मैं इसको देख लूंगा और देखने के बाद निर्णय लूंगा ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लिखकर आपको भेजा है आपने उस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो तो बता दें ।

श्री अध्यक्ष--

अचानक कैसे बता दूं ? देखकर बतला दूंगा । अचानक कोई नोटिस मिले और कहें कि यह बताइये तो कैसे सम्भव है ?

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, 11वें महीने में मैंने प्रश्न किया था। इसकी सूचना बी0 एस0 ए0 आफिस में बैठ कर बनाई जा सकती थी । लेकिन इसमें कह दिया गया कि विस्तीर्णता के आधार पर उत्तर देना जनहित में नहीं है । मान्यवर, एक जनपद से सम्बन्धित प्रश्न था ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री राम नाथ पाठक के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपनी और अपने दल का शोकोद्गार और श्रद्धांजलि स्वर्गीय राम नाथ जी पाठक को, जो इस माननीय सदन के सदस्य रहे, समर्पित करना चाहता हूं । वे 1979 वर्ष की आयु में 11 दिसम्बर, 1982 को नैनीताल के गणेशपुर ग्राम में स्वर्गवासी हो गये । माननीय पाठक जी का जन्म बलिया में हुआ था और अपने बचपन के विद्यार्थी जीवन से ही, जब वे 8वें दर्जे के विद्यार्थी थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और गिरफ्तार भी हुए थे । एल0 एल0 बी0 की परीक्षा पास की और जब वे वकील थे, 1957 में इस सदन के सदस्य रहे और अपना कार्य बड़े सुचारुरूप से संचालित किया । जनता, समाज की सेवा में प्रमुख रूप से भाग लेते रहे । 1939 में जब गंगा में भयंकर बाढ़ आई थी तो जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, लोगों के जीवन की रक्षा की और एक आदर्श उपस्थित किया वह किसी के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है । पाठक जी के निधन से एक कर्मठ, समाजसेवी, व्यक्तित्व का हमसे विछोह हो गया है । मैं उनके लिए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी भावनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक अवश्य पहुंचायी जायेंगी ।

*श्री मोहन सिंह--

हमारे बीच से एक ऐसी पीढ़ी धीरे-धीरे उठती जा रही है जिसने देश को आजादी दिलवायी थी । पाठक जी का चला जाना ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है । वे ऐसे इलाके से आते थे जो गंगा और घाघरा से प्रति वर्ष आप्लावित और तबाह होता था । समाजसेवा, कर्मठता और आन्दोलन में योद्धा के रूप में उनकी साख थी । इन्हीं आन्दोलनों के कारण किच्छा में उन्हें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जमीन मिली थी और वहीं जाकर उन्होंने अन्याय के विरुद्ध लोगों को जागृत करना शुरू कर दिया था। आयु लम्बी मिली और विधान सभा में 5 वर्ष तक रहे। बावजूद इसके जो प्रेरणा अपने जीवन से उन्होंने दी, वह आगे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगी। माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे अपने को तथा अपने दल को आबद्ध करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी भावनायें तथा श्रद्धा के सुमन पहुंचाने की कृपा करें।

श्री फखरे आलम—

माननीय नेता सदन और मोहन सिंह जी ने जो संवेदना और श्रद्धांजलि राम नाथ पाठक के प्रति प्रकट की है, उससे मैं अपने तथा अपने दल को पूरी तौर से सम्बद्ध करता हूं। श्री पाठक उस पीढ़ी के नेताओं में थे जिन्होंने वह सेवायें मुल्क, देश, प्रदेश के लिए की जो उस जमाने में करने में लोग बहुत डरा करते थे मगर उन्होंने कभी डर और खौफ को अपने पास नहीं आने दिया और मुल्क की सेवा में तन-मन-धन से लगे रहे। उन्होंने इसके लिए तरह-तरह की तकलीफें उठायीं, मुसीबतें उठायीं लेकिन जिस डगर पर उन्होंने चलना शुरू किया, उससे नहीं हटे। ऐसे लोग ऐसा मार्ग-दर्शन छोड जाते हैं, ऐसी बात बता जाते हैं जिस रास्ते पर चल कर हम लोग बेखौफ मुल्क की खिदमत सच्चाई के साथ कर सकते हैं। ऐसे वक्त में हम लोगों को उन्होंने छोड दिया। जब उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। मैं अपने तथा अपने दल की ओर से निवेदन करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धांजलि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, श्री राम नाथ पाठक के निधन के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन तथा प्रतिपक्ष की ओर से व्यक्त किये गये हैं, मैं उनमें अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। जो आया है उसे जाना है। लेकिन जिन लोगों के कृतृत्व और श्रेष्ठ सेवाओं के बल पर यह देश आजाद हुआ। वह हमारे लिये एक रोशनी की तरह थे। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से उठ जाता है, स्वाभाविक रूप से दुःख और संवेदनायें हमारे मन में प्रकट होती हैं। स्व0 रामनाथ पाठक के रूप एक श्रेष्ठ समाजवादी, उच्च कोटि के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बीच से चला गया। ऐसी रिक्तता की पूर्ति दुर्लभ होती है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शान्ति दे। एक बात और कहूंगा। माननीय नेता सदन के मुख से जैसा कि मैंने सुना है कि पाठक जी का निधन 1982 को किसी तारीख को हुआ था। आज 1983 के भी दो माह बीत गये। ऐसे बड़े नेताओं के निधन की सूचना शासन को इतनी देर से मिले यह चिन्ता का विषय है। इस स्तर पर मुख्य मंत्री जी को चिन्ता करनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के मन में ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं के प्रति सम्मान की कमी दृष्टिगोचर हो रही है। मैं इसमें कोई राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहता। इन शब्दों के साथ मैं पुनः स्व0 पाठक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं मेरी संवेदनायें मेरे और मेरे दल की ओर से शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, श्री राम नाथ पाठक के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने प्रकट किया उससे मैं अपने को तथा अपने दल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन---]

को सम्बद्ध करता हूं। बलिया जिले में जो क्रान्तिकारी लोग पैदा हुए उनमें से एक आदमी की और कमी हुई। यह बड़े दुःख की बात है। इन शब्दों के साथ में स्व0 पाठक जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री मीखा लाल---

स्वर्गीय श्री रामनाथ पाठक के निधन के सम्बन्ध म जो विचार माननीय नेता और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने दल को तथा अपने को सम्बद्ध करता हूं। सन् 1957 और 1962 के बीच में उनके साथ मुझे भी इस सदन में बैठने का अवसर मिला। ऐसे समाजवादी के उठ जाने पर मैं और मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे निवेदन करते हैं कि मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

स्व0 श्री रामनाथ पाठक के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने प्रकट किये हैं उनसे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। 1942 की क्रान्ति में उन कार्यकर्ताओं के वह अगुआ थे जिन्होंने देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए जान की बाजी लगा दी। बचपन में उन्होंने आन्दोलनों में हिस्सा लिया और अनुस्मरणीय कार्य किया। उनकी शिक्षा समाप्त हो गई। धीरे-धीरे उन्होंने एल0 एल0 बी0 किया। बलिया में जब बहुत बड़ा आंतक फैला था। देश की आजादी के दीवाने सीना तान कर चल रहे थे, उस वक्त उन्होंने अच्छे कार्य किये। इस सदन में वह मेरे साथ बैठे। वह इस प्रकार के व्यक्ति थे जिनकी छबि नहीं भुलाई जा सकती। जो भाव स्व0 पाठक जी के प्रति व्यक्त किये गये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दो मिनट के लिए मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

भूतपूर्व सदस्य, श्रीमती बृजरानी मिश्र के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने एवं अपने दल की तरफ से भूतपूर्व सदस्या, स्वर्गीय श्रीमती बृजरानी मिश्र, जिनका निधन 25 जनवरी, 1983 को रात्रि के 11.30 बजे हो गया है, शोकोद्गार प्रकट करता हूं। वे 66 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई। श्रीमती मिश्र का जन्म 1916 में ग्राम जसुवामई, जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। श्रीमती मिश्र 1950 से इस विधान सभा की सदस्या थीं और 1967 तक इसकी सदस्या रहीं। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन और सामाजिक जीवन बहुत पहले से ही प्रारम्भ कर दिया था। 1982 तक कांग्रेस संगठन में विशेष पदों पर कार्य करती रहीं, वे कांग्रेस महिला दल की संयोजिका रहीं। गणेश शंकर विद्यार्थी आश्रम के तत्वावधान में उन्होंने भी कार्य किया। इस तरह से वे कई वर्षों तक लगातार जनता और देश की सेवायें करती रहीं। वह एक दृढ़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं। उन्होंने जिस तरह से और जिस बहादुरी से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जिस तरह से जन-सेवा में जीवन लगी रहीं वह वास्तव में एक आदर्श है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं पुनः अपने और अपने दल की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यह शोक संदेश उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

*श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने श्रीमती बृजरानी मिश्र की मृत्यु पर जो अपनी संवेदनायें और दुःख प्रकट किया है मैं अपने और अपने दल को उसमें सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, स्वर्गीया श्रीमती बृजरानी मिश्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र सैंबुसू में ब्याही थी और वहीं से विधान सभा के लिए उनका निर्वाचन हुआ था ।

मान्यवर, यद्यपि वे अधिक पढ़ी-लिखी नहीं थीं लेकिन बहुत ही सरल स्वभाव की और बहुत मृदुभाषी थीं । मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने जो सेवाएं की, वे दोषरहित थीं । यह सही है कि उनके निधन से मुझको स्वयं भी गहरा आघात लगा है । मैं फिर उनके अकस्मिक निधन पर अपना गहरा दुःख प्रकट करता हूं और मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा और मेरे दल का यह दुःखी स्वर उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में आजादी की लड़ाई के लिए पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने में महिलाओं का भी सहयोग रहा था । उसमें श्रीमती बृजरानी मिश्र भी एक महिला थीं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में उस वक्त योगदान दिया था जब औरतें घरों से कम निकलती थीं और पढ़ाई में बहुत कम थीं, ऐसे जमाने में किसी महिला का घर से निकलकर आजादी की लड़ाई में भाग लेना एक बहुत बड़ा काम था तथा समाज के लिए त्याग था, श्रीमती बृजरानी उनमें से एक थीं । मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि आजादी की तारीख उत्तर प्रदेश को लिखते वक्त उनका नाम स्वर्ण हरफों में लिख दिया गया । माननीय नेता सदन और माननीय उप नेता, लोकदल, ने जो हार्दिक श्रद्धांजलि उनके प्रति प्रकट की है मैं भी अपने और अपने दल को पूरी तरह से उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे और मेरे दल की तरफ से व्यक्त की गई श्रद्धांजलि को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती बृजरानी मिश्र ने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही वरन् सामाजिक और रचनात्मक सेवा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है । उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी अगुवाई की । उनका जीवन अनुकरणीय रहा है । उनके निधन के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता लोकदल तथा नेता लोकतांत्रिक समाजवादी दल ने व्यक्त किये हैं, मैं व मेरा दल उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता है । आपसे प्रार्थना है कि इन विचारों को उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने कृपा करें ।

*श्री रियाज़त हुसैन--

श्रीमती बृजरानी मिश्र के निधन पर जो विचार नेता सदन, नेता लोकदल और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनको उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री भीखा लाल—

स्वर्गीय श्रीमती बृजरानी मिश्र के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे और मेरे दल की ये भावनायें उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

स्वर्गीय श्रीमती बृजरानी मिश्र के बारे में नेता सदन, उप नेता लोक दल और अन्य दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो भाव प्रकट किये हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । वे एक सामाजिक कार्यकत्री थीं, राजनैतिक कार्य भी करती थीं । इसके अलावा महिला संगठनों में भी उन्होंने बहुत काम किया । आजादी प्राप्त होने से पहले वह सदन में 7 वर्ष तक सदस्य भी रहीं । हमने एक सामाजिक और राजनैतिक कार्यकत्री को खो दिया है । इन्हीं शब्दों के साथ जो विचार नेता सदन, उप नेता लोक दल और अन्य दलों के नेताओं ने प्रकट किए हैं, मैं उनको उनके दुःखी परिवार तक भेज दूंगा । अब हम दो मिनट के लिए मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए ।)

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में चकबन्दी से सम्बन्धित अभिलेख तथा नक्शे उपलब्ध न होने से किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 5 को मैंने स्वीकार किया है । दो सूचनायें श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री और श्री सत्यपाल सिंह की 10 शब्दों से अधिक थीं, इसलिए अस्वीकार की गयीं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जो सूचना है, बिजली के सम्बन्ध में, क्योंकि चर्चा होनी है और निर्धारित है, लिए उनको अस्वीकार किया है, जिनको स्वीकार किया है वे श्री फिरंगी प्रसाद शारद, श्री बदन सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री परमाई लाल तथा श्री शम्भू नाथ हैं ।

फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर इस सदन का और राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं । जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया लगभग 75 प्रतिशत गांवों की पूर्ण हो गई है । एक वर्ष से अधिक हुआ। धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है । चकबन्दी की प्रक्रिया समाप्ति के बाद सम्बन्धित अभिलेख व नक्शे तहसील महाराजगंज मुख्यालय पर अब तक भेजे नहीं गये । गोरखपुर शहर लगभग 60 कि0 मी0 दूर पड़ता है जहां पर खेती से सम्बन्धित कागजात आदि लेने जाना पड़ता है, जिसमें किसानों को भारी खर्च भार सहन करते हुए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अब तक अभिलेख तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध न होने से किसानों में घोर असन्तोष व आक्रोश व्याप्त हो गया है । अतः ऐसे लोकमहत्व के विषय की मांग करता हूं कि शीघ्र अभिलेख व नक्शे तहसील मुख्यालय पर भेजे जायं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश में भिखारियों की बढ़ती हुई संख्या एवं उससे उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह—

महोदय, आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के ध्यान में एक अति लोक महत्व की समस्या की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं ।

आज प्रदेश में भिखारियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है विधान सभा सचिवालय के चारो तरफ बड़ी संख्या में भिखारी नजर आ रहे हैं । प्रदेश में रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, आम बाजार एवं दर्शनीय स्थानों पर भिखारी बड़ी दयनीय दशा में भीख मांगते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । इसी प्रकार धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों के आस पास व पर्यटन केन्द्रों पर ये भिखारी जिसमें बूढ़े-जवान बच्चे महिलायें सभी शामिल हैं देखने को मिलेंगे । मेरे जनपद मथुरा में यह भिखारी मथुरा शहर बृन्दाबन, गोबर्धन, गोकुल, महावन दाऊजी तथा कोसी रेस्टो-रेंट आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में हैं । इन भिखारियों से प्रदेश के व देश के शासन की छवि खराब होती है । मथुरा आगरा में व कोसी रेस्टोरेंट में विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आता है और जैसे ही वह उतरते हैं भिखारियों से घिर जाता है, विदेशी पर्यटकों द्वारा इनके फोटो खींच लिये जाते हैं । जिनका प्रचार एवं प्रसार विदेशों में किया जाता है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि बढ़ते हुए भिखारियों की संख्या पर रोक लगाये और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें । जिससे हमारे देश एवं प्रदेश की छवि धूमिल होने से बच सके ।

मिश्रिख (सीतापुर) थानान्तर्गत श्री कुबेर गिरि उर्फ त्यागी बाबा एवं उनके दो शिष्यों की हत्या एवं पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री परशुराई लाल—

जनपद सीतापुर के मिश्रिख थाना के अन्तर्गत देव देवसदन त्याग-तपस्या की मूर्ति श्री कुबेर गिरी उर्फ त्यागी बाबा एवं उनके दो अन्य शिष्यों की निर्मम हत्या एक साथ 25/26 फरवरी, 1983 को कर दी गयी । हत्यारों द्वारा यह हत्याएं जिस बेरहमी से की गयी है, उससे जनपद सीतापुर एवं हरदोई के लोगों के दिल दहल उठे हैं । त्यागी बाबा की इस हत्या से उनके हजारों शिष्य अपने को अनाथ एवं असहाय महसूस करने लगे हैं । नैमिसार एवं मिश्रिख जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर दहशत एवं आतंक व्याप्त हो गया है । इस सामूहिक हत्याकांड के प्रति मिश्रिख थाना पुलिस की निष्क्रियता तथा पुलिस अधीक्षक की आसुरी गहरी आशंका पैदा कर देती है ।

लोक महत्व के द्वारा अविलम्बनीय सूचना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने की शासन से मांग करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आजमगढ़ में सड़कों एवं नालियों के टूटने एवं गंदगी के व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शम्भू नाथ—

माननवर, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं, आजमगढ़ में जो सड़क ब्रह्म स्थान के सब्जी मन्डी होते हुए कचहरी जाती है तथा दूसरी सड़क कचहरी से गौरीशंकर घाट होते हुए हरी चुंगी जाती है, उसकी दशा अत्यन्त जीर्ण हो गयी है । नालियां बिल्कुल टूट गयी हैं, जिसके कारण सड़क के किनारे चारों ओर पानी भरा हुआ है । गंदगी इतनी है कि मच्छरों की भरमार हो गयी है । यह दोनों सड़कें बाहर को सर्वाधिक चालू मार्ग हैं । एक मार्ग आजमगढ़ से दोहरीघाट तथा आजमगढ़-फैजाबाद है । सड़क इतनी दूर है कि पत्थर उखड़े पड़े हैं । साइकिल तक चलना सम्भव नहीं है । इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है ।

माननवर, नगरपालिका अधिकारियों का ध्यान इस ओर अनेक बार आकृष्ट किया गया, परन्तु कोई भी ध्यान नहीं दिया गया । जनता में भीषण उत्तेजना एवं असंतोष है । अतएव आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर तुरन्त सुधार कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी नियम 301 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, जिसे मैंने दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास में जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वह केवल 8 हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं चाहता हूं आप मेरी सूचना की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आपकी सूचना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

हैं मान्यवर, उसी में है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी बात को सुन लिया है । इसमें 200 शब्द से अधिक है जिसके कारण यह स्वीकार नहीं की गयी क्योंकि यह नियमानुसार नहीं है । जिन सूचनाओं मे 200 शब्द या उससे अधिक होंगे वे अस्वीकार की जायेंगी । आप दूसरी दे दीजियेगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

अध्यक्ष जी, उसमें 180 शब्द हैं । कहिये तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं । आप इसे दुबारा दे दीजियेगा ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मेरा नियम 301 के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या जिस दिन सूचना दी जाय, उसी दिन यह आवश्यक है कि उसे स्वीकार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

मेरी और आपकी बात जो हो गयी है । यह नियम है क 5 सूचनाएं ही स्वीकार की जायेंगी ।

भूतपूर्व गृहमंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

विशषाधिकार के तीन निर्णय बहुत पुराने पड़े हुए हैं । मैंने मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ से बात कर ली है और जिस निर्णय पर पहुंचा हूं उसे मैं पढ़ रहा हूं ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 29-3-82 को तत्कालीन गृह मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी । माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 22 मार्च, 1982 को जब सदन में थाना त्रिलोकपुर, जनपद बस्ती के थानाध्यक्ष, श्री जयपति नाथ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस आधार पर उठाया गया था कि उपरोक्त थानाध्यक्ष ने माननीय माता प्रसाद पान्डेय के प्रति दुर्व्यवहार किया है, तो तत्कालीन गृह मंत्री ने सदन में घोषित किया था कि थानाध्यक्ष को निलम्बित किया जायेगा और माननीय माता प्रसाद पान्डेय को सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाएगा । माननीय सदस्य का कहना है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 22-3-82 की रात तक ही लागू हो जाना चाहिए था, पर वह लागू नहीं किया गया । दिनांक 24-3-82 को श्री माता प्रसाद पान्डेय जब अपने क्षेत्र में गये तो उपरोक्त थानाध्यक्ष के पालतू गुन्डों ने पुनः श्री पान्डेय को जान से मारने की धमकी दी और इस कारण माननीय गृह मन्त्री जी सदन की अवमानना के दोषी हैं ।

इस मामले में माननीय गृह मन्त्री से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गयी । वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 7-2-1983 द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की सूचना दी--

(क) थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर के निलम्बन हेतु टेलीफोनिक आदेश 24-3-1982 को तथा लिखित आदेश दिनांक 29-3-1982 को जारी किये गये थे ।

(ख) थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर दिनांक 1-4-1982 को निलम्बित किये गये थे, पर दिनांक 5-6-82 को उन्हें पुनः बहाल कर दिया गया था । सी0 आई0 डी0 की जांच अभी जारी है ।

[श्री अध्यक्ष--]

(ग) माननीय श्री माता प्रसाद पान्डेय की सुरक्षा हेतु एक अंगरक्षक का नियुक्ति आदेश दिनांक 7-4-82 द्वारा दो माह के लिये शासकीय व्यय पर की गयी थी । आदेश दिनांक 21-7-82 द्वारा पुनः 3 माह के लिये अंगरक्षक नियुक्त किया गया । तदुपरान्त दिनांक 21-12-82 तक भी उन्हें अंगरक्षक की स्वीकृति की गयी और वर्तमान में भी उनके साथ अंगरक्षक तैनात है ।

प्रश्नगत मामले पर गम्भीरता से विचार किया गया । माननीय सदस्य का कहना है कि चूंकि माननीय माता प्रसाद पान्डेय को उनके क्षेत्र में 24-3-82 को जाने पर थानाध्यक्ष के गुण्डों के द्वारा धमकी दी गयी, अतः माननीय गृह मंत्री का बयान, जो दो दिन पूर्व सदन में दिया गया था, गलतबयानी समझी जानी चाहिये। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं । दिनांक 22-3-82 को सदन में जो आश्वासन माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया था, उसकी पूर्ति की जा चुकी थी । थानाध्यक्ष का निलम्बन और अंगरक्षक की नियुक्ति उस आश्वासन की पूर्ति के अनुसरण में है । अतः प्रश्नगत मामले में किसी गलतबयानी या विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पैदा नहीं होता और मैं इसे सदन में उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं ।

जिन्द (हरियाणा) के पुलिस अधीक्षक तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री अकबर अहमद, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 12 जुलाई, 1982 को सदन की अवमानना के बारे में एक सूचना दी है, जो जिन्द (हरियाणा) के पुलिस अधीक्षक तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध है । माननीय सदस्य की सूचना के अनुसार दिनांक 27 जून, 1982 को जिन्द में संजय विचार मंच का सम्मेलन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता माननीय सदस्य स्वयं कर रहे थे और श्रीमती मेनका गांधी उसकी मुख्य अतिथि थीं । सम्मेलन के दौरान कतिपय असामाजिक तत्व तथा सादी वर्दी में पुलिस के कुछ आदमी सम्मेलन भंग करने के उद्देश्य से नारे बाजी, पथराव तथा मारपीट करने लगे । जब श्री अकबर अहमद ने वहां पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री निर्मल सिंह से इसका विरोध करते हुए अपना परिचय दिया तो उक्त अधिकारी ने विधान सभा तथा विधायकों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया । माननीय सदस्य के अनुसार उपरोक्त कान्ड संजय विचार मंच के कार्यकर्त्ताओं को सुनियोजित ढंग से मार डालने के लिए आयोजित किया गया था । माननीय सदस्य द्वारा प्रदत्त सूचना की प्रति माननीय मुख्य मंत्री को भेज कर हरियाणा सरकार से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी । शासन के पत्र दिनांक 21 जनवरी, 1983 द्वारा हरियाणा के वित्त आयुक्त एवं गृह सचिव का उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया कि जांचोपरान्त श्री अकबर अहमद द्वारा लगाये गये आरोप निस्सार एवं निराधार पाये गये हैं । उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित पूरे मामले पर मैंने सम्यक् रूप से विचार किया । सदन की अवमानना या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति उसी समय दी जा सकती है जब प्रश्नगत कृत्य इस सदन या उसकी किसी समिति के सदस्य की हैसियत से किए गए किसी कार्य के दौरान उसके प्रसंग में की गयी हो । जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है वह न तो सदन की कवाही से सम्बन्धित है और न सदस्य के रूप में कृत किसी कार्य से । जो

आरोप माननीय सदस्य ने लगाया है, वह व्यक्तिगत प्रकृति का प्रतीत होता है, सार्वजनिक प्रकृति का नहीं प्रतीत होता । इतना ही नहीं, माननीय सदस्य ने प्रश्नगत शिकायत घटना के लगभग 15 दिनों बाद प्रस्तुत की है, जब कि नियमों और परम्पराओं के अनुसार विलम्ब से प्राप्त सूचनाओं को विशेषाधिकार की अवहेलना का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए । माननीय सदस्य ने यह भी सूचित किया है कि उपरोक्त घटना की लिखित सूचना उन्होंने 27 जून, 1982 को जिन्द थाने में दे दी थी, किन्तु उक्त शिकायत की कोई प्रति उन्होंने अपनी सूचना के साथ संलग्न भी नहीं की । उपरोक्त परिस्थिति में मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता ।

थाना किच्छा (नैनीताल) के तत्कालीन थानाध्यक्ष, श्री मोहन सिंह खुन्नू के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

इसका निर्णय देने के पहले मैंने माननीय सदस्य को अपने कक्ष में बुलाया था, उनसे बातचीत करने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसको मैं आदरणीय सदन में रखूं ।

श्री अकबर अहमद, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 15-9-1981 को थाना किच्छा (जिला नैनीताल) के तत्कालीन थाना इन्चार्ज तथा उप निरीक्षक, श्री मोहन सिंह खुन्नू के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी थी । इस सूचना में उनका कहना है कि 15 अगस्त, 1981 को जब वे किच्छा निवासी श्रीमती लूथरा, उनके लड़के हरेन्द्र कुमार, अपने भाई असगर अहमद व कांग्रेस (आई) के कुछ कार्य कर्त्ताओं तथा अपने शुभचिन्तकों के साथ श्रीमती लूथरा के मकान को कुछ अज्ञात हथियार बन्द लोगों द्वारा घेरे जाने एवं उनको जान से मार देने की धमकी देने के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे और बड़े दरोगा से पूछा कि रिपोर्ट पहले क्यों नहीं लिखी गयी तो खुन्नू दरोगा बोले, "आप कौन होते हैं रिपोर्ट लिखाने वाले" । उनके यह बताने पर कि वे इस क्षेत्र के विधायक हैं और यदि उनकी बात नहीं सुनी गयी तो वे विधान सभा में उसे आगामी सत्र में उठायेंगे, खुन्नू दरोगा ने कहा, "आप जाइये, विधान सभा में उठाते रहिये, ऐसी विधान सभा और विधायक बहुत देखा करता हूं । यह विधान सभा है या गुन्डों की जमात," और इस पर एस० ओ० उत्तेजित होकर बोले, "बड़े विधायक बने फिरते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि विशेषाधिकार उठाने से कुछ नहीं होता । मैं अपने दम पर नौकरी करता हूं, विधायक की मर्जी से नहीं," शिकायत के अनुसार उसके पश्चात् खुन्नू दरोगा ने उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दीं और बात अधिक बढ़ती देख उनके शुभचिन्तकों ने बीच-बचाव किया तथा उसके बाद श्रीमती लूथरा की रिपोर्ट 323/506 को लिखी गयी श्री अकबर अहमद ने उक्त विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में एक दूसरा पत्र दिनांक 29-9-1981 को प्रेषित किया था जिसमें उन्होंने कहा कि दिनांक 16-9-1981 को उनके द्वारा उक्त विषय का उल्लेख किए जाने पर माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि मामले की जांच कराकर सख्त कार्यवाही करूंग और उस पत्र में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री द्वारा पृथक् से इस सम्बन्ध में दिए गए कथित आश्वासन का भी जिक्र किया गया है ।

इस पूरे प्रकरण के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 22-1-1982 द्वारा

[श्री अध्यक्ष---]

सूचित किया कि इस मामले में जांच करवायी गयी, और जांच के फलस्वरूप जो स्थिति बतायी गयी वह संक्षेप में इस प्रकार है ।

"दिनांक 15 अगस्त, 1981 को श्री हरेन्द्र कुमार लूथरा, निवासी किच्छा (नैनीताल) अपने घर पर अपने कुछ साथियों के साथ थे । इसी बीच श्री हरेन्द्र कुमार व वहां बैठे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के बीच कुछ कहा सुनी व हाथा पायी हो गई, जिसकी सूचना श्री हरेन्द्र कुमार ने टेलीफोन द्वारा थाने को तथा विधायक महोदय श्री अकबर अहमद को दी ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15 अगस्त, 1981 को संदर्भित थाने पर उप निरीक्षक, श्री मोहन सिंह खुन्नू थाने पर विधायक महोदय के साथ आये व्यक्तियों से पुलिस कार्यवाही का पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे । उप निरीक्षक श्री खुन्नू द्वारा विधायक जी से वाद-विवाद किया जाना ज्ञात हुआ है । उक्त उप निरीक्षक द्वारा संदर्भित बिन्दु पर इतना कहा जाना भी ज्ञात हुआ है कि उन्होंने विधायक जी के साथियों से यह कहा कि यदि विधायक जी उनके कार्य से नाराज हों तो उनका स्थानांतरण करा दें । करीब-करीब इन्हीं शब्दों में थानाध्यक्ष श्री ए० एल० आर्या ने भी यही बात कही । विधायक महोदय के प्रति अपमानजनक शब्द कहे जान, अभद्रता का कोई शब्द कहे जाने तथा उनके विधायक पद का किसी प्रकार का अपमान करने की पुष्टि नहीं हो पायी, न ही पुलिस कर्मियों द्वारा विधान सभा की प्रतिष्ठा व विधान मन्डल की अवमानना सम्बन्धी कोई बात कहे जाने की कोई पुष्टि हुई ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से थाना किच्छा के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री आर्या, उप निरीक्षक श्री खुन्नू तथा हेड मोहर्रिर श्री श्यामदेव शर्मा का स्थानांतरण अन्य कर दिया गया है और वे स्थानांतरण पर प्रस्थान भी कर चुके हैं । जनपद नैनीताल के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी का भी स्थानांतरण हो चुका है और वे भी जा चुके हैं ।

माननीय सदस्य तथा उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में शासन द्वारा पुलिस महा-निरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं कि उनके परिवार तथा सहयोगियों की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय ।"

माननीय सदस्य की सूचना तथा तत्कालीन माननीय गृह मंत्री के उपरोक्त पत्र पर पूर्ण रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नांकित तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं :--

1--दिनांक 15-8-1981 को थाने पर माननीय सदस्य श्री अकबर अहमद तथा किच्छा के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री आर्या तथा उप निरीक्षक श्री खुन्नू के बीच कुछ वाद-विवाद हुआ ।

2--उपरोक्त वाद-विवाद श्री लूथरा के बारे में था और श्री लूथरा की रिपोर्ट थाने में दर्ज भी की गई ।

3--श्री अकबर अहमद किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में थाना किच्छा नहीं गये थे, जो विधान सभा अथवा उसकी किसी समिति के कार्य से सम्बन्धित रहा हो ।

4--किच्छा के थानाध्यक्ष श्री आर्या, उप निरीक्षक श्री खुन्नू, हेड मोहर्रिर श्री शर्मा, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी का स्थानांतरण किया जा चुका है ।

5--माननीय सदस्य श्री अकबर अहमद ने दिनांक 15-8-1981 को उपरोक्त घटना के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दिनांक 15-9-1981 को (लगभग एक माह बाद) भेजी ।

अतः पूरे मामले पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति देना समीचीन नहीं होगा ।

चम्बल घाटी के डाकुओं के आत्म समर्पण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच कथित तनावपूर्ण वातावरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6 7-2-1983 समय करीब आधी रात को श्री राजाराम चौकीदार ग्राम शेखपुर गढ़ा, जिला जालौन ने थाना कालपी में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई कि भिन्ड पुलिस के तीन-चार लोग असलहों सहित दो जीप लेकर गांव शेखपुर गढ़ा आये और गांव की फूलन देवी के बाप देवीदीन, मां, छोटे भाई, बहिनों को डरा धमका कर मार डालने के लिये घर से पकड़कर जीपों में सबको बैठा कर ले गये हैं । इस सूचना पर थाना कालपी में मुकदमा अपराध संख्या 60, धारा 364 342 भारतीय दंड विधान पंजीकृत हुआ जो विवेचनाधीन है ।

दस्यु फूलनदेवी ने दिनांक 13-2-83 को भिन्ड में तथा अन्य 26 दस्युओं ने आत्म-समर्पण कर दिया है । मध्य प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई तनाव का वातावरण नहीं है तथा न ही चम्बल व बेतवा के इलाके में बसने वाले उत्तर प्रदेश निवासियों में कोई आतंक व्याप्त है ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच तनावपूर्ण स्थिति है, उसको वे झुठला रहे हैं । भिन्ड के जो राजेन्द्र चतुर्वेदी, एस0 पी0 हैं वे यह प्रचार कर रहे हैं कि फूलन देवी ने जो आत्मसमर्पण किया है वह उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से किया है । मध्य प्रदेश के जो आई0 जी0 श्री अ र0 पी0 गोयल हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को एक पत्र लिखा था कि भिन्ड के इलाके में फूलन देवी और घनश्याम का गिरोह काम कर रहा है, आप उनके लिये हमें अनुमति दे दें । लेकिन आपने उसका भी कोई उत्तर नहीं दिया । तो सब से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपने आत्म समर्पण की तिथि इसमें लिखी है वह 13-2-83 न होकर 12-2-83 है । जो एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई थी कि फूलन देवी के परिवार को भिन्ड पुलिस के लोग अपहरण करके ले गये और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई । मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस समय उनके पास कितने असलहे थ, कितनी गाड़ियां थीं, कितने लोगों को उसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने छोड़ा । तो मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि फूलन देवी के परिवार को जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरफ्तार करके ले गई। उनके परिवार को मध्य प्रदेश की पुलिस ने किसकी पहल पर कब और कहां पर छोड़ा ?

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गुलाब सेहरा--

भाई मोहन सिंह जी ने जिसका जिक्र किया है इसकी विवेचना हुई इसमें कोई पकड़ा नहीं गया है ।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, उनका बयान पूरा नहीं आया । हम लोगों ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें दो घटनायें थी एक घटना थी जिसका उल्लेख आपने किया 6/7-2-1983 का । पहली घटना के बारे में यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि एक समाचार छपा था और हम लोगों को भी जानकारी थी कि मध्य प्रदेश पुलिस के अधीक्षक राजेन्द्र चतुर्वेदी वह भी उसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध भी एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी । जब दो जीपें आई थी तो उसमें तीन चार लोग रहे ऐसा नहीं हो सकता है इससे ज्यादा लोगों की संख्या होगी । तो क्या उसमें पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र चतुर्वेदी पर मुकदमा दर्ज कराये जाने की बात आती है ? दूसरा हमने प्रश्न उठाया था जो अगले दिन का था जिसमें मानसिंह के घर वालों को पकड़कर ले जा रहे थे उसमें 6 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिसमें एक पुलिस का व्यक्ति भी था ।

श्री अध्यक्ष--

आप इतना लम्बा चौड़ा प्रश्न कर रहे हैं संक्षेप में स्पष्टीकरण मांगिये ।

श्री शंकर सिंह--

आज प्रदेश की जनता निश्चित रूप से मांग करती है उनके ऊपर जो मुकदमे चलाये जाने हैं वह उत्तर प्रदेश में चलाये जायेंगे या मध्य प्रदेश में चलाये जायेंगे । आखिरी बिन्दु यह कि क्या आपकी जानकारी में यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की वर्दी में उन्होंने आत्म-समर्पण करवाया, उत्तर प्रदेश पुलिस का बिल्ला लगा कर आत्मसमर्पण करवाया ।

श्री गुलाब सेहरा--

जिस केस को उठाया गया है उसकी विवेचना हुई उसमें कोई नहीं पकड़ा गया ।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

श्री चतुर्वेदी उसमें थे या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

दूसरा केस जो अपराध संख्या 60 है उसमें विशेष रूप से मान सिंह की मां, उसका ममेरा भाई आदि 6 आदमियों को बैठा कर ले गये । इस सूचना पर हमारे पुलिस कर्मियों ने रोका । इसमें कोई विवाद की बात नहीं है । एक परम्परा है जिसमें जब एक प्रदेश की पुलिस अन्य दूसरे प्रदेश में जाती है और वहां पर कोई रेड करना है या किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए वहां के एस0 पी0 को सूचित करना होता है और उसमें उनसे आवश्यक मदद मांगते हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो इसमें जब चौकीदार ने सूचना दी कि पुलिस की वर्दी में मध्य प्रदेश ले जा रहे हैं, पहली एफ0 आई0 आर0 में लेट हो गये लेकिन दूसरी में वे पकड़ में आ गये और जब उन्होंने बताया कि हम मध्य प्रदेश पुलिस से सम्बंधित हैं तो उनको व्यक्तिगत मुचलकों में छोड़ दिया गया। तो इसमें दो प्रदेशों का विवाद बनाना उचित नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(श्री शंकर सिंह के खड़े होने पर)

आप बैठिये।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, डाकू उन्मूलन के लिये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच बाकायदा बैठकें हुई। इस समस्या पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसमें पहली बैठक 8 मार्च, 1981 को सेवढ़ा में हुई। दूसरी बैठक 17 मार्च, 1981 को हुई जिसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री राजा विश्व नाथ प्रताप सिंह मौजूद थे जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह को बुलाया था। इसमें उन्होंने पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को सूचना नहीं दी थी कि कुछ लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे बाद में उनको छोड़ दिया था तथा जीप भी छोड़ दी थी। आखिर यह कैसे विश्वास कर लिया जाये कि यह पुलिस पार्टी है, इसलिये उनके शस्त्र रोक लिये गये हैं कि उनका वेरीफिकेशन हो जाये। इसमें विवाद की कोई बात नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह --

मान्यवर, मंत्री जी ने वक्तव्य में बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच में कोई विवाद या तनाव नहीं है लेकिन फूलन देवी ने आत्म समर्पण किया, यह सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और आई0 जी0 के सामने हमारी प्रदेश की पुलिस की फूलन देवी और अन्य डाकुओं द्वारा गद्दार कह कर अपमान किया गया है। यह हो सकता है कि दोनों सरकारों में विवाद न हो लेकिन यह सत्य है कि मध्य प्रदेश की सरकार और आई0 जी0 द्वारा हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस को अपमानित किया गया और पुलिस के विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाये गये, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में इसकी रोकथाम के के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी कि हमारे पुलिस को उनके सामने डिमारलाइज न होना पड़े ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

श्रीमन्, पहली बात यह कहा कि वहां हमारी पुलिस को कुछ कहा, तो इसकी हमको अथेन्टिक सूचना नहीं है लेकिन जैसा आप कह रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।

श्री दलगंजन सिंह--

क्या सरकार इस बात से सहमत है कि जो कथित दिनांक को सरेन्डर एम0 पी0 पुलिस में हुआ है, क्या वास्तव में वह फूलन है, यदि है तो उसके साक्ष्य इस सरकार के पास क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जायं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह देखते हुये कि एक तरफ तो कानपुर के मैजिस्ट्रेट ने फूलन को वारन्ट जारी किया है, दूसरी तरफ फूलन ने कहा है कि मेरी लाश उत्तर प्रदेश में जायेगी, तो इन दोनों बातों में क्या मुख्यमंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि ऊंचे से ऊंचे स्तर पर बात करके फूलन देवी को मुकदमें में ट्रायल फेस करने के लिए उ० प्र० में लायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

मान्यवर, कानूनी कार्यवाही हो रही है, वारन्ट जारी किया गया है और वारन्ट जारी करने का जो प्रभाव होता है वह होगा और वह आयेगी ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1982

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं उ० प्र० क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1982 जो उ० प्र० विधान सभा में दिनांक 22 जनवरी, 1982 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1982 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 22 जनवरी, 1982 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 1 बजकर 15 मिनट]

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत कार्यस्थगन की 9 सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में । दूसरी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की प्रदेश के सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में । तीसरी, सर्वश्री सरदार सिंह, श्री कन्हैया लाल व चन्दन सिंह की मथुरा जनपद के कुछ ब्लाकों में विद्युत् सप्लाई बन्द रहने के सम्बन्ध में । चौथी श्री गौरी शंकर भैय्या की जनपद बलिया के विकास खंड सोहाव में सिंचाई से सम्बन्धित लिफ्ट पम्पों की गड़बड़ी से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है । इससे आगे श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन व श्री विद्यासागर नौटियाल की एनक्सी में पुलिस तथा सचिवालय गार्डों में हुई मारपीट से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में है । श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा की इलाहाबाद की कचहरी में पुलिस द्वारा एक वकील को धमकी दिए जाने के संबंध में है । श्री किरनपाल सिंह की जनपद बुलन्दशहर में विद्युत् विभाग द्वारा

किसानों के ट्यूबवेलों के कनेक्शन बिलों के भुगतान न किए जाने के कारण कनेक्शन काटने के सम्बन्ध में, श्री सत्यपाल सिंह यादव को जिला बिजनौर, कस्बा धामपुर में बिजली की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में और आखिरी है श्री गोपीनाथ वर्मा व मित्रसेन की जनपद फैजाबाद के वकीलों एवं पत्रकारों के बीच हुई मारपीट के सम्बन्ध में ।

मैंने इन सब को पूरे तरीके से देखा है । जो पहली श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, उस पर पहले ही शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है, फिर भी मैं इसको सुनूंगा । जो राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की है सहकारी समितियों के बारे में, इस आदरणीय सदन ने उसको सुन लिया है, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । जो सरदार सिंह आदि की है, यह विद्युत् सम्बन्धी जो चर्चा विचाराधीन है उसमें स्थानान्तरित हो जायेगी और उस समय आ जायगा । गौरी शंकर भैय्या को भी सुनना है । श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन व विद्यासागर नौटियाल जी की जो है, यह 25-2-83 को हो चुकी है, फिर भी इसके बारे में मैं सुनूंगा। श्री किरनपाल सिंह व जो आगे हैं, इन पर चर्चा लगी है, इसलिए इनपर मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं । बाकी सूचनाओं को मैंने अस्वीकृत किया है । अब मैं केवल राजेन्द्र कुमार गुप्त, गौरी शंकर भैय्या तथा श्री रियासत हुसैन साहब को उनकी सूचनाओं के बारे में केवल ग्राह्यता पर दो मिनट के लिए सुनूंगा । बाकी में किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न मैंने इस विषय पर इसलिए दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय अर्थात् ला फैकल्टी में प्रशासन में घोर अनियमितताएं व्याप्त हैं । उसकी ओर प्रशासन और उच्चाधिकारियों का ध्यान बराबर छात्रगण आकर्षित करते रहे हैं और जब उस पर कुछ नहीं हुआ, तो 25 तारीख को जब छात्र इस बारे में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर पुलिस द्वारा अमानुषिक लाठीचार्ज किया गया है । इसमें उनके चार छात्र नेता श्री रविदास मेहरोत्रा, उमाशंकर चौधरी, सुरेन्द्र प्रताप सिंह व राम प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जब पुलिस उनको पुलिस थाने ले गई, तो उनको वहां पीटा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया । एक तो उनकी मांग न्यायसंगत थी और उन्होंने डीन के खिलाफ बड़े ही स्पष्ट और गम्भीर आरोप लगाए थे कि एडमिशन में बंगलिंग हो रही है, पैसा लेकर प्रवेश दिया जा रहा है । इस दुखद घटना को लेकर पूरे छात्र समुदाय में असन्तोष का वातावरण व्याप्त है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आशंका यह है कि कहीं यह छात्रों का आन्दोलन प्रदेश व्यापी न हो जाए । इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस पर सरकार से बयान दिला दें, ताकि इस पर चर्चा हो जाए और यह सोचा जा सके कि किस प्रकार से वहां का भ्रष्टाचार दूर हो और किस प्रकार उनकी मांगे पूरी की जायें । घटना के बाद अलियेस्ट अपारचुनेटी में हम मिल रहे हैं, घटना अविलम्बनीय है और लोक महत्व की है । इसलिए मैं अपने इस प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, विश्वविद्यालयों की कुछ अपनी स्वतन्त्रता है, उनके अन्दर के जो प्रशासनिक मामले होते हैं....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, यह कौन सी सूचना दे रहें हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उन्हें बोल लेने दीजिए।

श्री अम्मार रिजवी--

जो भी वहां की समस्यायें हैं, अगर उसमें कोई बात थी, तो मान्यवर, उसके लिए कुलपति पूरी तरह से अधिकृत हैं। उन्हें पूरी बात बताई जानी चाहिए। जिस प्रकार से वहां के डीन फैकल्टी आफ ला का घेराव किया गया, उसके बाद गाड़ियों पर पथराव किए गए और दो घंटे उन्हें निकलने नहीं दिया गया। तो मान्यवर इन सब बातों को देखते हुए पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की गई, वह ठीक थी। दो घंटे वह डीन फैकल्टी आफ ला कार्यालय में रही, वह वहां से निकल नहीं सकीं। मान्यवर, छात्र समस्यायें अलग हैं उनके लिए कुलपति अधिकृत हैं। लेकिन जो कानून की कार्यवाही है, वह कार्यवाही होगी। जो सिचुयेशन उस वक्त पैदा हो गयी थी, उसी के अनुसार कार्यवाही की गयी थी।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, श्रीमती श्रद्धा कुमारी जो हैं, ला फैकल्टी पर ताला बन्द किए हुए हैं। वहां कोई पढ़ाई नहीं हो रही है।

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, बलिया जनपद के विकास खंड सोहांव में सिंचाई से सम्बन्धित लिफ्ट पम्प कैनाल सोहांव एवं लिफ्ट पम्प कैनाल पलिया खास (बड़का खेत) के हेड से गंगा नदी का पानी लगभग तीन किलोमीटर दूर चला गया है। पानी तथा नहर के बीच में बालू आ जाने के कारण नहर के अन्दर पानी चलना बन्द हो गया है। फलस्वरूप जनपद की हजारों एकड़ जमीन असिंचित हो गयी है तथा किसानों के सामने सूखे एवं भुखमरी की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अगर इन दोनों नहरों को एक में मिलाकर इनका हेड बक्सर-भरौली पुल के पास कर दिया जाय और दोनों मशीनों को एक साथ मिल कर चलाया जाय, तो कृषकों को वर्ष भर पानी मिल सकता है। सोहांव नहर का आखिरी सिरा भरौली-बक्सर पुल के पास तक है तथा इन नहरों को आपस में मिलाने में केवल तीन फर्लांग नहर बनानी पड़ेगी। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ब्लाक हनुमानगंज की लिफ्ट पम्प कैनाल रामपुर एवं लिफ्ट पम्प कैनाल सागरपाली (बघजी) के हेड के पास टोंस नदी से भयंकर कटान हो रही है, जिसे तत्काल पिचिंग करके कटान अवरोधी कार्य करने की आवश्यकता है। ये नहरें जो संख्या चार हैं, के समक्ष सूखे एवं कटान की स्थिति में बलिया जनपद के हजारों एकड़ जमीन को सिंचाई एवं लाखों लोगों से सम्बन्धित कृषि कार्य को प्रभावित किया है। इस तरह के श्रीमन् 4 पम्प नहर हमारे निर्वाचन क्षेत्र को काम नहीं कर रही हैं। हजारों लोग जो कृषि कार्य से सम्बन्धित हैं, इससे प्रभावित हैं। इसलिए मान्यवर, आप इस पर चर्चा करा दें और शासन से वक्तव्य दिलवाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् जी, मेरा यह विषय है, मैं उम्मीद करता था कि दो दिन के बाद जब यहां पर आयेंगे, तो हमारा मामला समाप्त हो जायेगा। माननीय संसदीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य मंत्री ने कहा था कि इस मामले को जल्दी ही निपटा देंगे । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मामले से शक्ति और बल प्रयोग करके शासन को निपटाने की बात है और उसी के लिए इसे असेंशियल सर्विसेज एक्ट लागू कर दिया गया । जो लोग भूख हड़ताल कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और श्रीमन्, जब बल प्रयोग का, इस सब का, मेरे सामने निगाह आती है, दस साल पहले जब सेक्रेटरियट के कर्मचारी श्री पी० एन० शुक्ल के समय में जो कुछ यहां पर हो रहा था, वह भी हमने अपनी आंखों से देखा, तमाम सूबे के अन्दर ऐसी लहर चल गयी थी । तो इस मामले को जो यह मामला बढ़ता चला जा रहा है, अभी तक वह आदमी सस्पेंड है, चार्जशीट उनकी जा चुकी है, लेकिन निर्णय नहीं हो सका है, उसको शक्ति और बल प्रयोग के जरिये से किया जा रहा है । पूरे कौंसिल हाउस के कर्मचारी में और कौंसिल हाउस गार्ड और पूरे प्रदेश में इसका असर पड़ गया, अगर पहले की तरह से यह बात बढ़ गयी तो स्थिति गंभीर हो सकती है । इसलिय में चाहूंगा कि इसके ऊपर किसी न किसी तरह से इसको अंतिम रूप देने के लिये कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, उस दिन जब वक्तव्य हो रहा था और माननीय रियासत हुसैन साहब ने इस बात का प्रश्न उठाया कि उनके सम्बन्ध में जो कार्यवाही है उसे शीघ्र कराया जाय । मान्यवर, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि चार्जशीट जो दी गयी है आप जवाब दिलवा दें, 14 दिन के अंदर सारी कार्यवाही पर निर्णय कर दिया जायगा । सरकार चाहे सचिवालय के कर्मचारी हों वा अन्य कर्मचारी हों, उस समय पूरी तरह से सहानुभूति रखती है । इस सब पर घोषणा हो चुकी थी । तो अपेक्षा यह की जाती थी कि भूख हड़ताल समाप्त होगी । उसको ऐसा रूप देकर जिससे अनुशासन समाप्त हो और दूसरे लोग प्रभावित हों तो यह बात आवश्यक हो गयी थी । क्योंकि इस वक्त सदन चल रहा है, यहां का कार्य चल रहा है, हम लोग यहां बैठे हुये हैं । पूरे सचिवालय में कार्य सुचारु रूप से चलना चाहिये । इसमें जब एक बात कह दी गयी, आश्वासन दे दिया गया था, 14 दिन के अंदर कार्यवाही करने की बात कही गयी थी तो उम्मीद की जाती थी कि हड़ताल टूट जायगी, जो पत्र कर्मचारियों को लिखा गया था उसका उत्तर आयेगा लेकिन उत्तर नहीं आया और न हड़ताल टूटी न कोई डायलाग किया और स्थिति खराब होती गयी । आमरण अनशन कर रहें हैं तो कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था, जो कुछ किया गया है वह प्रशासन के हित में और जनहित में किया गया है ताकि यहां का प्रशासन सुचारु रूप से चल सके । जहां तक हमदर्दी की बात है, शासन की पूरी हमदर्दी राज्य कर्मचारियों से है । शीघ्र से शीघ्र इसके ऊपर निर्णय किया जायगा लेकिन शर्त यह है कि माननीय रियासत हुसैन और इनके दलों का सहयोग भी हमको रहें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को मैंने सुना ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मेरी बात आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठें । मैं खड़ा हो आ हूं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, लोगों को मारने के बाद जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जाया गया ।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रक्रिया तय की गयी है उसके अनुसार मैंने निश्चय किया है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मेरी बात सुनें । हमारे जनपद आजमगढ़ में जो स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । जो नेताओं ने तय किया है उस आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं सुनूंगा । नियम 56 के अन्तर्गत मैंने अपना निर्णय दे दिया था । वर्मा जी बैठिये ।

श्री गोपीनाथ धर्मा--

मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं सुनूंगा । जब यह चैप्टर समाप्त हो गया है तो मैं क्या आपकी बात सुनूं । जो नेताओं ने तय किया है उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है । आप बैठें ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मेरी बात सुन लीजिये । मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप पहले बैठें ।

श्री मित्रसेन--

मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । आप पहले बैठ जायं । मैं आपकी व्यवस्था सुनूंगा । देखिये, 18-20 सूचनायें नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त होती हैं । लिहाजा आपस में

निर्णय किया गया, इसमें सभी माननीय नेता शामिल थे कि ग्राह्यता के बारे में 2 या 3 को सुन लिया जाय । 2 या 3 को सुना गया । अगर आपकी बात महत्वपूर्ण होती तो मैं जरूर सुनता ।

श्री मित्रसेन––

मेरी बात आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष––

आप पहले मेरी बात सुनें । नियमों के अनुसार कार्यवाही की गयी है । मैंने अस्वीकार किया है ।

*श्री मित्रसेन––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा कि नियम 56 में अगर सूचनायें लोक महत्व की होंगी तो उन पर माननीय सदस्यों को सुन लिया जायगा । जहां तक घटनाओं का सवाल है वह नेताओं से नहीं जुड़ती हैं उनका महत्व लोक महत्व से जुड़ता है । आप नेताओं की बात सुन लेते हैं, लेकिन माननीय सदस्यों की बात भी सुन लें । हमारे जिले में 25 तारीख को बड़ी लोक महत्व की घटना घटित हो गयी । अरविंद जनता पार्टी के महामंत्री, जनवार्ता के अध्यक्ष को बुरी तरह से वकीलों ने अदालत से घसीट कर मारा है । पिस्तौल और गोली चली है । घायल हुए हैं । यह सारी घटनायें इस तरह की हैं कि आजमगढ़ की पुनरावृत्ति हो सकती है । फैजाबाद की स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठें ।

श्री गोपीनाथ वर्मा––

आप मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष––

मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । जो बातें आप इस तरह से कर रहे हैं, वे आपको शोभा नहीं देती हैं ।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा––

मान्यवर, जब उपेक्षा होगी तो क्या किया जाय, कहा ही जायेगा ।

श्री अध्यक्ष––

नियम 56 में किस प्रकार से सब को सुन सकूंगा । सदन आपका है, आपको सब कुछ तय करना है, नियमों में परिवर्तन कर दीजिएगा । लेकिन इस तरह से आज्ञा का पालन न करना, बार–बार कहने के लिए खड़े होना कि मुझको सुन लीजिए, तो यह संभव नहीं हो सकेगा । आप बैठ जाइये । जो नियमों के अन्तर्गत हैं, उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए । हम लोग नियमों से बंधे हुए हैं, नियमों के आधार पर ही सहायता कर सकते हैं । सहयोग दे सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

माननीय, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । यह एक जिले से सम्बन्धित है, अन्य जिलों से सम्बन्धित नहीं है, यह किसी प्रकार से नहीं हो सकेगा ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

माननीय, आप केवल मेरी बात सुन लें, हाउस पर जो आप व्यवस्था देंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । यह इस तरह से नहीं हो सकेगा ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

माननीय, आप अवसर दे दें, मुझे अपनी बात कहने के लिए, दो मिनट का मौका दे दीजिए ....

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत आपको एक सूचना दी थी । मैंने काम रोको प्रस्ताव लाने के ख्याल से यह सूचना नहीं दी है । माननीय, इस सदन के माननीय सदस्य, जो हमारे जिले से ताल्लुक रखते हैं, दूसरी पार्टी के हैं, वे भी इससे सहमत हैं । माननीय, हमारा जनपद उत्तर प्रदेश में 17 फीसदी गेहूं सप्लाई करता है, सबसे ज्यादा पैदावार हमारे जनपद में होती है । माननीय, हमारे जनपद में बिजली के...

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात को सुन लिया है ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब आगे मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय, वहां बिजली के कनेक्शन काटने की जबरदस्त कार्यवाही चल रही है । यहां के राज्य मंत्री हरि सिंह जो बुलन्दशहर गये थे, उन्होंने वहां के इंजीनियर को बुलाकर कनेक्शन काटने के लिए कहा...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैंने आपकी बात को सुन लिया है ।

श्री किरन पाल सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप बैठें । यह बातें नहीं लिखी जायेंगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना पर, मैं पहले ही शासन का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं । पुनः श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को, ध्यान आकृष्ट करने के लिए शासन के पास भेज रहा हूं । श्री किरनपाल सिंह, श्री सत्यपाल सिंह की सूचनाओं का जहां तक सम्बन्ध है, उन पर चर्चा पहले से लगी हुई है । इस सबको देखने के बाद मैं बाकी किसी को स्वीकार नहीं करता हूं । श्री गौरी शंकर भैण्या की सूचना को, शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, शासन को भेजे दे रहा हूं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो पुनः मैं उसको देखूंगा ।

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग एवं अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग ।

(1 बजकर 35 मिनट)

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 31,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,44,61,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,41,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री राम सिंह खन्ना--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह दो-दो मंत्री क्यों पेश कर रहे हैं ? एक ही मंत्री इसको पेश कर देता, यही परम्परा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास यह लिख करके आया है कि जिस-जिस विभाग में माननीय मंत्री से सम्बन्धित अनुदान हैं उनको सम्बन्धित मंत्री ही पेश करेगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और गृह के लिए दो दिन का समय निश्चित है ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जो तो सब का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे ही सभी अनुदान पेश कर देते, यही अच्छा रहेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं पढ़ दें, बाद में भाषण कर दें ।

श्री श्रीपति मिश्र--

वितरित इसलिए किया गया था कि विभिन्न विभाग का प्रस्ताव विभिन्न मंत्री पढ़ेंगे और उसका बीच-बीच में उत्तर देंगे । मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूं और पूरा प्रस्तुत कर देता हूं । सुव्यवस्थित रूप से सारे विभाग के आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आ सके, कहीं से यह आपको न लगे कि उत्तर नहीं आ रहा है इसलिए ऐसा किया गया था और यह नियमानुकूल भी है ।

मैं, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24--नागरिक

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16---गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36---प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69---सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,51,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

कृपया देख लें कि 2 है या 3 है इसको वेरीफाई कर लें ।

श्री श्रीपति मिश्र--

तीन है ।

श्री अध्यक्ष--

मेरी सूचना के आधार पर यह 2 हो गया है इसको देख लें ।

श्री श्रीपति मिश्र---

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,38,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55---विज्ञान

नोट:--मुख्य मंत्री से प्राप्त पत्र दिनांक 28 फरवरी, 1983 के अनुसार संशोधित।

[श्री श्रीपति मिश्र---]

एवं प्रौद्योगिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,10,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64---सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,74,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65---सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,17,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69---सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70---सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79---सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने आप की आज्ञा से इस गौरवपूर्ण सदन के समक्ष विभिन्न विभागों की मांगें प्रस्तुत की । सर्वाधिक विभाग जो आलोचना का या कभी-कभी प्रशंसा का है, वह है गृह विभाग और उसकी भी मांग मैंने प्रस्तुत की ।

मैं इस समय सदन का बहुत थोड़ा सा समय लूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य, इधर या उधर के, इस विवाद में भाग लेंगे । उनके विचारों से अवगत हो कर मैं यथा सम्भव, अपनी क्षमता के अनुसार उनके उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । एक बात मैं इस मांग को प्रस्तुत करते समय अवश्य रखना चाहूंगा कि पुलिस, गृह विभाग के सम्बन्ध में, हर विभाग जब अपना कार्य करता है तो कोई उत्तेजनात्मक समय कार्य को सम्पन्न करने के समय नहीं होता, हर विभाग अपना कार्य अपने ढंग से, समय से, तरीके से सम्पन्न करता है और अपने

स्थान पर रहता है। लेकिन गृह विभाग, पुलिस विभाग, एक ऐसा विभाग है जिसको कभी-कभी ही सामान्य परिस्थिति में कार्य करना होता है जब कि अधिकांश कार्य उन परिस्थितियों में करने होते हैं जब असामान्य परिस्थिति होती है। झगड़े की, उत्तेजना की, परेशानी की। इसलिए मैं जरूर अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय सदन के समक्ष कि विचार रखें लेकिन इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर, उनके कृतित्व, क्रियाकलापों के आधार पर विचार रखें।

किसी प्रदेश या देश के किसी हिस्से से अपने प्रदेश की पुलिस का मुकाबला नहीं करना चाहूंगा, ऐसा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सारा देश और प्रदेश हम सभी का है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा और इसके कहने से किसी को निन्दा नहीं बल्कि अपने प्रदेश के कर्मियों का उत्साहवर्धन होगा। आपराधिक जो संख्या है, ब्यूरो जो होता है पूरे भारतवर्ष का और जो कैलकुलेशन करता है पूरा तरह से, एक लाख पर 202 अपराध की संख्या जहां दूसरा जगह है, दूसरे प्रान्तों में है, वही आपके प्रान्त में 178 है। इस तरह से उसी परिपेक्ष्य में हम आपसे कहना चाहेंगे कि यह जो संख्या है, कम है और प्रदेश की पुलिस, इसके लिए हमको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री मोहन सिंह--

तथ्यों को छिपाने में महारथ हासिल किया है, आपने।

श्री श्रीपति मिश्र--

किसी का जो विचार है उसका उत्तर देना ठीक नहीं है, क्योंकि विचार उन्होंने किसी आधार पर ही बनाये होंगे। लेकिन अपनी तरफ से यह जरूर कहना चाहूंगा कि तथ्यों को उजागर करने के लिये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस दल और यह शासन है तथ्यों को छुपाना इसका काम नहीं है।

एक सदस्य--

कब से कांग्रेसी हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इस तरह के उत्तर देना ठीक नहीं है। जब से मैं राजनीति में हूं उस वक्त शायद आप केहां केहां कर रहे होंगे कहीं।

अब जितना व्यय और प्रदेशों में होता है पुलिस पर उससे व्यय भी औसतन कम ही है। आंकड़ा इस वक्त नहीं बता सकता बाद में बता दूंगा।

[श्री श्रीपति मिश्र--]

जितना औसतन व्यय पुलिस पर उसके अधिकारियों पर होता है हमारे प्रदेश में वह किसी भी प्रान्त के औसतन व्यय से कम है। औसतन व्यय में कमी होने के साथ-साथ दूसरी जगहों पर जितना आम जनसंख्या पर पुलिस कर्मचारियों का औसत पड़ता है, वह भी इस प्रदेश में और जगहों से कम है। तो हम कम व्यय करते हैं अच्छा परिणाम देते हैं। तादाद में कम होने पर भी अच्छा परिणाम देते हैं। एक बात और हम संख्या बढ़ाने पर कहेंगे। जगह-जगह से मांग आती है संख्या बढ़ाने की। बढ़ाते हैं लेकिन थोड़ा रुक कर। यह मैं महसूस करता हूं कि पूर्ति करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ऐसे कर्मचारी सारे भर्ती हो जायें तो उनके निवास की, उनके रहने की, उनके कार्य करने की सारी सुविधा हम नहीं प्रदान कर पायेंगे। थाने कम है, चौकियां कम हैं उनके निवास स्थान नहीं बना पाते, हमारे पास साधन कम हैं, इस कारण मजबूरी है। हम यह नहीं चाहते कि असन्तोष कर्मचारियों में बढ़े। इसलिये रुक-रुक कर उनकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं। जो हैं उसका और उपयोग किया जा सके, इसका भरसक प्रयत्न हम कर रहे हैं।

मान्यवर, बहुत से ऐसे भी तथ्य सामने आये हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि शायद जो पुलिस का कर्मचारी है वह एकदम हर बात पर कुछ बुरा करने के लिए ही तैयार रहता है। हर कर्मचारी कुछ बुरी तरफ ही अपना रुख किये रहता है। इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, किसी बुरे काम, खराब काम को डिफेन्स नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका नाम आपने 81 से 82 तक कई कार्यकलापों में सुना होगा, जिनमें उन्होंने अपनी जान देकर जनता की रक्षा की। उनके प्रति सहानुभूति की आवश्यकता है। बहुत मौकों पर सहानुभूति मिली भी, इसके लिए आपको मुबारकबाद देते हैं। सामान्य प्रशासन, कार्मिक, नागरिक सुरक्षा के साथ-साथ अन्य विभागों की बात ली। हमने जो निर्णय लिया है, उनमें यह प्रयास किया है कि आमतौर पर कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही, ट्रान्सफर की कार्यवाही, दूसरी अन्य कार्यवाहियां, समयबद्ध तरीके से समय पर होंगी। मान्यवर, जब कोई अधिकारी दूसरी जगह कार्य करता है और उसका नियमित समय वहां पर पूरा नहीं होता है तब तक वह वहां से परिवर्तित नहीं किया जायेगा और या फिर उसके प्रति कोई कम्पलेन्ट न हो और कोई शिकायत न हो। अगर यदि उसकी शिकायत है तो उसकी जांच करायी जायेगी। क्योंकि मैं यह समझता हूं कि अगर एक आदमी एक जगह को खराब करता है तो दूसरी जगह को खराब न होने दें, बल्कि उसके प्रति शिकायतों की जांच की जायेगी। यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसको दन्ड मिलेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। और यदि वह दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे वहीं कार्य करने का अवसर दिया जायेगा।

मान्यवर, एक बात आई थी। कर्मचारियों का हमने ऐसा कार्य नहीं किया जो कानून के प्रतिकूल हो और हमने ऐसा कार्य नहीं किया जो नियम के प्रतिकूल हो। एक घटना घटी। घटना उचित नहीं थी, अनुचित थी। उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की गई। जैसे कि कार्यवाही डिपार्टमेंटल होती है वैसी कार्यवाही उसके सम्बन्ध में की गई। उस कार्यवाही को करने के बाद उनको चार्जशीट दी गई। उसका कोई उत्तर नहीं। और यह कहा जाता है कि उत्तर दें चाहे न दें, कार्यवाही बन्द करें। दो बातें कही जाती हैं। मजिस्ट्रियल इनक्वायरी हो रही है और आप डिपार्टमेंटल कार्यवाही कर रहे हैं। मजिस्ट्रियल कार्यवाही हो जाय तो तब डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जाय, हम सब बहरहाल अपना काम करें। इस प्रकार

क्या परिस्थिति थी उन बातों पर मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी हो रही है और जो विभागीय कार्यवाही हो रही है वह न तो इसके विरुद्ध है और न कानून और नियमों के विरुद्ध है। डिपार्टमेंटल कार्यवाही हो सकती है। मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी के बावजूद भी डिपार्टमेन्टल चार्जशीट दी गई है। चार्जशीट पर जब कार्यवाही हो जायेगी और उस कार्यवाही के तुरन्त बाद जो आदेश उचित होंगे वह आदेश उस पर दिये जायेंगे। प्रशासन हो, चाहे सचिवालय प्रशासन हो। प्रशासन अपनी जगह है और वह अपने प्रत्येक कर्मचारी के प्रति समर्पित है और वह यह भी चाहता है कि उसका हर कर्मचारी शासन के प्रति और शासन के कार्यों के प्रति तथा उसकी नीतियों के प्रति समर्पित हो। चूंकि किसी भी स्थिति में जो ढांचा है या जो यह सिस्टम है, यह कार्य करने का जो तरीका है, वह उससे बंधा हुआ है। चाहे उधर के लोग इधर बैठकर इसको चलायें और चाहे हम इसको चलायें अगर यदि यह सिस्टम बिगड़ गया तो यह देश किसी तरह से नहीं चलेगा, यह लुंज-पुंज हो जायेगा और निरर्थक हो जायेगा, इसे निरर्थक नहीं होना चाहिये, इसमें आप मदद करें और इसमें आप अपना सहयोग करें, इसकी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। कुछ हमारे उधर भी हैं, जो भी विभाग कार्य करते हैं हमारे कार्मिक के अन्दर और दूसरे जो अन्य विभागों के अन्तर्गत कार्य करते हैं उन सभी विभागों के अन्तर्गत जो हमने यह मांग रखी है वह जायज है, क्योंकि उनके लिए उनकी आवश्यकता है। असलियत तो यह है कि इससे ज्यादा उनको आवश्यकता है परन्तु हम उनको अपनी सीमा के अन्तर्गत प्रदान नहीं कर पाते, इसीलिए उस सीमा के अन्तर्गत हमने उनकी मांगों को रखा है।

मान्यवर, आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जरा यह तो देखिये, कि हम काम कर रहे हैं, कम आदमियों के द्वारा काम कर रहे हैं जबकि परिस्थितियां भी उचित नहीं हैं। मान्यवर, पुलिस पर खर्चे का बजट 6.6 परसेन्ट होता चला आया था, आमतौर पर उसे हमने घटाकर 4.4 परसेंट कर दिया है। इसलिए हमने घटाया है कि यह उत्पादन व्यय नहीं है, अनुत्पादक व्यय है, इसलिए इसको घटाया है। हमने सारा बजट उन जगहों पर लगाया है जो उत्पादक हैं, जिससे देश की गरीबी दूर हो सकती है, और जिससे देश के आगे बढ़ने की बात है। इतना कम खर्चा करके भी हम अच्छी पुलिस को बनायें और नागरिकों में अच्छी भावनायें पैदा करके हम अपना काम चला सकते हैं। हमारा मूल दृष्टिकोण उत्पादक कार्यों में पैसा लगाना है। इसी आधार पर यह बजट प्रस्तुत किया गया है और मांग प्रस्तुत की गई है। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उसमें भाग लेकर सुझाव देंगे। जहां आपकी आलोचनायें सर आंखों पर हैं और उनका मानना न मानना गुणावगुण पर निर्भर है, वहीं आपके जो सुझाव आयेंगे उन्हें मैं प्रदेश हित और राष्ट्रहित में मानते हुए अपनी क्षमता के अन्तर्गत स्वीकार करने का प्रयास करूंगा।

[समय 2 बजे]

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी सदन में अपने भाषण में एक बात कही कि वह कम से कम काम तो कर रहे हैं । और बिगड़ी हुई परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, इससे यही समझा जाय कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री राजा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इस प्रदेश की स्थिति को काफी बिगाड़ गये हैं और आप उसे सुधारने में लगे हैं, श्रीमन् पूर्ववर्ती मुख्य मन्त्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह राम राज्य की लक्ष्य प्राप्ति के पुनः संकल्प का आवाहन करते-करते कायरों की तरह पलायन कर गये और आप भी प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन देने की घोषणा उसी बदनाम टीम के साथ कर रहे हैं, जिसके बारे में अनेकों बार इस सदन में तथा बाहर भी भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पद का दुरुपयोग तथा आपराधिक प्रकृति के होने का, प्रमाण सहित आरोप लगाये जा चुके हैं ।

श्रीमन्, यह अहसान फरामोश लोग पथ-भ्रष्ट हो चुके हैं । इस प्रदेश को मिथ्या झूठे प्रलोभन भरे नारों के सिवाय कुछ नहीं दे सकते हैं । राजा साहब भी समाजवादी समाज की संरचना की दिशा में क्रान्तिकारी कदम की बात करते थे ।

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

अभी गत 24 तारीख को माननीय मिश्र जी ने भी कांग्रेस के पास धर्म निरपेक्षत और समाजवाद के अलावा कोई दूसरी पूंजी न होने की बात कही। मान्यवर आखिर यह गांधीवाद को स्वीकार करने में क्यों कतराते हैं ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों, सूत्रों, दिशा-निर्देश के आगे आज सारा संसार नत मस्तक होता है। उस गांधीवाद को यह पूंजीवादी लोग नहीं मानते, परन्तु श्रीमन्, लोकदल इसे अपना और देश की बहुमूल्य निधि स्वीकार करता है। श्रीमन्, इस देश और प्रदेश का उद्धार पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, नेहरूवाद, इन्दिरावाद, जातिवाद, राजीववाद, सोनियावाद, राहुलवाद तथा कश्मीरवाद से होना निश्चित नहीं है। इस देश और प्रदेश का उद्धार तो सिर्फ गांधीवाद से ही हो सकता है और गांधी जी द्वारा बतायी गयी नीतियों से ही सम्भव है। श्रीमन्, मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यह घोषणाएं थीं कि इस देश में शराब बन्द होनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि आप शासन को चलाने के लिए शराब की बिक्री करा रहे हैं। छुआछुत को महात्मा गांधी ने मना किया था। वह आज भी देश व प्रदेश में अधिकतर स्थानों में, अधिकतर लोगों में दिखायी देती है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, आपने अभी कुछ नीतियों की बात की, हम भी आपसे इस सिलसिले में कुछ कहना अवश्य चाहेंगे और यह भी चाहेंगे कि आप उन सबका उत्तर भी दें। उत्तर तो क्या दे सकेंगे और हो सकता है कि हमारे कुछ साथी उन बातों को सुनकर बीच में उत्तेजित हों। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वह बजाए बीच में उत्तेजित होने के बाद में उसका उन्हें मौका दिया जाएगा। उसका जवाब अवश्य वह दें। मैं चाहता हूं कि हमारी हर बात का जवाब दिया जाय बल्कि मैं तो यह चाहूंगा कि जो भी बात, आश्वासन, घोषणाएं जो भी किसी माननीय मन्त्री की ओर से, शासन की ओर से हों, उन पर बाद में भी विचार हो इस लिए एक कमेटी बना दी जाए जो इन चीजों को बाद में देखें, जिनमें कुछ चीजें श्रीमन्, आपके माध्यम से ऐसी आती हैं। तो कम से कम कभी सदन की कमेटी के सामने उसका पुनरीक्षण होता कि शासन ने इस पर कुछ किया है या नहीं किया, तो अच्छी बात होगी।

श्रीमन्, सन् 1975 में देश में जब आपातस्थिति लागू की गयी तो जनता का ध्यान आन्दोलनों की ओर से हटाने के लिए एक बीस सूत्रीय कार्यक्रम का नारा दे दिया गया और सभी आर्थिक और सामाजिक जितनी भी बुराइयां थीं उनके निराकरण के लिए उसे रामबाण समझा गया। सत्ता पक्ष ने या कांग्रेस दल ने अपनी ओर शासन की पूरी ताकत अपने उस सूत्र को जनता के गले में उतारने के लिए पूरा प्रयास किया। लेकिन श्रीमन्, जो उनकी घोषणायें थीं, जो उनकी उपलब्धियों की बात थीं, वह नहीं हुई। अब बदली हुई परिस्थिति में एक नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम को पुनः आपकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया है श्रीमन्, इस देश और प्रदेश की प्रमुख समस्या है बेरोजगारी की जिसे अनइम्प-लायमेन्ट और अन्डर इम्प्लायमेन्ट कहते हैं। मैं आपके माध्यम से नेता सदन से कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के बताये हुये चरखे से, खादी के माध्यम से काफी संख्या में बेरोजगारी की समस्या को हटाया जा सकता है लेकिन जानबूझ कर इस बीस सूत्रीय कार्यक्रम में खादी का नाम नहीं रखा। मैं जानता हूं कि महात्मा गांधी ने जिस खादी की बात कही है उसके उत्तर में कहेंगे कि ग्रामीण उद्योग में यह आता है। परन्तु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1957 में एक संस्था में विधेयक पेश हुआ था उसमें आपकी उक्ति निहित है। वास्तविकता यह नहीं है कि ग्रामीण उद्योग में खादी निहित है। आप आज प्रदेश और देश

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 60--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या--79--सैनिक कल्याण विभाग

को गांधी जी के बताये हुए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं, उसको आप नकारने पर तुले हुए हैं ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि महात्मा गांधी ने दो संघ बनाये थे जिसमें एक था "अखिल भारतीय चर्खा संघ" और दूसरा था "अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ" गांधी जी ने जो एक बात देश को दी थी उसमें इतनी शक्ति थी कि उसी चर्खा और खादी का अंग्रेज जैसी ताकत को इस देश से निकालने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था । उनकी एक ही उक्ति थी कि अंग्रेज व्यापार के माध्यम से इस देश में आये हैं, उसी व्यापार को कम करो तो अंग्रेज देश से चला जायेगा और सचमुच में ऐसा ही हुआ । उन्होंने खादी और ग्राम उद्योग का प्रचार किया । चर्खा के माध्यम से उन्होंने देश से अंग्रेजों को हटाने में सफलता प्राप्त की । चर्खा, यह वही माध्यम है जिसका चिह्न भारतीय झंडे या राष्ट्रीय झंडे पर भी अंकित है, उसी के ताकत से अंग्रेज देश को छोड़ कर चले गये । गांधी जी का एक स्वप्न था कि देश तभी बड़ा होगा जब वह आत्मनिर्भर होगा । लेकिन आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गांधी जी के चर्खे को यह सरकार किसी शर्त पर मानने के लिये तैयार नहीं है । आज खादी केवल अनुदान पर, छूट पर और कम्पलसरी कर्मचारियों और अधिकारियों की वर्दी तक ही सीमित रह गई है, यह सबसे बड़ा देश के साथ विश्वासघात है । गांधी जी के आन्दोलनों पर विश्वासघात है, जो यह कांग्रेस दल कर रहा है ।

मैं कुटीर उद्योग पर कुछ बातें कहना चाहूंगा । गांधी जी की भावना थी, वह कहते थे कि कम पैसा में अधिक रोजगार और उद्योग लगाये जा सकते हैं । गांधी जी ने अपने विचारों को कार्य रूप देने के लिए देश के 7 लाख ग्रामों में एक-एक कार्य कर्त्ता बैठाने की बात कही थी । गांधी जी चाहते थे कि ये कार्यकर्त्ता खुद स्वावलम्बी हों और गांवों को भी आत्म-निर्भर बनायें । लेकिन गांधी जी इस विचार धारा को लागू कराने के पूर्व ही हमारे बीच से चले गये । ग्रामोद्धार गांधी जी की विचार धारा में तभी सम्भव है जब कि ग्रामीण जो पैदा करता है वह शहर की ओर न जाये, गांव में ही रहे । ग्रामीण कच्चे माल को बेच कर उत्पादित माल शहर से लावे, अगर यह प्रक्रिया चलती रहेगी तो ग्रामीण चाहे किसान हो या गांव में रहने वाला हो, या बेरोजगार हो, वह आर्थिक रूप से पनप नहीं सकता है । इसलिये गांव अपनी आवश्यकता की चीजों को पैदा करें । आपने देखा होगा कि पहले आपके यहां कपास बहुत अधिक होता था, गांव में चरखा चलता था, महिलायें चरखा कातती थीं और सूत बनाया जाता था और शायद धोती को छोड़कर सभी चीजें गांव में ही बनायी जाती थीं, बाजार से नहीं आती थीं । गांव में प्रयोग होने वाली चीजें वहां पर ही उपलब्ध हो जाती थीं, लेकिन आप की नीतियों ने महात्मा गांधी के उस दर्शन को नकारने का कार्य किया है ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

माननीय मुख्य मन्त्री जी बहुत चिन्तित थे कि गृह विभाग पर अटैक होगा। मैं गृह विभाग से न शुरू कर सामान्य प्रशासन से शुरू करूंगा और उसमें जो कमियां हैं उनको बतलाने का प्रयास किया है। प्रजातान्त्रिक पद्धति में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है सरकारी मशीनरी, जो मान्यवर नीति निर्धारित होती है उस का कर्यान्वयन करती है, यह उसका उत्तरदायित्व है, और दूसरा पक्ष है समाज या जन साधारण जिसके लिए इस मशीनरी को बनाया जाता है। अब श्रीमन् जो सरकारी मशीनरी है उसके भी दो पक्ष हैं, दो पार्ट हैं मान्यवर, एक वह है जो नीति निर्धारित करता है और दूसरा जो उस नीति को कार्यान्वयन करता है। यह सरकारी अधिकारी होते हैं, जो उस पालिसी को, उसके उद्देश्यों को और उसकी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। श्रीमन्, सारा मिला जुलाकर यह समझ में आता है कि विकासशील देशों में प्रजातान्त्रिक पद्धति के अन्दर प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं इस प्रकार के विचारकों की कुछ बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, फ्रेड डब्लू0 रिग्स ने कहा है—

"दि डेवलपिंग कन्ट्रीज डिपेन्ड आन देयर गवर्नमेंट फार आल क्रूसियल डिसिजन्स रिगार्डिंग इकोनामिक डेवलपमेंट"

इसका हिन्दी अनुवाद इस तरह है--जो विकासशील देश हैं वे अपने महत्व-पूर्ण निर्णयों के लिए शासन पर निर्भर करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जो हमारी सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है वह जन-आकांक्षाओं के अनुरूप है, जिसके लिए वह बनी है उसके अनुसार वह सफल रही है? इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस विषय में 2/1 शब्द इधर उधर हो सकते हैं लेकिन प्रयास करूंगा कि दो बड़े-बड़े महानुभावों के विचार आपके सामने रखूं। श्रीमन्, दो राइटर्स हुये हैं जिन्होंने इस विषय में अध्ययन किया है-एक हैं मिस्टर बी0 जगन्नाथन और श्री एन0 एस0 बख्शी-इन्होंने सिटीजन और ब्यूरोक्रेसी में यह कहा है--

"दि सिटिजन्स व्यू इज दैट दि गवर्नमेंट स्टाफ इज मोर इन्टरेस्टेड इन फाल्ट फाइंडिंग दैट इन हेल्पिंग दि सिटिजन्स। देयर सीम्स टू बी रिलक्टेन्स आन दि पार्ट आफ गवर्नमेंट स्टाफ टू गिव इनफार्मेशन टू दि सिटिजन्स डाइरेक्टली। दिस फेनामेनान प्रोमोट्स दि रोल आफ मिडिलमैन एण्ड इन्क्रीजेज दि डिस्टेन्स बिटविन दि सिटिजन्स एण्ड दि एडमिनिस्ट्रेशन। दि सिटिजन्स इक्सप्रेस्ड दैट बाई आफरिंग बाइब्स दे कुड गेट देयर केसेज एक्सपेडिटेड एण्ड दि इम्प्रेशन वाज दैट नथिंग एवर गेट्स डन अनलेस बाइब्स आर गिवेन टू दि गवर्नमेन्ट स्टाफ"

श्रीमन्, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं तो जो राइटर्स ने कहा है उनकी बातें कह रहा हूं जिन्होंने देश और विदेश की ब्यूरोक्रेसी के बारे में अध्ययन किया है। मैं इसकी हिन्दी किये देता हूं--नागरिकों की आम धारणा यह है कि सरकारी तन्त्र उनकी मदद करने के बजाय त्रुटियों को निकालने में अधिक रुचि रखता है जिससे सिटिजन्स में दूरी बढ़ती है। परिणामस्वरूप बिचौलियों का महत्व बढ़ जाता है। साधारण नागरिक समझते हैं कि उनका काम बगैर रिश्वत देकर नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें निहित स्वार्थ छिपा है। यह एक विचारणीय बिन्दु है।

श्रीमन्, एक दूसरे महानुभाव हैं श्री ए0 पी0 वर्नवास, इन्होंने सिटिजन्स ग्रिवान्सेज के बारे में अध्ययन किया है उनकी कुछ लाइनें मैं आपको देना चाहता हूं--

"एलाइनेशन इज क्लीयरली डेपिक्टेड इन देयर परसेप्शन्स एण्ड एटीच्यूड्स। दि विलिजर्स वेयर आस्क्ड टू इक्सप्रेस देयर एग्रीमेन्ट्स, आर डिसएग्रीमेन्ट्स विथ सर्टेन स्टेटमेन्ट्स, सम आफ विच वेयर पोजिटिव टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड अदर्स निगेटिव। इट वाज फाउन्ड दैट बाई एण्ड लार्ज, दि विलिजर्स वेयर निगेटिव टूवार्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन वहेन क्यूइश्चन्ड ऐज टू वाट दि विलिजर्स डू इफ दे हैड ए कम्पलेन्ट, वनली एबाउट वन फोर्थ सेड दैट दे वुड कम्पलेन टू दि हायर आफिसियल्स। दि मेजर रीजन मेन्शन्ड फार नाट डुइंग एनीथिंग वाज दैट दे फेल्ट दैट दि आफिसियल्स वुडडु नथिंग एबाउट इट आर दैट वेयर नाट इजली एक्सेसिबिल"

मैं इसका अनुवाद करूंगा। माननीय सदस्य जो उधर बैठे हुए हैं उनको इस बात का अहसास हो रहा है कि जब कभी आपने कोई शिकायत किसी अधिकारी विशेष के लिए की होगी तो 90 प्रतिशत शिकायतों की जांच उसी अधिकारी के पास पहुंच जाती है। मैंने यहां पर एक बात कही थी। इटावा के अन्दर जब राजनीतिक पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं ने एडीशनल आई0 जी0 को एक कम्प्लेंट दी जिसमें एस0 एस0 पी0, इटावा के भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्य तथा नैक्सस से उसके सम्बन्धों की बात थी तो उसमें मैंने देखा कि उस कम्प्लेंट को उसी एस0 एस0 पी0 के पास भेजा दिया गया। तो जो ब्यू श्री वर्णवास का है वह कहीं लागू न हो लेकिन हिन्दुस्तान और इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन पर 100 फीसदी लागू होता है ऐसा मेरा ख्याल है।

श्रीमन् प्रशासन के बारे में आम नागरिकों का दृष्टिकोण आप जानना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो इसके अध्ययन के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो अध्ययन किया उसमें जो जन साधारण ने शिकायतें की वह मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं उन्होंने कहा है कि अधिकारियों का नागरिकों के प्रति असहानुभूति का रवैया है। श्रीमन् अगर मैं कोई चीज गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दें ताकि हम अपने आपको करेक्ट कर सकें, सरकारी कार्यों में अत्यधिक विलम्ब, प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, आवश्यक वस्तुओं का अभाव आम आदमी के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु शासन में निष्ठा का अभाव, नागरिकों के व्यवहार में पक्षपातपूर्ण रवैया, जन कार्यों की असंतोषजनक प्रगति, जिला स्तर पर जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी भी व्यवस्था का अभाव, पंचायती राज प्रणाली में जनता में असंतोष।

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

मैं समझता हूं हमारे विद्वान साथी बाजपेयी जी गंभीरता से मेरी बात सुन रहे हैं अगर कोई ऐसी बात होती तो वह उछल पड़े होते। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो कुछ बातें इसमें कही गयी हैं वह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर 100 फीसदी लागू होती हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस ब्यूरोक्रेसी से संतुष्ट नहीं है जनता में इनके प्रति आक्रोश है, अविश्वास है। निश्चित रूप से जो इनका तरीका है उससे जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। पिछले तीन वर्षों से मैंने अनेक बार प्रयास किया इस सीट पर बैठकर कि शासन का ध्यान आकर्षित करूं मेरे साथी शायद कहेंगे जब आप सत्ता म थे तो यह सब क्यों नहीं ठीक किया। मैं उस बात को मानता हूं लेकिन मैं उसका इतना ही जवाब दूंगा कि जब हम उधर थे तो आपके कई साथी माननीय गुलाब सेहरा आदि इधर बैठते थे तो आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें उन्होंने कभी हमें आगाह नहीं किया। अब मैं आशा करता हूं कि हम आगाह कर रहे हैं आप इसको अवश्य देखेंगे और गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्रीमन्, अभी मैं जहां प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में बात कर रहा था, वहां इस बात से भी इनकार नहीं करता कि अपने अधिकारियों के अन्दर चाहे वह पुलिस के हों, या प्रशासनिक हों, या इंजीनियर हों उसमें हमारे प्रदेश के श्रेष्ठ विद्यार्थी आते हैं। मैं यह नहीं कहता कि 100 फीसदी आदमी गलत हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनमें देश प्रेम नहीं है, उनमें निष्ठा नहीं है। व्यक्तिगत कोई कमी नहीं है अगर कमी है तो वह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में कमी है। मेरा मूल प्रश्न व्यवस्था पर है, व्यक्ति पर नहीं है। मैं उस व्यवस्था को क्रिटीसाइज कर रहा हूं चाहे वह ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस विभाग हो या अन्य विभाग हों। मान्यवर, थोड़े दिन पहले एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट मैंने एक सचिव महोदय से मांगी थी कि प्रशासनिक सुधार में क्या हुआ है उसकी रिपोर्ट दे दें। मैं एक बात और मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह भी वह व्यवस्था करें हमारे लिये कि हर चीज हमको उपलब्ध होनी चाहिये, इसलिए कि विपक्ष की नीयत और उसका मन इस प्रदेश को आगे उठाने का है, हमारे सुझाव से आप सहमत हों या न हों, लेकिन सुझाव हम तभी शासन को दे सकेंगे जबकि हर विभाग की, गोपनीय फाइलों को आप उपलब्ध न करायें, महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आप करायेंगे।

श्री भीखालाल---

सार्वजनिक उद्यम विभाग के सम्बन्ध में यह छोटी रिपोर्ट मिली है। यह रिपोर्ट अभी मिली है। इसको पहले मिलना चाहिये था जिससे हम इसको देख सकते।

श्री राजेन्द्र सिंह---

जैसा कि श्री भीखा लाल ने कहा कि इतना बड़ा विभाग और छोटी सी किताब जो कि अभी उनको मिली है, इसलिये ऐसे कैसे काम चलेगा। अभी उसको हम बिना देखे क्या सुझाव दें? मान्यवर, उद्योग ब्यूरो है वह स्टडी करता है उद्यमों के बारे में, उसकी रिपोर्ट हमको हर समय उपलब्ध होनी चाहिए जिसको देखकर मालूम कर सकें कि कहां गलती है और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

मायन्वर, टास्क फोर्स बनी तो आयुक्तों को जो उत्तरदायित्व दिये गयेथ उनको पुर्ननिर्धारण करने के प्रश्न पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अध्ययन से यह बात सामने आती है कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की नींव 1795 में पड़ी जब ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा पहली बार 'कलेक्टर' नियुक्त किया गया था और तब से विस्तार होता चला गया, उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था बनी थी उसके दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था कि शासन को जो देन थी उसम था कि जनता को नियंत्रित करना और दूसरा उद्देश्य था कि इस प्रदेश की जनता से माल लेकर धन के अभाव में, ईस्ट इंडिया कम्पनी का समर्थन करना। तो यह कालोनियल शासन को जो देन थी उससे अब काम नही चलेगा, चूंकि हमारे उद्देश्यों में परिवर्तन हो चुका है। श्रीमन्, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है 1795 से शुरू हुई और 150 साल तक उसी ईस्ट इंडिया कम्पनी या ब्रिटिश शासन के माध्यम से उसका विस्तार हुआ, उसी के अन्दर अब श्रीमन्, समय के साथ-साथ इसमें विस्तार हुआ है परन्तु मूल बात यह है कि हमारी प्रशासनिक प्रणाली कालोनियल शासन की देन है। एक कालोनियल शासन के दृष्टिकोण से शासक और शासित का रिश्ता अलग होता है। वहां प्रशासनिक व्यवस्था शासन का एक अंग होकर जनता पर अपना शासन करती है इसलिये जनता और शासन में दूरी स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि यह व्यवस्था कालोनियल शासन और सरकार के तहत विस्तृत हुई है। इसलिये एक परम्परागत कालोनियल प्रशासनिक व्यवस्था के सभी गुण-दोष इसमें मौजूद हैं।

दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बारे में आज तक जो प्रयास किये भी गये उनका कोई परिणाम नहीं निकला। योजना आयोग ने 1951 में प्रशासनिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिये एक सेवा निवृत आई० सी० एस० अधिकारी। श्री ए० डी० गोरेवाला को यह कार्य सौपा था।

(2 बजकर 35 मिनट)

वह प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। 1953 में पाल० एच० एपलबाई ने अध्ययन किया और शासन को कुछ सुझाव दिया। सन् 1962 में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के प्रश्न पर संस्थानाम कमेटी का भी गठन किया गया। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। बहुत से नतीजे, बहुत सी सिफारिशें की गयीं लेकिन कोई भी चीज अभी तक कारगर सामने नहीं आई। में इसके साथ-साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण यह प्रशासनिक व्यवस्था भी है। उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और ऐसा कहते हैं कि जिसमें निगेटिव पालिसी ज्यादा रहती है। श्रीमन्, इसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

श्रीमन् जैसा मैंने कहा कि इसकी निगेटिव मानसिकता जो है, उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। वही कालोनियल शासन पद्धति बनी हुई है। मैं कई मिसालें आपको दूंगा। इस ब्यूरोक्रेसी ने अपनी निगेटिव पालिसी और अपनी हठवादिता के कारण उन विकास योजनाओं को, उन मुद्दों को, उन पोजीशन्स को स्वीकार नहीं किया। खेती हमारा मुख्य उद्योग है। उसमें भारत सरकार ने कुछ चीजें बताई थीं कि इसमें कैसा पैटर्न होना चाहिए। राज्य सरकार ने उसको माना लेकिन आज तक उस पर आदेश नहीं हुए। दूसरा श्रीमन्, मैंने पहले भी बताया था, मुख्य मंत्री जी के सामने बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने निर्देश दिया, एक सुझाव दिया और आपके ऐक्टिंग प्रेसीडेंट श्री कमलापति त्रिपाठी ने, जब वह सिंचाई मंत्री थे, वहां पर प्रदेश में उन्होंने एक आदेश दिया था कि सिंचाई विभाग में जो सैकड़ों, करोड़ों की मशीनें हैं, उसको मिला कर एक मशीन आरगेनाइजेशन बनाया जाय, ताकि उसका जो उपयोग है, वह पूरा हो सके। श्रीमन् तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं। एक बेन्योर पैटर्न की बात है, मैं भी उस समय कृषि मंत्री था। लेकिन मैं उसे नहीं लागू करा सका। अगर आप भी समझें की उसकी हठवादिता के कारण और ब्यूरोक्रेसी के कारण आप भी अक्षम हैं तो कोई बात नहीं। इसमें सरकारी अधिकारियों के कुछ अधिकार कम होते हैं। इसलिए वह उसको नहीं बनने देना चाहते हैं। देश के ज्यादा स्टेट्स ने इस पैटर्न को स्वीकार किया है। यह जितने जिलाधीश हैं, ज्यादातर जिलाधीशों की कोठियों में बड़े-बड़े फार्म्स हैं, क्योंकि बेन्योर पैटर्न के माध्यम से यह जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, यह हमारे सम्बन्धित अधिकारियों के करेक्टर रोल में इन्ट्री नहीं कर पायेंगे, तो उसका नियंत्रण उस पर नहीं होगा और अगर नियंत्रण नहीं होगा, तो लाखों रुपये जो पैदा करते हैं, खाद्य विभाग के अधिकारियों को बुला कर, खाद विभाग से खाद मंगाकर और बीज वालों से बीज मंगाकर वह नहीं कर पायेंगे। जितनी उनको साल भर में तनख्वाह नहीं मिलती है उससे कई गुना ज्यादा वह अपने उन कृषि फार्म से अर्न करते हैं, इल्लीगल तरीके से अर्न करते हैं। आप पता लगाएं कि देश में किन-किन स्थानों पर इसको लागू किया गया है और यदि आप पाएं कि इसको हठवादिता के कारण नहीं लागू किया गया है तो आप मेहनत करके इसको लागू करायें।

मैंने टास्क-फोर्स के बारे में कहा था और कमिश्नर के अधिकार बढ़ाने के बारे में। जब भी कोई प्रश्न आता है प्रशासनिक सुधार आयोग यह कहता है कि जिलाधिकारी या डिवीजनल कमिश्नर के अधिकारों को कैसे और बढ़ा दिया जाए और किस तरह से उसको 2-4 गाड़ियों की सुविधा और उपलब्ध करा दी जाय। मैं चाहूंगा कि इसमें कर्त्तव्य की तरफ भी देखने का प्रयास किया जाए। जनप्रतिनिधियों को जिले में होने वाले सारे डेवलपमेंटल कार्यों को देखने और निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए और तभी आप जनता तक जनता के वास्तविक डेवलपमेंटल कार्यों को पहुंचा पायेंगे। इसके साथ में कहूंगा कि उन्होंने राजनेताओं के बारे में कहा, मेरा कहना उचित नहीं होगा। नई-नई पोस्टें बढ़ती जा रही हैं।

मैं मानता हूं कि बजट बढ़ा है और हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन यदि आप इसमें यह भी कर सकें कि निश्चित ड्यूटीज बांट सकें, डेवलपमेंट ड्यूटीज और कमिश्नर के अधिकार, तो बहुत अच्छा होगा और एक सही काम होगा। जिला प्रशासन को आप तीन स्टेज पर बांट दें, कलेक्टर इंचार्ज होगा इस कार्य का, विकास अधिकारी कोई भी हो वह उत्तरदायी होगा समस्त विकास कार्यों को देखने का और कोई शिकायत या भ्रष्टाचार पाया जाएगा, तो वह उसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। इसी

तरह से जो कृषि है, उसमें भी अपनाया जाए। पुलिस में भी इसी तरह से हो। जब तक आप एस0 पी0 और एस0 एस0 पी0 को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, कुछ नहीं होगा, स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। वहां पर कलेक्टर सुप्रीम है और वह कम एज का होता है, जिससे कुंठा की भावना पुलिस और आई0 पी0 एस0 अधिकारियों में बहुत ज्यादा है।

(व्यवधान)

यह पांच बजे तक तो चलेगा, यह मेरा अधिकार है। 21 सुझाव हैं इसमें, इनको आप लागू करा दीजिए तो मैं आपको दे दूं...

(व्यवधान)

उत्तरदायित्व के पुनः निर्धारण की बात कही, उस पर पुनः जोर देता हूं। जो हमारी मशीनरी है, उसमें आप उनके उत्तरदायित्व को निश्चित करने का प्रयास करें।

श्रीमन्, कलेक्टर सुप्रीम है, सब का इंचार्ज है किसी के प्रति उसका उत्तरदायित्व नहीं है। तो श्रीमन्, दो बातें हैं इस ब्यूरोक्रेसी के बारे में। इसमें 2 विचार हैं दोनों को मैं पढ़े देता हूं। माननीय चौधरी चरण सिंह का कहना है। (व्यवधान) मैं माननीया इंदिरा जी का भी पढ़ूंगा, आप चिंता न करें। माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि 'भारतवर्ष (इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।) में प्रशासन का उद्देश्य गरीब और अनपढ़ देहाती जनता की सेवा करना है। परन्तु इसकी स्वयं की पृष्ठभूमि और सामाजिक स्तर उन लोगों से बहुत भिन्न है। यहां सामान्यतः प्रशासनिक सेवाओं में बड़े-बड़े शहरों में स्थित विश्वविद्यालयों और आधुनिक सुख-सुविधा से परिपूर्ण वातावरण से व्यक्ति आते हैं। इसलिए वे आम गरीब जनता की असहायता को न तो समझ पाते हैं और न उनसे भावनात्मक सम्पर्क स्थापित कर पाते हैं। तो इसमें उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने कहा था कि जो इस तरह की हमारी सेवा के लोग हैं, अधिकारी और कर्मचारी हैं उसमें से ज्यादातर उसमें से एक बड़ा परसेन्टेज ग्रामीण क्षेत्रों से आना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं देश की प्रधान मंत्री के विचार भी पढ़े देता हूं। श्रीमन, उन्होंने 15 नवम्बर, 1976 को कहा था, इंगलिश में है। मैं इसको हिन्दी कर दूंगा।

"अवर रिक्रूटमेंट फिलास्फी मस्ट बिकम मोर एण्ड मोर रूरल-ओरियन्टेड, दिस इज नाट बिकाज आफ एनी आइडिलिज्म बट फार दि हार्ड फक्ट दैट दि वास्ट मेजारिटी आफ दि इंडियन टू डू सो पिपुल आर स्टिल लिविंग इन रूरल

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

एरियाज एन्ड विल कान्टीन्यू, वी डू वान्ट टू इन्डस्ट्रियलाइज इंडिया बट वी आर स्योर कंसाइट दैट इट विल रिमेन लार्जली एन एग्रीकल्चरल कम्यूनिटी एन्ड वी आर हैपी दैट इट शुड बी सो बिकाज अवर प्राइमरी रिक्वायरमेन्ट इज फूड एन्ड वी कैन नाट एफोर्ड ए सेचूएशन ह्वेयर देयर इज एनी लैक आफ दैट। सो दि रूरल एरियाज हैव टू बी डेवलप एन्ड दि पीपुल, हू कैन गो एन्ड डेवलप देम मस्ट बी गिवेन ए बेटर चान्स"

श्रीमन, उनका कहना है, और मैं एक बात यह भी बता दूं कि यह भी बहुत बड़ी भावनात्मकता थी। इसके बाद पार्लियामेन्ट के चुनाव आने वाले थे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल इसकी हिन्दी कर दें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, क्योंकि पार्लियामेन्ट के चुनाव आने वाले थे और इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करना था तो उन्होंने शुरू में यह बात कही कि मैं चाहता हूं कि जो रिक्रूटमेन्ट हों, जो तरीका है, वह गलत है। जो स्थान हैं उसमें रूरल ओरियंटेड लोग होने चाहिये। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वह कृषि है। कृषि को हमें डेवलप करना है। इसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं इसलिए इससे सम्बन्धित लोग ही शासन के पदों पर आने चाहिये। जो लोग इनकी सेवा कर सकें ऐसे लोग भेजने चाहिये। लेकिन इसमें मान्यवर, डिफरेन्स है। भावना का भी। जैसा मैंने कहा, माननीय चौधरी चरण सिंह की बात मैंने पढ़ी थी। माननीय चौधरी चरण सिंह की भावना यह थी की देहात की जनता, ग्रामीण जनता, यह जो हमारी डेवलपमेन्टल स्कीम्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी की प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें इनका अधिक प्रतिनिधित्व आना चाहिये। हमारी माननीया प्रधान मंत्री शुरू में तो कह गयीं लेकिन अन्त में कहा है कि जो लोग इनकी सेवा करना चाहें। तो भाव तो अच्छे थे लेकिन हुआ ऐसा नहीं। अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बयान दिया था। शायद बैंक आफ इंडिया के मैनेजर आपके पास आये थे आपने कहा था कि बैंक के अन्दर ग्रामीण आदमी होने चाहिये। बड़ी अच्छी बात है। रूरल बेस के आदमी हों, बहुत अच्छा है। आपकी भावना है लेकिन असलियत यह है, अधिष्ठाता महोदय, क्षमा करें, अभी 145 पोस्टिंग्स हुयीं, सेलेक्शन हुआ हरिजन समाज कल्याण विभाग में 145 मान्यवर, उसमें से 120 शहर से हैं, उनमें से 70 इस लखनऊ से हैं और कुल 25 ग्रामीण क्षेत्र से हैं। आपकी भावना थी कि ग्रामीण क्षेत्र से आना चाहिये। लेकिन आपके दूसरे साथी, आपकी यह तथाकथित ब्यूरेक्रेसी, आपकी भावना को निगेटिव कर रहे हैं। इसमें ऐलीगेशन भी लगता है, सदन के बाहर और सदन के अन्दर, कि इसमें पैसा चला है। मैं चाहूंगा कि इन नियुक्तियों का आप परीक्षण करा लें।

मैं इसके बाद 1-2 सुझाव देना चाहता हूं। एक तो श्रीमन्, विकेन्द्रीकरण व्यवस्था की जाय। लेकिन विकेन्द्रीकरण का मतलब यह नहीं होना चाहिये कि सत्ता सचिवालय से हटकर आयुक्त या जिलाधीश के हाथ में आये। विकेन्द्रीकरण से मेरा तात्पर्य फिर वही है कि विभिन्न विभागों को पूर्णरूपेण उत्तरदायी बनायें, जिनकी सीधी जिम्मेदारी शासन के साथ हो, इनडायरेक्ट मिडिल मैन को आप कम से कम अपने बीच में रखें। दूसरे, एक सदन की कमेटी बनायें। यह आवश्यक

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयान विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

है। क्योंकि ब्योरोक्रेट्स जो काम करते हैं, वे उसमें जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं। सभी विभाग जिनमें यह कार्य करते हैं, उसके कार्यकलापों को देखने का अधिकार इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को होना चाहिए, क्योंकि जनता के प्रति यह सदस्य उत्तरदायी हैं, ये ब्योरोक्रेसी नहीं। आप उत्तरदायी हैं, लेकिन उनके माध्यम से नहीं, आप सीधे उत्तरदायी हैं। ऐसी कमेटी को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वे यह देखें कि डेवलपमेंट के या बजट के माध्यम से जो हमारी स्कीमें चल रही हैं, उनमें सही कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है।

श्रीमन्, अभी पिछले दिन मेरठ के दंगे पर बहस हुई। यह एक शर्मनाक घटना घटी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री जी इसमें आपसे में 2-3 बातें कहना चाहूंगा, मैं उसको मेरिट्स और डि-मेरिट्स में नहीं जाऊंगा। मान्यवर, आपके एक सदस्य माननीय मंजूर अहमद साहब ने नियम 56 के अन्तर्गत इसकी सूचना देकर इसकी चर्चा को इनीशियेट किया, उसमें उन्होंने कुछ एलीगेशन्स भी लगाये, सो मेनी वर्ड्स में कि प्रशासन व्यवस्था फेल हुई। और पी० ए० सी० के लिए उन्होंने कहा कि उसने ऐसा किया। यह जानकारी में आया। आपके एक सदस्य, माननीय दामोदर शर्मा, जो उधर से बोले, उन्होंने मंजूर अहमद साहब को सीधा हिट किया और एक पत्र या कोई चीज दिखायी, जिसमें उनके आचरण के बारे में कोई टिप्पणी की गयी थी। माननीय खान गुफरान जाहिदी ने भी इस पर कहा कि वह वह कोई षड्यंत्र था और पी० ए० सी० ने कुछ ऐसा किया। माननीय गुलाब सेहरा साहब ने अपने भाषण में सो मेनी वर्ड्स में स्वीकार किया कि षड्यंत्र था और यह माना कि पी० ए० सी० ने भी ऐसा कुछ किया। तो, माननीय मुख्य मंत्री जी यह चार भाषण आपकी तरफ के लोगों के हैं। इस तरह से आपको सेंसर किया गया, आप सेंसर हो चुके आपकी सरकार सेंसर हो चुकी हैं 24 तारीख को। होना तो यह चाहिए था कि आप इस्तीफा दे देते, आप बहुमत में थे, दुबारा चुन कर आ जाते। मैं मांग नहीं कर रहा हूं इस्तीफे की। लेकिन आप सेंसर हो गये। इसके पीछे मैं नहीं जानता कोई आपकी इनर बात हो सकती है, लेकिन पी० ए० सी० को इन लोगों ने सीधा हिट किया, इससे आप अपने साथियों के माध्यम से सेंसर हो गये। मैं चाहूंगा कि इस पर आप कभी विचार कीजिएगा।

श्रीमन्, दूसरा सवाल, मैं बहुत कम इसको कहूंगा। संविधान ने हमको आजादी दी है, लेकिन आज जो भी टकराव एक दूसरे में हो रहा है, उसके पीछे आर्थिक कारण है। हमारे संविधान ने आजादी दी है शिक्षा की, व्यवसाय की और अपने जो धार्मिक कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने की लिए, कहीं एक दूसरे का टकराव हो ऐसा नहीं है। श्रीमन् संविधान में ऐसा भी नहीं है कि एक धर्म को अपने कृत्य करने के लिये दूसरे धर्म पर कुठाराघात करने का अधिकार हो। आजादी के बाद से हर धर्म

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

को यह अधिकार है कि अपने-अपने धर्म के अनुसार कार्य करें और किसी दूसरे के धर्म में रुकावट न डालें। आपने तो हरिजन और स्वर्ण को, दो भागों में बांट रखा है। इसका दायित्व किस पर है ? मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और विरोध के लोग बैठ कर इस प्रश्न पर विचार करें कि इसको इन्सटीगेट करने वाले कौन लोग हैं ? जिम्मेदारी हम सभी की है, मैं ऐसा मानता हूं। मकतब, शिशु मंदिर, उर्दू पाठशालायें, संस्कृत पाठशालायें, किसनें चला रखी हैं ? वहां से जिस तरह के बच्चे निकलते हैं उस पर विचार करने की जरूरत है। हिन्दू भी यह चाहता है कि हम पूजा करें, मुसलमान भी यही चाहता है कि इबादत करें, दोनों ही शान्त वातावरण चाहते हैं उसके लिये। मुसलमान भाई यही चाहता है कि जब वह नमाज पढ़े तो उसको डिस्टर्ब न किया जाये। हिन्दू भी यह चाहता है कि जब मन्दिर में कीर्तन करे तो ताजिया न निकाला जाये, मन्दिर और मस्जिद में जो लाउडस्पीकर लगाये जाते हैं उसकी आज्ञा कौन देता है। यह छूट किसने दे रखी है ? कुछ धार्मिक व्यक्तियों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिये। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसके सामने से जुलूस नहीं निकलना चाहिये, अगर कोई कीर्तन कर रहा है तो उसके सामने से ताजिया नहीं निकलना चाहिये। कहने को बहुत कुछ है, पर मैं कुछ बातें जो सरदार पटेल ने कही थीं, मिस्टर जिन्ना ने कही थीं, और विद्वानों ने कही थीं, उनकी कुछ पंक्तियां ही पढ़ना चाहूंगा। सरदार पटेल का कहना है--"प्रत्येक मुसलमान को भारतीय नागरिक एवं समान अधिकार होने का अहसास होना चाहिये। यदि हम उन्हें यह अहसास नहीं करा सकते तो हम अपने देश तथा इसकी संस्कृति के योग्य नहीं। यह उस महान नेक नेता का कहना है। डा0 अंसारी ने कहा है--

"दि ट्रू सेफगार्ड आफ ए माइनारिटी इज दि गुडविल आफ दि मजारिटी अर्थात् बहुसंख्यक की सद्भावना ही अल्पसंख्यक की सच्ची सुरक्षा है"।

सरदार पटेल ने मुस्लिम भाइयों के लिये भी कहा है--उन्होंने कहा था--

"इट इज योर डियूटी टू सेल इन दि सेम बोट एन्ड सिन्क आर स्विम टूगेदर विथ दि रेस्ट यू सेलेक्ट वन हार्स ह्विच एवर यू लाइक बेस्ट इंडिया आर पाकिस्तान"

यह उनकी भावना थी कि इस देश में रहेंगे तो एक साथ एक नाव में चढ़ेंगे, उतरेंगे तो एक साथ और डूबेंगे तो एक साथ। इसी प्रकार से कायदेआजम जिन्ना ने 12 अगस्त, 1947 को कहा था--

"यू आर फ्री, यू आर फ्री टू गो योर टेम्पिल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क्यूज आर टू एनी अदर प्लेस आर वरशिप इन दिस स्टेट आर पाकिस्तान। यू में बिलांग टू एनी रिलीजस कास्ट आर क्रीड दैट हैज नथिंग टू डू विथ दि फंडामेन्टल प्रिन्सिपिल दैट वी आर आल सिटीजन्स एन्ड इक्वल सिटीजन्स आफ टाइम हिन्दूज वुड सीज टू बी हिन्दूज एन्ड मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स नाट इन दि रिलिजियस सेन्स बिकाज दैट इज दि परसनल फेथ आफ ईच इन्डिवीजुअल बट इन दि पालिटिकल सेन्स ऐज सिटीजन्स आफ दी स्टेट।

यह बात कायदे आजम जिन्ना ने पाकिस्तान के नागरिकों से कहा था और इस देश के नागरिकों से सरदार पटेल ने आशा की थी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ज्यादातर देखने में आया है जहां पर औद्योगीकरण है उनमें आपस में क्लेश

रहता है । मान्यवर, आजकल यह दंगे बड़े नगरों में हो रहे हैं जैसे जमशेदपुर, हैदराबाद, भिवानी, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी । और भी बहुत सी जगहों पर छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं बहुत बड़े पैमाने पर हैं लेकिन वह अपनी तरह के हैं । लेकिन इन्हीं जगहों पर क्यों झगड़ा होता है । मैं समझता हूं कि इन सब का कारण आर्थिक समस्या है । हम सब उसी से बंधे हुये हैं । देश में गरीबी के कारण हम सभी आर्थिक झंझटों में फंसे हैं । साधारण हिन्दू, मुसलमान जहां रहता है उनको एक दूसरे से शिकायत नहीं है । श्रीमन्, आप देखें गांव में कभी झगड़ा नहीं होता है वहां हिन्दू और मुसलमान एक साथ रहता है । लेकिन जो शहरों में रहते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसे के बल पर, धन की ताकत से एक-दो गरीब को फुसला लेते हैं और इस तरह का कार्य कराते हैं अपने हित में और अपने उद्योग के हित में । मैं चाहता हूं कि इन सब बातों पर विचार होना चाहिये ।

श्री राम औतार दीक्षित--

कुछ वोट के लिए ऐसा कराते हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

इसको मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन आप चाहते हैं तो वह भी कहूंगा । हमारी नीयत साफ है । मैं फिर कहता हूं सदन की एक कमेटी बननी चाहिये जो व्यक्तिगत विषयों के बारे में विचार करें । जो सूचना आती है किसी के कार्यकलाप के बारे में उसको उस कमेटी में सफाई देनी चाहिये और अगर किसी को शक है तो उसको शिकायत करनी चाहिये । श्रीमन्, आप देखें हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी गौहर शैहर गाये जाते हैं । मुसलमान औरतें गाती हैं- 'अल्लामियां हमारा भैय्या का दियो नन्दलाल' वह कहती है कि हमको जो भैय्या देना वह नन्दलाल की तरह से हो । मुसलमान में एक रसखान कवि हुये । उन्हीं की हम सब सन्तान हैं जो एक दूसरे से लड़ रहें हैं ।

मानुष हौं तो वही रसखान,
बसौं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन ।

जो पशु हौं तो कहा बसु मेरो,
चरौं नित नन्द की धेनु मंझारन ॥

पाहन हौं तो वही गिरि को,
जो धरयो कर छत्र पुरन्दर कारन ।

जो खग हौं तो बसेरो करौं,
मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, यह उसी बृज की बात है जिस बृज से आप आये हैं। रसखान ने उसी में बार-बार जन्म लेने की बात कही थी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी बृज से आता हूं जहां रसखान ने जन्म लेने की बात कही। इसी सदन में, जब चौधरी चरण सिंह जी इधर बैठे थे और कमलापति जी सदन में थे, उन्होंने कहा था कि सत्ता पक्ष का ही कोई सदस्य जाकर मेरी कान्स्टीट्यूवेंसी में और कमलापति जी की कान्स्टीट्यूवेंसी में सर्वेक्षण कर ले और जो रिपोर्ट दे उसी को हम मान लेंगे। गर्व है बाजपेयी जी कि हम आर्थिक शोषण के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम नहीं करते।

फिराक गोरखपुरी इसी देश में, हमारे प्रदेश में पैदा हुए। अगर आर्थिक कारण दूर हो जायें, इंडिस्ट्रियलाइज शहर हैं, वहां खासतौर से ध्यान देने की बात है। वरना साधरण हिन्दू-मुसलमान में कोई दुर्भावना या विद्वेष नहीं है।

आपका ही एक विभाग है पर्यावरण। इस विभाग के जो अधिकारी, कर्मचारी हैं उनको पुनरीक्षित वेतन मान नहीं मिला है। अन्तरिम सहायता जो दी जाती है, वह भी बन्द हो गई। 78 से आज तक बहुत से पद रिक्त पड़े हैं और अपने मित्रों को या व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आन-डेपूटेशन चार-चार साल से रखे हुए हैं। इसके साथ-साथ दो साल में इस विभाग का कार्यालय कितनी बार बदला गया? मेरा यह एक स्पष्ट एलीगेशन है कि वहां के अधिकारी क्यों प्राइवेट हाउसेज लेते हैं? कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और रेन्ट में कमीशन बढ़ता जा रहा है। फर्नीचर टूटता है, दो साल में कितनी बार बदला गया और कितनी बार नया फर्नीचर आया? यह विभाग टेम्प्रेरी है और एक-एक साल के लिए बढ़ाया जाता है इसलिए जो वैज्ञानिक हैं उनमें कुण्ठा बढ़ती जा रही है। 25 लाख रुपये आय डेवलपमेन्ट आफ एप्रोप्रिवेट टेक्नालोजी के लिए और एक ही इंजीनियरिंग को दे दिया गया है, इसे भी देखिए। यह नहीं होना चाहिये। प्लेनीटोरियम बनाने की बात है। ऐसे-ऐसे अधिकारी हैं इस विभाग में जिनको हाउस रेन्ट मिलता है एक से दो हजार और उनका मासिक वेतन है ग्यारह सौ रुपये। मान्यवर, इसे भी थोड़ा सा देख लिया जाये। अभी करीब 35 लाख रुपये प्लेनीटोरियम के लिए रखा गया, म्यूजियम के लिए रखा गया। मैं समझता हूं सबसे पहले साइन्स का डेवलपमेंट करना चाहिये, नये-नये इन्वेन्सन्स होने चाहिये। प्लेनीटोरियम बनाना, म्यूजियम बनाना बाद की बात है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय नेता विरोधी दल टेकनालोजी और साइंस के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। प्लेनीटोरियम एक महत्वपूर्ण जरिया है साइन्स और टेकनालोजी तथा अन्य तमाम चीजों को समझाने का है। नेता विरोधी दल ने अच्छी बात कही साइन्टिफिक डेवलपमेंट का। प्लेनिटोरियम से इसमें मदद मिलेगी। मैं समझता हूं उन्हें इसका स्वागत करना चाहिये।

श्री राजेन्द्र सिंह--

एक नैनीताल में है, देहरादून में एक विभाग है। उसी तरह का दूसरा यहां खोला जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुंचाना है। अभी जो

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्य 79--सैनिक कल्याण विभाग

700 रु0 पा रहा था उसे चुना। उसी की बिरादरी की चयन समिति बैठी। जो इक्सपर्ट बैठा वह भी उसका रिश्तेदार आया। उसको 2,300 से 3,000 रु0 के ग्रेड में चुन लिया गया। मेरा कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति विशेष के लिए यह किया जा रहा है। इन्वारेन्मेंट डायरेक्टर का पद पांच साल से रिक्त पड़ा है। यह पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। बी0 ई0 प्रमोटेड डिप्लोमा होल्डर इस जगह पर डायरेक्टर बना बैठा है। जो टेक्नोलाजिस्ट हैं उनको तकलीफ क्यों न हो। यदि आप उनको देना ही चाहते हैं तो कोई अनाथालय खोल दीजिये, पेंशन बांट दीजिये।

श्रीमन्, एक और चोज है, जो पूरे समाज में व्याप्त है, भ्रष्टाचार। इसके बारे में कुछ और बातें कहूंगा। आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय है। गुलाम हुसैन जो, रिटायर्ड आई0 ए0 एस0 हैं, इसमें अप्वाइन्ट हुए। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये। मेरी सूचना है कि वहां पक्षपात हुआ। माननीय अम्मार रिजवी के रिश्तेदारों को वहां अप्वाइंट किया गया, ऐसी मेरी सूचना है। इसी तरह से....

श्री अम्मार रिजवी--

मेरा आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से निवेदन है कि यदि वह मेरा एक भी रिश्तेदार बता दें और साबित कर दें। आप दोनों के त्यागपत्र रख लें अगर आराप सत्य साबित हो जाए तो मेरा वरना माननीय नेता विरोधी दल का त्याग-पत्र स्वीकार कर लें.....

(शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैंने कहा कि श्री रिजवी के बारे में मुझे सूचना है। मैं मानता हूं आपको कुछ तकलीफ है। जब दूसरा सेन्टेन्स बोलूंगा, आपकी तकलीफ दूर हो जायेगी। मैंने नियुक्तियों के बारे में कहा कि अनियमितताओं को आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिये.....

(शोर)

चैलेंज स्वीकार किया। श्रीमन्, यह मेरी सूचना है। मैं बहुत से चैलेंज करूंगा।.....

एक सदस्य--

आप अपनी सूचना पर कह देंगे कि सूचना गलत निकली।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं शासन और प्रशासन की मानसिकता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसा कि ब्यूरोक्रेसी के लिए कहा गया है । मैं दूसरी सूची जिला मिर्जापुर के अधिकारियों के बारे में पढ़ना चाहता हूं । मान्यवर, सूची है--उच्च अधिकारी होने की और आप जानने का प्रयास करेंगे । आप मानते हैं कि मन गन्दा हो सकता है, हम ह्यूमनबीइंग्स हैं लेकिन अगर बेमन वश कार्य हो रहा है जिस पर अंगुली उठा सकते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिये । जिलाधिकारी श्री प्रशान्त कुमार मिश्र, परगनाधीश, सदर, श्री गणेश दत्त त्रिपाठी, जिला कृषि अधिकारी, श्री जवाहर लाल उपाध्याय, उप जिला कृषि अधिकारी, श्री नर्वदा प्रसाद त्रिपाठी, श्री गणेश प्रसाद मिश्रा, जिला ट्रेजरी अधिकारी, श्री मिश्रा जी, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राजनाथ मिश्रा, जिला उप विद्यालय निरीक्षक, श्री ज्वाला प्रसाद मिश्रा, जिला हरिजन अधिकारी, श्री मिश्रा जी, डी० डी० सी०, श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, अतिरिक्त जिला निरीक्षक अधिकारी, श्री कालिका प्रसाद पान्डेय, तहसीलदार, सदर, श्री अवधेश नारायण पान्डेय, नायब तहसीलदार, सदर, श्री प्रभु चन्द्र उपाध्याय, नायब नाजिर, श्री कमल शंकर दुबे, जिला सामान्य प्रबन्धक, उद्योग, श्री तिवारी जी, पुलिस अधीक्षक, श्री उमाशंकर बाजपेयी, उप पुलिस अधीक्षक नगर, श्री रमाकान्त दीक्षित, उप पुलिस अधीक्षक, राबर्ट्सगंज, श्री पान्डेय ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस मानसिकता को थोड़ा देखना होगा । मिर्जापुर के अन्दर ऐसा है, ऐसी मेरी सूचना है । यदि आप कहें तो मैं आपको दिखवा दूंगा ।

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण होना क्या पाप है ? मैं आपका इस पर संरक्षण चाहता हूं । नेता विरोधी दल इस तरह की बात उठायें, यह सम्भवतः सदन की गरिमा के खिलाफ है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने तो यह एक सूची पढ़ी । शायद हमारे माननीय श्री त्रिपाठी जी को बहुत नेकी आयी । मैंने तो यह पढ़ी केवल मानसिकता के लिये, मैंने कहा यह हो सकता है आपके मन के सोचने का तरीका है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जन साधारण ऐसा सोचे, आपको अपनी मानसिकता में सुधार करना चाहिये । अगर त्रिपाठी जी इस पर बुरा मानते हैं तो मुझे इसका दुख है । मैंने यह नहीं कहा कि मेरा कोई इन्टेन्शन है । मेरा कहना तो सिर्फ यह है कि मानसिकता को थोड़ा आप बदलें । मैंने जो यह सुझाव दिया, कोई बुरी चीज तो नहीं है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने यह जाति विशेष की अधिकारियों की सूची पढ़ी है तो क्या उनके पास पूरे अधिकारियों की सूची है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने तो यह जानबूझकर पढ़ा था । इसी वजह से मैंने ये दो सूचियां पढ़ी थी । यह बात वहां थी कि बिरादरी का अप्वाइन्टमेंट कर लिया गया । आप भी ऐसा कह सकते हैं । मैंने यह सुझाव इसलिए दिया था, कहीं ऐसा

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

दूसरी जगह पर न हो। मैं अपना यह फर्ज समझता हूं कि अगर जनसाधारण में ऐसी बात है तो उससे आपको अवगत कराऊं। अगर आपको तकलीफ हुई है तो मुझे खेद नहीं है लेकिन मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है।

खाद्य विभाग में 42 उपभोक्ता सहकारी समितियां 1973 में रजिस्टर हुई थीं, इस विभाग ने पाम आयल, रेप सीड आयल आदि चीजें उनको दे दीं और उन्हें फिर से रिन्यू कर दिया। इनके पदाधिकारी मर चुके हैं। इन्होंने अपने लोगों को पकड़कर ऐसा किया।

विद्युत् विभाग में यह कहा गया कि 10 घन्टे प्रतिदिन बिजली देते हैं। रेट्स आपने बढ़ा दिया क्योंकि लोन लेते हैं। जो भी कर्जा आपने लिया उसे वापस देने का सवाल नहीं है। इसलिये इनकी आदत होती चली जा रही है कि कर्जा ले लो। 10 घन्टे बिजली देने की बात आयी। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। हमारे यहां का एक सब-स्टेशन है--इगलास, उसका रिकार्ड मंगा लें, 20 सदस्य अपनी तरफ से छांट लें, जितनी लाइन्स वहां से जाती हैं उन सब स्टेशन्स का भी रिकार्ड मंगा लें, बात यह आनी चाहिये कि सत्यता कहां है। आप कहते हैं 10 घन्टे देते हैं, जनता कहती है कि 3-4 घन्टे मिलती है। आप उन रिकार्डों को यहां मंगा लें अध्यक्ष कक्ष में और देख लें। आप अपने मन से माननीय सदस्यों के क्षेत्रों से 20 सब-स्टेशनों का रिकार्ड एट्रेंडम मंगा लें और देख लें। पता चल जायगा विद्युत् की आपूर्ति वहां पर कितने घन्टे हुई। हम भी देखेंगे सूचना गलत होगी तो माफी मांग लेंगे, और अगर आपको सूचना गलत मिल रही होगी तो आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों को डांट सकेंगे।

ओबरा आपका सबसे बड़ा संस्थान है। मैंने इसमें हो रहें करप्शन की शिकायत की थी। मैंने यह कहा था, इस सदन में भी कहा था कि परचेजिंग के अन्दर बहुत बड़ा गोल-माल हो रहा है। ओबरा में जो स्टाक्स और मशीनरीज परचेज होती हैं, उसमें बहुत बड़ा गोल-माल है। मैंने एक पुर्जे की बात की थी, जिसकी कीमत 20 गुना चार्ज की गयी थी। इसी सिलसिले में श्री डी० एस० झा, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पत्र लिखा था अलीगढ़ के सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर को, उसमें लिखा था कि--

"इट इज ए वेरी सीरिअस मैटर दैट आर्डर्स आर बीइंग प्लेस्ड विथ अनरिलायबिल फर्म्स दैट टू ऐट हायर रेट्स।"

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

आपका ही एक आदमी इस तरह से लिखता है और वह नोटिस में आया। मैंने माननीय सदन के संज्ञान में यह बात ला दी, तो मैं चाहूंगा कि आप बतायें कि इस मामले में क्या हुआ ?

अभी हरदुआगंज अलीगढ़ में टेन्डर हुए। 4 आइटम्स के लिये टेंडर था, कई फर्म्स ने दिया। होता यह है कि जो लोएस्ट टेन्डर होता है वह स्वीकार होता है। अगर लोएस्ट के हिसाब से टेन्डर्स स्वीकार होते तो शासन को और विभाग को 22,700 रु० ही देने पड़ते लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचारिक तरीके से टेन्डर्स स्वीकार हुए उसमें विभाग को 29 100 रु० देना पड़ा। इसको देखिये अगर इस तरह को कोई प्रक्रिया नोटिस में आ तो है कि लोग इस तरह के गलत काम कर रहे हैं, तो हमें भी चिन्ता है, आप भी चिन्तित होते हैं। इस विभाग की बहुत बड़ी आवश्यकता है डेवलपमेंट के लिये। लेकिन यह बात दूसरी है कि इस विभाग के माध्यम से इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी न हो, लेकिन यह जरूर है कि वहां के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधर गयी है।

श्रीमन्, आप देखें जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की बात आती है। यह तो अपनी जगह सही है कि आपने आज हर जगह इसके जाल बिछा दिये है, जिसमें करोड़ों रु० भी खर्च हुआ है, परन्तु जहां तक वहां पर विद्युत पहुंचने की बात है, वह गौर करने की बात है, इसे आप देखें, बहुत लापरवाही से आज बिजली सप्लाई हो रही है, कहां कुछ इस ओर जाता है और होता कुछ है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे श्रीमन्, इस प्रदेश में लाटरी उद्योग है, उसमें भी आज गड़बड़ी व्याप्त है। यहां लाटरी के टिकटों की छपाई मेसर्स जी० डब्ल्यू० लारी प्रेस करता था। वर्ष 1980 में इस प्रेस ने कुछ डुप्लीकेट टिकट छापकर बाजार में बेचे। जब यह बात पकड़ में आयी, तो उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और शासन ने यह स्पष्ट आर्डर दिये कि इसका पेमेंट रोक दिया जाए और भविष्य में इससे टिकट न छपवाए जाएं, लेकिन श्रीमन्, वह फाइल गायब करा दी गई और आज भी वही प्रेस टिकट छाप रहा है। श्रीमन्, सिंचाई विभाग में एक चीफ इंजीनियर थे मिस्टर जिंदल, जिन्हें जुलाई 1982 में सेवा-मुक्त किया गया। इनके खिलाफ इन्क्वायरी हमारे जमाने से चल रही थी और वह इस इन्क्वायरी में दोषी भी साबित हुए, परन्तु शासन और विभाग उन्हें फिर भी प्रमोशन देना चाहता था, उनकी फाइल यहां पर आयी और वह नीचे से रिकमेंड होते हुए माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास आ गयी। मुझे भी स्थिति का पता चला, तब मैंने एक पत्र राजा साहब को लिखा, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे पत्र के आधार पर फिर नीचे से क्वेरी की, तब उन्हें मालूम हुआ कि इसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो चुके हैं और वह दोषी ठहराया जा चुका है और उनसे जब हमारी व्यक्तिगत मुलाकात हुई, तब भी इस बात का जिक्र आया। उन्होंने स्थिति को समझा और श्री जिंदल को जुलाई, 1982 में सेवा मुक्त कर दिया, श्रीमन्, मैं कहना यह चाहता हूं कि एक दोषी व्यक्ति को भी किस तरह शासन व विभाग वाले प्रमोशन देने की कोशिश में थे, यह विचारणीय है। मैंने उनको बधाई दी और अब दुबारा भी देता हूं लेकिन शासन को क्या कहें ? उसको उस समय देखिये कि वह उस समय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि उन पर आरोप उस शासनकाल में स्पष्ट थे तो इसलिये वह रेमेडी के लिये हाईकोर्ट नहीं गया लेकिन अब पत्रावली पर पुनः आदेश कराने में जब सफल हो गये तो उच्च न्यायालय में जा कर सेवामुक्ति के आदेश इसी आधार पर निरस्त करा लिये।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इसे देखें, यह एक सुनियोजित योजना बनी शासन और उच्चाधिकारियों तथा जिन्दल के बीच कि उसकी पोस्ट जुलाई से 18 फरवरी तक खाली रखी गयी जब कि डिपार्टमेन्ट में और अधिकारी थे प्रमोशन के लिये, परन्तु उनको प्रोन्नत नहीं किया गया। अब मैं क्या कहूं, किन शब्दों में कहूं ? यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी सरकार में अगर किसी तरह से भ्रमित करके आदेश करा लिये हैं तो यह बहुत बड़ा पाप आपकी कलम से हो गया है। उसकी सेवा-मुक्ति से पूर्व सतर्कता विभाग की पूर्ण जांच, प्राविधिक अधिकारियों की राय जिसमें निहित थी और उसी जांच आख्या के आधार पर उसे सेवा-मुक्त किया गया था, उस आर्डर को स्क्रेप करके 18 तारीख को उसने फिर ज्वाइन कर लिया है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने उसे सेवा-मुक्त किया था। मान्यवर, इसे आप देखें कि यह फाइल आपकी कलम से कैसे हो गयी ? इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो ऊपर से बहुत बड़ा दबाव पड़ा है या फिर पैसे का जूता चला है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने आपके लिये कुछ नहीं कहा है, मेरी तो आप पर आस्था है लेकिन मैं यह फिर कहता हूं कि वह आदेश बिना आपकी कलम के नहीं हो सकते थे। इसको आप देखें कि यह कैसे हुआ है कि हाईकोर्ट से पुनः आर्डर करा कर वह भ्रष्ट अधिकारी जो कि सेवा से अलग किया जा चुका था, फिर सेवा में आपने उसे ले लिया है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, आधा आप आज बोल लें और आधा अब कल बोल लीजियेगा, दूसरों को भी बोलने का इस तरह से मौका मिल जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह मेरा अधिकार है और मैं अभी बोलूंगा। श्रीमन्, इसी प्रकार से सिंचाई विभाग, हाथरस खंड में कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री त्रिलोक चन्द्र मित्तल के बारे में वित्तीय अनियमितताएं पायी गयीं सीमेन्ट की चोरी के मामले में। इस बात को प्रूव करने के लिये फोटो स्टेट कापी मुख्य मंत्री जी को दो वर्ष पूर्व दी गयी परन्तु आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसी प्रकार से सिरसी बांध, मिर्जापुर का मामला है जिसमें लाखों रुपए का घोटाला था जिसे मैंने अनावरण किया था परन्तु उस पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से जनपद मथुरा में सिंचाई विभाग में एक सहायक अभियन्ता तथा एक जूनियर इंजीनियर द्वारा 400 सीमेन्ट की बोरी की चोरी के सम्बन्ध में मामला था। जूनियर इंजीनियर ने एफ0 आई0 आर0 लाज करायी थी। मैं भी शिकायत करता रहा, इस सदन में भी उसे उठाया,

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

आखिर में उस पर जांच के आर्डर हुए । जब मामला सही पाया गया तो उस पर आदेश हो गया कि इनसे सीमेन्ट की कन्ट्रोल प्राईस ले लो जाय । तो यदि ऐसा ही आपका प्रशासन है तो सिंचाई विभाग सीमेन्ट की चोरी करता रहेगा जब तक आप उससे पेनाल्टी स्वरूप कुछ नहीं लेंगे । पेनाल्टी में रकम दुगनी या तिगुनी ली जाती है ।

अब तीसरी बात मध्य गंगा की है, यह भी हौरीफाइड मैटर है, इस पर विभाग का । इसको एक नहर पर कम्पेक्शन का कार्य 2 करोड़ रुपए का हो चुका है । एक भी स्थान पर टेस्ट नहीं किया गया है जबकि टेस्ट का भुगतान कर दिया गया है ।

(3 बजकर 35 मिनट)

लेकिन एक जगह का भी कम्पेक्शन नहीं हुआ । टेस्ट नहीं हुआ, जब कि टेस्ट का भुगतान कर दिया गया है । मान्यवर, मुख्य नहर पर एक करोड़ की घास अम्बेकमेंट पर लगाना दिखाया है, जो स्पाट पर लगाया नहीं गया है और अब पत्थर के पीचिंग करने की योजना बनायी जा रही है । एक और श्रीमन् हैं, इस योजना में सड़कें बनाने के लिए पैसा खर्च किया गया । इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है । वही विभाग इन की भी बनाता है । मान्यवर,, सड़कें बनीं और वह घास की तरह उनका भी पैसा चला गया । योजना पर 4 करोड़ की मशीनरी आपने खरीदी है । वह मशीनें ठेकेदारों को काम कर ने के लिए दी गयीं । मान्यवर, 75 प्रतिशत काम हो गया, काम पूरा हो गया, लेकिन उनसे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ । एक भी पैसा नहीं मिला । मान्यवर, यह 66 करोड़ रुपये का प्लान था और अब 200 करोड़ का हो गया है । इस के जो तमाम अधिकारी हैं वह मेरठ में रहते हैं । जूनियर इंजीनियर से लेकर अधीक्षण अभियन्ता तक सभी मेरठ में रहते हैं । इसकी साइट मेरठ से 70-74 किलोमीटर दूर पर है । अधिकारी रहते हैं मेरठ में, यहां से सुपरविजन नहीं हो सकता है । बात कही जाती है कि यह 84 में पूरा हो जायेगा, लेकिन यह अगर 86 में भी पूरा हो जाये तो बड़ी बात है । कहा जाता है कि पैसा नहीं मिला, गत वर्ष कुछ कम मिला लेकिन हर साल पैसा मिला है । 15 करोड़ का यह प्लान है और मान्यवर, 25 करोड़ की मांग की गयी है ।

मान्यवर, अब मैं निगमों पर आता हूं । माननीय रिजवी साहेब ने अपने बजट में कहा था कि इनके निगमों को प्राफिट हो रहा है । मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है ? मेरे पास 1981-82 तक की रिपोर्ट है सदन में तो नहीं आयी है लेकिन किसी प्रकार से हम को उपलब्ध हो गयी हैं । श्रीमन्, चीनी निगम 9 करोड़ के घाटे पर है, इस साल भी घाटे का इस्टीमेट है । मान्यवर उत्तर प्रदेश जल निगम 425 लाख के घाटे पर है । यह घाटा हर साल बढ़ता चला जा रहा है । एक साल हो गया, दूसरे साल तो मुनाफा होना चाहिए, तीसरे साल कम हो सकता है, लेकिन हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें बराबर घाटा होता जा रहा है । मान्यवर, 1977 से लेकर 1981 तक घाटा बढ़ता ही चला जा रहा है । घाटा कम होने का कोई सवाल ही नहीं है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का घाटा पिछले साल 9 करोड़ रुपया था और इस साल 2,67 का दिखाया गया है, अभी तो यह अनुमानित है, इसको तो अभी बनाना है । यह शायद बरेली में है । यह टरवेन्टाइन आयल बनाती है । ताज्जुब की बात है कि इसका घाटा हर साल बढ़ता चला जा रहा है और इस वर्ष इसका

घाटा डेढ़ करोड़ रुपये का है। ताज्जुब की बात यह है कि यह फैक्टरी कच्चा माल बनाती है और वहीं पर एक दूसरी फैक्टरी है, जो बम्बई के माने हुये दलाल हैं उनकी है, उनको यह फैक्टरी कच्चा माल देती है। यह फैक्टरी कपूर बनाती है। इस फैक्टरी का करोड़ों में लाभ हो रहा है। आपकी फैक्टरी जो कि कच्चा माल बनाती है उसको इतना घाटा हो रहा है और दूसरी फैक्टरी जिसको कच्चा माल सप्लाई किया जाता है उसको करोड़ों का लाभ हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ? जाहिर है क्यों हो रहा है, कांग्रेस के फन्ड में इस फैक्टरी ने 40 लाख रुपये दिये हैं।

श्री पंचानन राय--

यह एकाउन्ट बहुत पुराना लगता है ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

विपक्ष वह अच्छा होता है जो सी0 आई0 डी0 का काम करे।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सदस्य चाहेंगे तो ये भी एलीगेशन लगायें, हम जवाब देंगे श्रीमन्, एक नई कम्पनी बनी है हार्टिको। पहले ही साल में 30 लाख का घाटा हो गया। इस तरह से 15 निगम हैं सब में घाटा हो रहा है। माननीय रिजवी साहब ने कहा था राजकीय निर्माण निगम। इसके बारे में भी मंत्री जी मना कर दें। 80-81 में इसका घाटा 11.64 लाख और इस वर्ष 21·66 लाख। मेरे हिसाब में गलती हो सकती है या आपके हिसाब में गलती हो सकती है। इसी तरह से और भी निगम हैं। सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन ने यह डाइरेक्शन दिया था, इनको इसलिये रिकमेन्ड नहीं किया। इन्होंने निगमों के लिये पैसा मांगा था। जो पूंजी आपको लगी हुई है उससे पांच प्रतिशत मुनाफा कमाना था ..

श्री मुईद अहमद--

यह जो घाटा आपने बताया है राजकीय निर्माण निगम का, वह किस वर्ष का है, बता दें ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मन्त्री जी ने नोट कर लिया है। आपका दिमाग दूसरी तरफ है जहां पांच प्रतिशत का मुनाफा होना चाहिए, वहां घाटा हो रहा है।

(व्यवधान)

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

मैं किसी पोलिटिकल पार्टी पर एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं । व्यवस्था के बारे में दोष बता रहा हूं । मैं निवेदन कर रहा था कि उसमें नुकसान हो रहा है । 5 प्रतिशत लाभ की जगह 2·5 प्रतिशत का घाटा हो रहा है । जैसा मैंने पहले कहा तिमाही और छमाही आप रिव्यू करते हैं । वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था आपके मैनेजिंग डाइरेक्टर कर रहे ह तो फिर ऐसा क्यों होता है । तिमाही, छमाही छानबीन होती है, स्क्रूटिनी होता है फिर इतना बड़ा घाटा क्यों होता है । या तो आप इन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर इनका निरीक्षण नहीं करते हैं । अगर आप परीक्षण करते तो निश्चित रूप से यह बात सामने आती की घाटा क्यों हो रहा है । या तो आप इसको बतायें ।

श्रीमन्, अभी दिसम्बर में महालेखाकार ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि करीब 69 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 9 सालों से अपने हिसाब नहीं बनाये हैं । कम्पनीज ऐक्ट की धारा 166 है उसमें प्राविधान है कि अगर कोई कम्पनी अपना हिसाब फाइनेंशियल इयर खतम होने के 9 महीने बाद तक सबमिट नहीं करेंगी तो उसको 6 साल की सजा और 5 हजार रुपया जुर्माना होगा। मैं चाहता हूं कि कितने आई० ए० एस० अधिकारियों को इस प्राविधान के अधीन जेल भेजने का प्राविधान किया है । जब स्पैसिफिक प्रावीजन है, एक कानून बना है तो जो प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से 9-9 साल तक क्यों बैठे हुए हैं उनके लिए कोई उपाय होना चाहिये क्यों वह बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं । उनको दंड दिलवाया जाना चाहिये । तो महालेखाकार ने जो पत्र भेजा है उस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसमें आपका एक उद्योग ब्यूरो है उसमें 14 राजपत्रित अधिकारियों की पोस्ट हैं लेकिन उसमें 7 स्थान खाली पड़े हुए हैं कई सालों से खाली पड़े हैं उसका कारण यह होगा कि कोई सब्स्टीट्यूट, कोई जाना-पहचाना नहीं मिल रहा होगा । तो जो संस्था प्रदेश के निगमों का निरीक्षण करती है, जो उनको गाइड करती है उसमें इतने स्थान खाली पड़े रहें, यह कहां तक ठीक है ।

जो द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है वह अभी लागू नहीं हुई है उसमें जी० ओ० क्यों नहीं इश्यू हो रहे हैं ?

एक बात और कहना चाहता हूं । एक सेतु निगम है जिसकी बड़ी तारीफ की गयी कि देश-विदेशों में नाम कमाया है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

नाम तो कमाया है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

आपको भ्रम में रख कर । जिन्होंने इसका सम्प्रेक्षण किया है उन्होंने लिखा है कि लेखों की स्थिति स्पष्ट नहीं है । लेखे सत्य से परे हैं । यह सम्प्रेक्षकों ने लिखकर दिया है । जब किसी के द्वारा एकाउंट्स का आडिट कराते हैं तो वह एक सर्टिफिकेट देते हैं कि "एकाउंट्स फाउंड ट्रू ऐन्ड फेयर" । अगर यह सर्टिफिकेट इसको मिला हो तो वह सदन में बता दें जब माननीय मुख्य मन्त्री जो कल जवाब दें तो बता दें इस सेतु निगम को किसी पार्टी से इस तरह का सर्टिफिकेट मिला है ।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासनिक विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

इससे भी एक बड़ी हौरिफाइंग बात और है अभी 25 तारीख को लोक सभा में जो वहां का उद्योग ब्यूरो है उन्होंने 1981-82 की रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है। मेरा चार्ज है हमारे प्रदेश की 1978-79 की रिपोर्ट छपकर तैयार है और दो साल से वह ब्यूरो कार्यालय में रखी पड़ी है।

मान्यवर, ब्यूरोक्रेसी का कहना है कि वह बाउन्ड नहीं हैं सदन में रिपोर्ट पेश करने के लिये, इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको आप देखें कि कोई रिपोर्ट छप चुकी है तो सदन के सामने क्यों नहीं आ रही है? इसलिए जो निगम प्रदेश की गरीब जनता के जन जीवन के उत्थान के लिए आपने बनाया था. इस ब्यूरोक्रेसी को देकर आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है और वह आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस ब्यूरो की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है और नियम 166 का पालन क्यों नहीं हो रहा है? नौ-नौ सालों तक रिपोर्ट न बने तो यह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिये इसको आप देखें।

मान्यवर, अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में आंकड़े तो नहीं देना चाहता हूं। लेकिन कहना चाहूंगा कि हर वर्ष जो आंकड़े घटाकर दिये जा रहे हैं तो शून्य पर क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिये जहां एक तरफ आंकड़े घट रहे हैं तो दूसरी ओर जनता की चीख-पुकार बढ़ती क्यों जा रही है? मान्यवर, हो रहा है कि "रोम जल रहा है और सम्राट नींद में सो रहा है"। श्रीमन्, पिछले मुख्य मन्त्री ने 300 एनकाउन्टर्स की सूची दिया था और मैंने कहा था कि उनमें से 10 को आप छांट लें और जांच करा लें कि उनमें सत्यता कहां तक है? जांच नहीं करायी गयी चूंकि वह फर्जी थे। आप जबसे आये हैं आपकी नीति बदली है और कहा है कि फर्जी एनकाउन्टर्स का हम सहारा नहीं लेंगे। तो आपने हमारी बात को यहां स्वीकार किया है कि हम जो पहले कह रहे थे कि फर्जी एन्काउन्टर्स हो रहे हैं, तो वह बात सच निकली जिसको आपने स्वीकार किया। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट आई हैं जैसे बागपत कांड की रिपोर्ट आयी है, शासन की स्वीकृति के लिए आयी है जो कि 8 महीनों से पड़ी है, इसी तरह ऊन्नाव और रमाकांत त्रिपाठी से सम्बन्धित रिपोर्ट भी आपके सामने आ चुकी हैं जिनको आप देखें। जिन बातों को यहां सदन में उठाया है उसमें अच्छा है कि आप उनकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराकर दें।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

मान्यवर, दस्यु फूलन देवी और धनश्याम के सम्बन्ध में आज प्रातः कुछ बातें आयी हैं । हमारे भूतपूर्व राज्य गृह मंत्री, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने एक बहुत लम्बा-चौड़ा वक्तव्य देकर यह विश्वास दिलाया था कि फूलन देवी को मुर्दा या जिंदा यहां लाया जायेगा । यह वक्तव्य देकर दो बड़े राज्यों के मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री अर्जुन सिंह और हमारी मासूम दीदी जो उस समय गृह मंत्री थीं, उनकी प्रतिष्ठा को गिराया है....

(व्यवधान)

श्रीमन्, हमने दीदी के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने तो यह कहा कि राजेन्द्र त्रिपाठी ने बेकार उनकी पोजीशन खराब की वक्तव्य देकर । फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में इस प्रदेश का बहुत बड़ा अपमान हुआ है । मैं उसको अपना भी अपमान समझता हूं । जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के बैजेज पहनकर उन डकैतों का मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के सामने सरेन्डर कराया गया, उससे तो सत्ता पक्ष के चेहरों पर कालिख पुत गयी है....

(व्यवधान)

इसमें हमारी पुलिस का मारेल गिरा है....

श्री अधिष्ठाता--

क्या फूलन देवी का मध्य प्रदेश में सरेन्डर किया जाना यह सरेन्डर नहीं है और....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

इस तरह से मान्यवर, इस समय आप उस कुर्सी पर बैठे हैं । वहां से बैठकर मुझ से प्रश्न करने की परम्परा नहीं है । मैं चाहूंगा कि परम्परा का निर्वाह हो । आप उस आदरणीय सीट से वहां आ जाएं और यहां से पूछें तो मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा ।

यह हरिजनों की बात करते हैं, बहुत उनके हमदर्द बने हुए हैं । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार जब सदन में विपक्ष की ओर से सहूपुर के मृतकों के बारे में एक प्रस्ताव लाया गया था, तो आपने उन मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट नहीं की थी ।....

एक सदस्य--

आप हरिजनों के हमदर्द कब से हो गये, आप तो वोट्स भी हरिजनों को हमारी तरफ नहीं डालने देना चाहते हैं....।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

अभी आप रुक जाइये, मुजफ्फरनगर के बारे में जब मैं आऊंगा तो मैं उसको भी कहूंगा । आप धैर्य रखिये । मैं उसको भी लूंगा । गोविन्द सिंह एक हरिजन चौकीदार था माननीय रिजवी साहब के विभाग में, उसका कसूर इतना था

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासनिक विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

कि उसने एक सहायक अभियन्ता श्री आर0 के0 गोयल के खिलाफ जब वह थाना रामपुर में सरकारी माल को चुराकर बेच रहे थे, पकड़ा। इस कसूर पर उसका ट्रांसफर बाजपुर कर दिया गया और वहां पर भी जब उसने अपने सरकारी कर्तव्य का पालन करना जारी रखा और बाजपुर के एक अवर अभियन्ता को 19 कुन्तल लोहा एक कबाड़ी को 13-4-81 को बेचते हुए पकड़वाया तो उसको उसकी भारजा दी गई और उसकी सर्विस टर्मिनेट हो गई और जब उसने इस कार्यवाही के खिलाफ विरोध किया और अपने खिलाफ हुए अन्याय के लिए अनशन आदि किया तो उस पर जाकर कुछ हुआ और सम्बन्धित एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उस पर यह लिखा कि इनको सेवा में ले लिया जाए, क्योंकि इसने विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने की जुर्रत की थी। एक श्री बृजलाल हैं, आपके सीतापुर के, थाना मछरेहटा के 31-12-82 को सवर्ण जाति के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उसी तरह से एक कुन्दन सिंह हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर भी हैं। रेलवे से रिटायर होने के बाद उसने भूतपूर्व एक विधायक का मकान किराये पर ले लिया था। जब विधायक जी को पता चला कि यह अछूत लोगों में से हैं, तो 10-11 गुंडों ने उसका सामान घर से बाहर निकाल फेंक दिया, 26-1-83 को पूरे देश में जिस समय रविदास जयन्ती मनाई जा रही थी।

मान्यवर, इसे देखिये, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी तरह से श्री राम लाल जाटव, निवासी उदयपुर, अमरिया (पीलीभीत) के खेत से ग्राम प्रधान के लड़के ने लाही काट ली, आबंटित खेत से, जब लड़के को पकड़ कर प्रधान के पास ले जाया जा रहा था, तो देखा कि दारोगा जी, उसके घर दावत खा रहे थे। दारोगा ने गालियां दीं और मारा। सभापति-सलौन (रायबरेली) में जो भूमि चकबन्दी में, जो भूमि हरिजन आबादी को छोड़ी गयी है, उस पर प्रधान के लड़के ने कब्जा कर लिया है। वहां पर मकान बना रहा है। एस0 डी0 एम0 को प्रार्थना-पत्र दिया गया, लेकिन तहसीलदार जांच करने नहीं जा रहा है। इसी तरह से प्रेम राम, प्रधान, निवासी नगला सेमर, थाना कुरावली (मैनपुरी) जाति के धोबी हैं। उसको भी बेगार लेने में एक जाति विशेष के लोग सता रहे हैं। उसको वे लोग आकर गालियां दे रहे हैं। एक श्रीमन् और हैं। यह विदेशी हैं। हरिजन हैं। पुत्र राम प्रसाद, निवासी गढ़चम्पा, थाना मऊ आयमा (इलाहाबाद) के एस0 आई0 गंगाधर शुक्ला, छप्पर में उस एस0 आई0 ने आग लगा दिया। श्रीमन्, उस दिन 26 जनवरी, 1983 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर।

श्रीमन्, इसी तरह से एक सुक्खी पुत्र ज्वाला प्रसाद, निवासी मुड़ियाई, थाना बेला (इटावा) की आबंटित भूमि पर धान की फसल बोई हुई थी, जबरदस्ती काट ले गये। पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखी। रिपोर्ट डाक द्वारा एस0 एस0 पी0 को भेज दी गयी। मैं नहीं कहना चाहता हूं, आपने बहुत कहा कि आवास बना

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

रहे हैं । विकास खण्ड सरोजिनी नगर के ग्राम चन्द्रावल में हरिजन कालोनी बनी थी, 79-80 में बनी थी और आज वह धराशायी हो गयी । दो या तीन साल के अन्दर यह कैसे धराशायी हो गयी । यह हरिजनों की कालोनी है । श्रीमन्, एक है श्रीमती विद्यावती, पत्नी श्री रतीराम, थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर को गोली से मार कर हत्या कर दी गयी । श्रीमन्, उसकी शिकायत है कि जो हत्यारे हैं, वह सत्तापक्ष के विधायक मास्टर राम प्रसाद जी हैं, उनका समर्थन प्राप्त है । एक श्रीमन्, थाना बीघापुर (उन्नाव) के पुलिस सब-इन्सपेक्टर जोरा सिंह द्वारा हरिजन नेता श्री नन्द किशोर जो स्वर्गीय फिरोज गांधी के साथी थे, पुलिस ने उनकी पिटाई की और उनके सहयोगी श्री बाबू लाल को गोली मार कर हत्या कर दी । श्रीमन्, एक सबसे बड़ी चीज जो आती है 29-10-82 को उतरांव थाने (इलाहाबाद) की पुलिस····

(व्यवधान)

(श्री चेतराम गंगवार के बैठे-बैठे कुछ कहने पर, जो सुनाई नहीं पड़ा ।)

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप यह बतला दें माननीय चेतराम गंगवार को कि आगरा बड़ा है कि बरेली बड़ा है ?

(व्यवधान)

श्री लोकपति—

ये तो बरेली के हो हैं । आपको आगरा भेज दिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि गंगवार साहब को आप नियंत्रित करने की कोशिश करें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शोर न करें । शांति बनाये रखें ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी जब इलाहाबाद गये थे, उनको उसने प्रार्थना-पत्र दिया था। हो सकता है, उनके पास वह प्रति हो। मेरे पास उसकी प्रति है, श्रीमन्, दिनांक 29-10-82 को उतरांव थाना (इलाहाबाद) की पुलिस ग्राम भन्डौर से डांगर पासी, उसकी पत्नी सुकरी तथा उसकी जवान लड़की राजकली को पुलिस पकड़ कर ले गयी । श्रीमती सुकरी को थाना के सामने सड़क पर सैकड़ों लोगों के सामने नंगा करके मारा और बड़े दरोगा व रमाशंकर पांडे सिपाही ने उसके गुप्तांग में बन्दूक की नाल डाल दिया और मिर्चा भर दिया । मेरी जवान भतीजी को रात में रोके रहे

और उमाशंकर सिपाही थाना के पिछवाड़े खेत में उसे ले गया और उसके साथ बलात्कार किया ।

अब आप कीजिये हल्ला ।

मेरी भतीजी तब से लापता है पता लगा है कि छोटे दरोगा रघुवर दयाल उसको लेकर अपने घर चले गये हैं ।

श्रीमन्, आगे पत्र में है--मेरी जवान भतीजी को बरामद करायें । मुझे मेरी भतीजी वापस दिलायी जाये ।

श्री चेतराम गंगवार--

यह सब पता लगने की बात आप सारी सुविधाओं का उपयोग करते रहे ।

एक सदस्य--

दलबदलू फिर बोला ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मुझे इस दुखद घटना पर माननीय गंगवार के लिए कहना पड़ेगा कि शर्म करनी चाहिये । इतना अनियंत्रित नहीं होना चाहिये । वह भूल जाते हैं कि जब वहां के डाक्टरों ने उनको मारा था तो सदन में आंसुओं से रोये थे ।

एक सदस्य--

[×] पर मारा था ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जब [×] मारा था वहां के डाक्टरों ने, तब आंसुओं से रोये थे सदन में ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, सदन के बीच में आपके रहने के बावजूद भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किये जायं । दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है । एक माननीय नेता विरोधी दल द्वारा और एक शब्द जिन माननीय सदस्य ने इस्तेमाल किया है । मैं चाहता हूं कि अगर वह असंसदीय है तो कार्यवाही से निकालने की कृपा करें ।

नोट--[××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

देख लिया जायगा, अगर कोई गलत शब्द है तो निकाल दिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बागपत को माया त्यागी को याद दिलाना चाहता हूं।

श्री चेतराम गंगवार--

आपने मेरे बारे में क्या कहा है ?

श्री अधिष्ठाता--

गंगवार जी आप बैठें ।

श्री कुबेर भंडारी--

उन्होंने कहा है कि बरेली बड़ा है या आगरा ।

श्री चेतराम गंगवार--

आपने क्या कहा है ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये, सुनिये । दोबारा भाषण नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं याद दिलाना चाहता हूं बागपत की माया त्यागी के बारे में । दरोगा गौड़ ने पुनः मान्यवर, रामरती नाम की एक हरिजन महिला के साथ ...

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, अभी मेरा नाम माननीय नेता विरोधी दल ने लिया । मैंने किसी लोकदल के सदस्य को [×××] से नहीं मारा । यह मिथ्या भाषण है कार्यवाही से निकालने की कृपा करें ।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें)

मान्यवर, कार्यवाही से निकालने की कृपा करें । न तो चौधरी चरण सिंह को न माननीय राजेन्द्र सिंह को [×××] से मारा है ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

अधिष्ठाता महोदय, जब कल मुझे उत्तर देने का अवसर मिलेगा तो मैं उस प्रोसीडिंग को जरूर पढ़ना अपना कर्त्तव्य समझूंगा ताकि गंगवार साहब को वह याद दिला दूं जो उन्होंने इस बेंच पर बैठकर रोना रोया था । भूल गये होंगे, ऐसा हो जाता है, मैं याद दिला दूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि सी० आई० डी० की जांच, जस्टिस राय की रिपोर्ट आ चुकी है । परमिशन के लिए भेजा है । गौड़

नोट---[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डय विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्य 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासनिक विभाग, अनुदन संख्या 65--सतर्कता विभाग अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

के लिए आपके ऊपर शायद कोई राजनीतिक दबाव है, चूंकि गौड़ को राजनीतिक संरक्षण मिला था तो उसकी हिम्मत बढ़ गयी। शाहजहांपुर में जाकर उसने फिर जघन्य कृत्य किया। यह रिपोर्ट है फरवरी के 'प्रोब' में निकली है। मेरे पास भी व्यक्तिगत कम्पलेंट आयी है। अब श्रीमन, मैं रायबरेली के टेलीफोन उद्योग पर कहना चाहता हूं। इसमें कहना क्या है यह तो राजकुमारों और महारानियों की कांस्टीटुएंसी है। लेकिन एक बात जरूर देखने का प्रयास करें कि कर्मचारियों की साइकिलों को किसने जलाया, उन महिलाओं को एरेस्ट कब किया गया। 2-3 बिन्दु हैं। अगर यह हो कि महिलाओं ने किसी व्यापारी की दुकान से कुछ चुराया, तो उन्हें वहीं पकड़ लेना चाहिये, इतनी निग ह होनी चाहिये थी, लेकिन पुलिस ने पकड़ा रात को। उनको वहीं रखा भी गया। यह गलत है कि 3-4 महिलाओं को रात में वहां रखा गया, नहीं रखना चाहिये था, ऐसे आपके आदेश हैं। कर्मचारियों को चोटें कैसे आयीं, अधिकारियों को चोटें हुई हैं आप इसको देखें। श्रीमन्, यहां जो मैटर्स आ चुके हैं, उस पर मैं नहीं कहूंगा। फैजाबाद की पुलिस ने एक युवक श्री लाल बहादुर वर्मा को मिटटी का तेल डाल कर जलाया। फतेहपुर की एक आबूनगर पुलिस चौकी है, जिसके द्वारा निर्दोष युवक कल्लू सिंह को पुलिस ने जलाया, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। श्रीमन, इस सम्बन्ध में बहुत से मैटर्स हैं। एक बात और कहूंगा, खलील पुत्र गफूर खां, निवासी कदरकोट थाना एरवाकटरा को 30-1-83 को उसके पिता की ही उपस्थिति में, गोली मार दी गयी। जिन लोगों ने उसके बच्चे को गोली मारी, उसको उसने अपनी आंखों से देखा, गवाह भी हैं। बच्चे को गोली लगने के बाद जब वह भाग कर पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां देखता क्या है कि उसके बच्चे को मारने वाले लोग

(इस समय 4 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दरोगा के पास बैठे हुए हैं। उसने एस0 ओ0 को बताया कि इन्होंने मेरे बच्चे को गोली मारी है, तो उल्टे पुलिस ने उसको पीटा और वहां से भगा दिया। यह क्या है ? हमारा कर्त्तव्य है कि लोगों की सूचनाएं आपके सामने उजागर करूं, उन्हें यहां रखूं। इसी तरह से एक अशोक कुमार वत्रा, एम0 बी0 बी0 एस0 सेकेन्ड ईयर का छात्र है, 28-8-81 को मेडिकल कालेज आगरा से गायब हुआ, परन्तु आज तक पुलिस ने उसकी तलाश नहीं करायी। क्या हुआ है इसमें, मैं यह नहीं जानता। उसके पिता ने शासन के बार-बार दरवाजे खटखटाये, लेकिन उसको सांत्वना भी नहीं दी गयी। मैं आशा करता हूं, उन्हें सांत्वना मिलनी चाहिये थी। इसी तरह से एक लड़का है शिवकुमार, यह पेम्फलेट जो मेरे पास है मुख्य मंत्री जी, यह मैं आपके पास भेज दूंगा, श्रीमन, इस बच्चे को हरदुआगंज की पुलिस गलत केसों में फंसाना चाहती है, इसको उस बच्चे ने अपने फोटो और एड्रेस सहित छपवाया है मैं कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी आप इसको सी0 आई0 डी0 की जांच के लिए भेज दें तो आप कहेंगे कि सी0 आई0 डी0 की जांच की बहुत मांग आ रही है, हर आदमी सी0

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

आई० डी० को मांग करता है, तो यह तो आपके विचार करने की बात है। जब लोगों की पुलिस में अास्था नहीं आ रही, तो लोग निश्चित तौर पर सी० आई० डी० इन्क्वायरी की मांग करेंग। यह तो आपके विचार करने की बात है, इसको आप देखिये।

श्रीमन्, इसी तरह से एक मेरठ का मामला है श्री ब्रह्म दत्त शर्मा के बारे में। श्रीमन्, यह अशोक विद्यालय इन्टर कालेज, कमालगुड़, मेरठ के प्रिंसिपल थे, अभी उनकी हत्या हुई, इसमें जो चीज है, जो सत्यता है, उसको मैं पेश करूंगा। मान्यवर, उस प्रिंसिपल ने रिपीटेडली, लगातार दसियों लेटर्स थाना विनौली की पुलिस को लिखे कि यहां के कुछ असामाजिक तत्व इस कालेज को क्षति पहुंचाना चाहते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, मुझे इनसे शंका है, मुझे पुलिस संरक्षण दिया जाय, रिपीटेडली लेटर्स भेजे 1-2 नहीं, 4-6 लेटर्स भेजे और मुख्य मंत्री जी उन्होंने आपको भी एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 5 मिनट कहीं समय देने के लिए निवेदन किया था, ताकि वे अपनी बात आपसे बता सकें, आप दिखवा लें, वह पत्र आपके कार्यालय में होग। एस० पी०, डी० एम० सबको उन्होंने लिखा। बार-बार शिकायत करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। वहां के प्रिन्सिपल ने यह लिखा कि श्री चन्द्र सिंह, विधायक, खेखड़ा (मेरठ) की छत्रछाया में यह सब कुछ हो रहा है।

(व्यवधान)

उनके साथ एक व्यक्ति रायफल लिए घूमता है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता, विरोधी दल, अभी कितना समय और लेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, अभी एक घंटा और।

श्री अध्यक्ष--

यह माना कि आपको अधिकार है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, पर आप स्वयं विचार कर लें।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, कब तक हम धैर्य रखें? उसका भी तो पुरस्कार मिलना चाहिये...

(व्यवधान)

एक सदस्य---

अभी माननीय नेता, विरोधी दल ने एक माननीय सदस्य चन्द्र सिंह का नाम लिया। मेरठ की पुलिस ने इस सम्बन्ध में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर

लिया है, उसे भी आप कृपया पढ़ लें । उन माननीय सदस्य का [×××] नाम आप ले रहे हैं [×××], लांछन लगा रहे हैं ।

श्री हरदेव--

विशेषाधिकार का प्रश्न इससे बनता है । इनका काम ही [×××]...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य को [×××] शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मेरी सूचना यह है, अगर गलत होगी तो मैं उसके लिए सदन में खेद व्यक्त कर सकता हूं । पर मेरी सूचना यह है ।

(व्यवधान)

एक और मामला अलीगढ़ जनपद का है । 3 विधायक इधर से और 7 सत्ता पक्ष से आते हैं और वे लोग उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले भी हैं । सांसद सदस्य भी उनसे मिले हैं । वह मामला यह है कि आपके दल के (कांग्रेस-आई) श्री मनवीर सिंह जो किसान रैली के मंत्री हैं, उनको अलीगढ़ के एस0 एस0 पी0 से पहले गहरी दोस्ती थी और बहुत उठना बैठना था । बाद में उनका उनसे किसी बात पर झगड़ा हो गया । एस0 एस0 पी0 ने उनके आर्म्स को सस्पेंड करने का नोटिस दे दिया नाराजगी के कारण । इस पर श्री मनवीर सिंह हाई कोर्ट से स्टे ले आये । उनका एलीगेशन यह है कि एस0 एस0 पी0 ने उसकी कार को 33 हजार रुपये में खरीदा । पहले उन्होंने उस कार को अपने ड्राइवर के नाम ट्रान्सफर कराया, फिर उसके बाद उसी कार को अपने लड़के के नाम ट्रान्सफर करवा लिया । यह इन्डायरेक्ट ट्रान्सफर हुआ । श्री मनवीर सिंह का कहना यह है कि एस0 एस0 पी0 ने पैसा नहीं दिया और जब उन्होंने पैसा मांगा तो उनको गलत फंसाने का प्रयत्न किया । आप इसकी जांच करवा लीजिये यह फ्राड ट्रान्जेक्शन है । श्रीमन्, 364 का केस उसके खिलाफ लगाया गया और तीन दिन के अन्दर एफ0 आई0 आर0 कोर्ट में पेश हो गई । मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है आपकी

नोट--×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

पुलिस इतनी इफीशियेन्ट है कि 3 दिन के अन्दर पेश कर दिया। लेकिन चूंकि वह व्यक्ति उधर से सम्बन्धित है, मैं भी गया था माननीय मुख्य मंत्री जी ने सी0 आई0 डी की जांच के आदेश कर दिये। मान्यवर, वह व्यक्ति जिसने यह कार्य कराया नरेन्द्र सिंह की हत्या करवाई फर्जी एकाउन्टर हुआ सबूत है सी0 आई0 डी0 ने आपको लिखा है कि उस व्यक्ति का ट्रान्सफर कर दिया जाय वरना सही इंक्वायरी नहीं हो पायेगी। श्रीमन्, मैंने तो कार नम्बर दिया था कि इस नम्बर की कार को पंजाब भेजकर वहां से एक व्यक्ति को बुलाया और नरेन्द्र सिंह के साथ उसको गोली मार दी। टेलीग्राम मौजूद है। लेकिन आप तो प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं कि हम ट्रान्सफर नहीं करेंगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ आपके ही लोगों का रहा है जो बार-बार कह रहे हैं कि उनके जीवन को खतरा है।

श्रीमन् इसी की एक शिकायत कराई गई एक विडआइफ है कमलेश कुमारी से और उसमें गवाह बनाया योगेन्द्र सिंह, अर्राना, यह खैर के रहने वाले हैं और दूसरा गवाह बनाया मो0 रफीक को जो पुलिस पाकेट गवाह है इसने करीब 20 केसों में पुलिस का गवाही दी होगी। यह पाकेट विटनेस है। श्रीमन्, पुलिस 164 में गवाही कराती है। जबकि योगेन्द्र और रफीक कोई वहां नहीं थे। एक दलाल जो पुलिस के नियंत्रण में या खैर का रहने वाला है उसने यह कहा कि यह हमारे व्यक्ति है हम जो कहेंगे वही गवाही देगा। उसने कहा मैंने ऐसा-ऐसा देखा। लेकिन किसी तरह से वह व्यक्ति कोर्ट में एफीडेविट देने के लिए पहुंच गया और उसने एफीडेविट दिया कि मैंने न कोई एफ0 आई0 आर0 लिखाई है और न कोई बयान 164 का दिया है। कागजात सील कर लिये गये हैं नहीं तो पुलिस उसको गायब कर देती। उस पर उसके दस्तखत मौजूद हैं। एफ0 आई0 आर0 में निशानी अंगूठा मौजूद है और गवाही में निशानी अंगूठा मौजूद है। एफीडेविट में दस्तखत आया है। इस प्रकार से आप ही इस प्रशासन के गलत लोगों द्वारा अपने लोगों को फंसा रहे हैं।

श्रीमन्, अब मैं वह बात कह रहा हूं जिसके लिये माननीय सदस्य मुजफ्फर-नगर चिन्तित थे। इन्हीं के कांग्रेसी कार्यकर्ता करन सिंह की मृत्यु पर इस सदन में चर्चा हुई थी रिपोर्ट गवाह है। उसमें इस पक्ष के माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री पर एलीगेशन लगाया था। प्रेस में निकला मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा। दूसरी तरफ नकली सिंह और गौतम सिंह हलौत..ग

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल जी, इसके सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो चुकी है और आपस में बात हो सकती है...

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैंने कहा श्रीमन्, चर्चा हो चुकी है। मैं केवल रेफरेंस दे रहा हूं। दो ऐसे मंत्री हैं इसी तरह से। पंचायत राज मंत्री हैं श्री बलराम सिंह यादव, उनके ऊपर भी मुलायम सिंह जी ने एलीगेशन लगाये हैं और वे मुलायम सिंह जी पर लगा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब इतने भ्रष्टाचार के एलीगेशन हों तो क्या बुराई है। नस्सर साहब और यशपाल सिंह को निकाल दिया तो क्यों नहीं इन दोनों व्यक्तियों को निकाल कर, दोनों पक्षों की जांच करा दें। विद्याभूषण, नकली सिंह, गहलौत, सोमांश प्रकाश और मुलायम सिंह जी की। राजनीतिक जीवन में स्वच्छता लाने के लिए अगर आप कृतसंकल्प हैं तो जहां एलीगेशन और काउन्टर एलीगेशन हों, तो एकदम उस पर कार्यवाही करनी चाहिये।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति, विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासनिक विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79- सैनिक कल्याण विभाग

पुलिस के बारे में कुछ कारण देना चाहूंगा कि क्यों ऐसी शिथिलता है और सुझाव भी दूंगा । क्यों सिविल सेवा की अपेक्षा इनमें कुण्ठा और अकर्मण्यता रहती है ? जो सिविल सेवा के लोग हैं और पुलिस सेवा के हैं, प्रमोशन के अवसरों में बहुत बड़ा गैप है । जूनियर व्यक्ति कलेक्टर बन कर आता है और सीनियर व्यक्ति एस0 एस0 पी0, इसलिए उनके अन्दर कुण्ठा रहती है । जिले की कानून व्यवस्था में जिलाधीश का अपर हाथ होता है और थानाध्यक्ष की नियुक्ति भी उसकी राय से होती है । पुलिस सेवा और सिविल सेवा के लोगों के प्रमोशन में बड़ा अन्तर है । सिविल सेवा के लोग पुलिस सेवा के लोगों को डील करते हैं । इसलिए भी उनमें कुण्ठा बनी रहती है । इसके चार-पांच उदाहरण हैं--श्री केवल रमानी, प्रमोशन में, गिरीश बिहारी माथुर कहीं कोई कलेक्टर और एस0 पी0 का झगड़ा हो गया था, जब कलेक्टर यहां पर आ गया तो प्रमोशन नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

हाई कोर्ट को प्रमोशन करना पड़ा, कुण्ठा का विषय है । काली शंकर त्रिपाठी और पीयूष चन्द कक्कड़ । रिपोर्ट शासन को दी । प्रेशर डाला, प्रमोशन के लिए । नहीं बदला । जो जानबूझ कर इनके साथ प्रमोशन में ऐसा किया जा रहा है । आई0 ए0 एस0 और पुलिस सेवा के बाद, प्रान्तीय सेवा में भी उसी तरह का अन्तर है । प्रान्तीय पुलिस सेवा में जो अधिकारी आते हैं और प्रान्तीय सिविल सेवा में जो अधिकारी आते हैं उनके ग्रेड्स में अन्तर है । ऐसा नहीं होना चाहिये । जब आप कहते हैं और वे आते हैं समान कार्य के लिए, तो वेतन भी उनको समान मिलना चाहिए । अब मैं सुझाव देता हूं । जिले के प्रशासन को 3 भागों में बांटने पर सोचें । मालगुजारी की वसूली, कानून व्यवस्था और तीसरा है विकास कार्य । आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 को बराबर पदोन्नति होनी चाहिए । गृह सचिव, आई0 पी0 एस0 कैडर बनाने की सोचें । थाना इन्चार्ज कृपा पर बनते हैं । उनके लिए चयन समिति बनाते । चयन समिति के माध्यम से एस0 ओ0

(4 बजकर 35 मिनट)

कैडर पर सेलेक्शन किया जाये । आप कहेंगे कि उन पर कंट्रोल नहीं होगा । पोस्टिंग का अधिकारी एस0 एस0 पी0, ऐक्शन लेने का अधिकारी एस0 एस0 पी0 होगा । लेकिन ऐसा नहीं होता । आज एस0 ओ0 इन्चार्ज है तो कल एस0 आई0 । हमारा एलीगेशन है कि थाने बिकते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा, साफ तौर पर, आई0 जी0 को बुलाकर पूंछ लें । डी0 जी0 अलीगढ़ गये थे, तो हमारे विधायक बैठे हैं, बाबू सिंह यादव, डी0 जी0 से एस0 एस0 पी0 के सामने कहा कि अलीगढ़ में थाने बिकते हैं । डी0 जी0 ने एस0 एस0 पी0 को बुलाकर क्यों

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

जानकारी नहीं की । हम किससे कहने जायें । निरीक्षक, उप-निरीक्षक, सहायक निरीक्षक की चरित्र पंजिका में जो प्रविष्टियां करते हैं उनमें यह आना चाहिए कि जाता के साथ उनका व्यवहार कैसा है । डीलिंग विद दि पब्लिक के बारे में होना चाहिए । एस0 आई0 को हम लोगों से काम पड़ता है । उनकी भर्ती के समय बुद्धि की क्षमता पर ध्यान न देकर शारीरिक क्षमता पर अधिक ध्यान देना चाहिए । आफीसर्स में जो रैंक होता है उसमें काफी गैप होता है । एस0 पी0 अन्दर बैठा है, डी0 एस0 पी0 या किसी बराबर के अधिकारी से बात कर रहा है । ए0 एस0 पी0 आ जाये तो बाहर बैठेगा, वह बुलायेंगे नहीं । सिविल सर्विस में यह बात बड़ी नहीं है । मोहब्बत है उनमें । एक के बारे में कोई बात होगी, सभी मिल कर हल करते हैं, निर्णय लेते हैं । तो यह जो रैंक आफ फाइल में अन्तर है, यह कम होना चाहिए । मकानों पर कब्जा करने का कार्य जोरों पर चल रहा है । पहले बन्द हो गया था, फिर शुरू हो गया ।

म इतना कहूंगा कि कुछ असामाजिक तत्वों के माध्यम से रात में जाकर मकानों पर कब्जा होता है । पुलिस देखती रहती है । उसमें संरक्षण आप लोगों का होता है । सचिवालय प्रशासन की बात है । एक कांड हुआ । जो चपरासी अप्वाइंट हो गये । एडहाक बेसिक पर, अधिकारी के यहां काम करते हैं । उनके बच्चे, नाते, रिश्तेदार सब एडहाक बेसिस पर डेलीवेजेज पर लग जायेंगे । धीरे-धीरे एडजस्ट होंगे । कभी खुले तौर पर, ओपेन सेलेक्शन नहीं होगा । यही कारण है कि तादात बढ़ती जा रही है और काम कुछ नहीं । काम न होने पर भी एडहाक अप्वाइंट कराकर रेगुलर करेंगे । अभी केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री आये थे कानपुर में, मकवाना साहब । उन्होंने वक्तव्य दिया प्रेस के अन्दर । उन्होंने कहा कि गरीब जनता विशेषकर पिछड़ा वर्ग तथा हरिजनों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है । अभी देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी इलाहाबाद गई थीं पशु मेले का उद्घाटन करने । मुख्य मंत्री, पशुधन विकास मंत्री तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी साथ थे । टी0 बी0 पर मैंने कल उनकी यात्रा की रिपोर्ट देखी । उनके भाषण से जो उन्होंने कहा, दो चीजें पकड़ी । हमारी प्रधान मंत्री ने कहा कि देश में अनाज का उत्पादन बहुत बढ़ गया है, हम आत्म निर्भर हैं । यह उनका सेन्टेन्स है आपके पास डाक्यूमेन्टरी के रूप में होगा आप उसे देख लें । दूसरा उन्होंने कहा था कि मेले में अच्छे पशु आये थे पंजाब और हरियाणा से । हर बच्चे को मक्खन मिले । मान्यवर, मैं उनकी मानसिकता समझता हूं क्योंकि जिस परिवार से और वातावरण से वह आयी हैं, उनको मक्खन बहुत सुहाता है । जिस देश में आज 50 फीसदी बच्चों को भोजन नसीब नहीं होता है ।

(व्यवधान)

हम इस चीज के लिए सहमत हैं और आप इस चीज के लिए हमसे कनसेन्ट लें, हम उसमें पार्टीसिपेशन करेंगे क्योंकि यह एक राष्ट्रीय हित की योजना है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर देश की प्रधान मंत्री को वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है तो बड़ी परेशानी होती है । मान्यवर, दूसरी बात मैं इकोनोमिक कन्डीशन के बारे में कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

संख्या 8––कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16––गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17––गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23––नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24––नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25––नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36––प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37––प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55––विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64––सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65––सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69––सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70––सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा तथा अनुदान संख्या 79––सैनिक कल्याण विभाग

श्री हरदेव––

मान्यवर, वह तो मां हैं, सबका दुखदर्द समझती हैं । आप पीर–पराई को क्या समझेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह––

मान्यवर, मैंने उनके लिए कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहे हैं । एक लेखक ने कहा है इकानामिक कन्डीशन के बारे में––"इन्डिया इज नाट ए डेवलपिंग कन्ट्री, इट इज ए हाइली डेवलैप्ड कन्ट्री इन ऐन एडवान्स स्टेट आफ डीके ।" यह एक डेवलैप्ड कन्ट्री नहीं है बल्कि गिरावट की ओर अग्रसर है ।

मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूज्य राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने कहा है––"गांधी जी ने स्वतंत्रता को हर आंसू पोछने को सुअवसर माना था ।" उनका कहना था कि हमें आजाद होने के बाद हर गरीब के आंखों से आंसुओं को पोछने का अवसर मिलेगा और उस समय हमारे प्रधान मंत्री जो स्वर्गीय श्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने यह घोषणा की थी, जब आधी रात के पूर्व हमारा देश आजाद होने जा रहा था, जिसको मैं यहां पढ़ना चाहता हूं––

> "कई वर्ष हुए जब हमने भाग्य के साथ सौदा किया था और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे चाहे वह पूर्णतया अथवा समग्र रूप में न हो किन्तु वह वास्तविक रूप में होगी। ठीक आधी रात के समय जब संसार सो रहा होगा उस समय भारत जीवन तथा स्वतंत्रता लेकर जागेगा । एक क्षण आता है लेकिन इतिहास में वह विरला क्षण होता है जब हम पुरातन से निकलकर नवीन जीवन पाते हैं । एक युग का अन्त होता है । और जब काफी समय से दलित राष्ट्र की आत्मा को वाणी मिलती है । यह उचित है कि ऐसे भव्य क्षण में हम भारत और देश के लोगों की सेवा में समर्पित होने की प्रतिज्ञा की घोषणा करें और इससे भी महान उद्देश्य यह है कि हम मानवता के प्रति सेवा का व्रत लें ।"

मान्यवर, मैं स्वयं चाहता हूं कि आज पुनः उस संकल्प को लेकर हम चलें तो शायद तभी हम प्रगति कर पायेंगे और यदि महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते से विचलित और पथ–भ्रष्ट होंगे तो हम बिल्कुल भी उन्नति नहीं कर सकते हैं । आप भी उसे पढ़ें और संकल्प लें । मैंने तो संकल्प बर्ड का यूज किया था जो 14 अगस्त, 1947 को पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा था ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

मान्यवर, प्रदेश में हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें रिसर्च 60 परसेंट सब-स्टैन्डर्ड हो रही है उस पर आप विशेष ध्यान दें और प्रयास करें कि अच्छा से अच्छा वैज्ञानिक वहां पर बिठायें और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च हेतु विशेष जोर दें। लांछन लगाने से काम चलने वाला नहीं है।

मान्यवर, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करें। जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे टिहरी के प्रोजक्ट को आप ले लीजिए, ठेकेदार लेबर बिहार से लाता है और इस प्रकार लेबर बाहर से आता है। हमारे प्रदेश के लेबर को नौकरी नहीं मिलती। बाहर के प्रदेश के लोगों को कम मजदूरी पर लगा कर काम कराते हैं। तमिलनाडु में इस तरह से काम किया गया है, वहां पर लैंड डिपार्टमेन्ट है। हर जिले में दो-दो, तीन-तीन हजार आदमियों की भर्ती कर लीजिए। उसी के माध्यम से जितने डेवलपमेंट के कार्य हैं-नहर की खुदाई है, पुल का बनवाना है। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके साधारण आदमी को नौकरी देने का प्रयास किया जाय। एक राम गंगा योजना विभाग ने बनायी थी, रामगंगा डैम बन रहा था, विभाग ने बनवाया या लेबर रखकर, उसमें कुछ कठिनायी आयी। अधिकारी अपनी परेशानी से बचने के लिए तथा लेबर से डील न करना पड़े, इस कारण ठेके पर काम कराते हैं। होता क्या है ठेके में अधिकारी कमीशन ले लेता है ठेकेदार से और जब आप अपना लेबर रखकर काम करायेंगे तो सीमेन्ट और लोहे का बटवारा अधिकारी नहीं कर पायेगा।

कैदियों की छूट के बारे में--दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक हैबीचुअल और दूसरे कंजुअल। बहुत से ऐसे होते हैं कि किसी विद्यालय में लेक्चरर हैं या कुछ हैं, कहीं प्रोवोकेशन में कुछ कर दिया, बाद में अपनी भूल मानते हैं, पछता रहे हैं, लेकिन जेल में पड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप रिपोर्ट मंगाते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि प्रोवोकेशन आफेन्स है, लेकिन अगर वह अपनी भूल मानते हैं, तो आपको उन्हें छोड़ने पर विचार करना चाहिये क्योंकि जेलों में भी जगह की कमी है।

इन्सेन्टिव वैजिटेबिल प्रोग्राम के अन्तर्गत जितने बड़े शहर हैं, वहां इस प्रोग्राम को चलवाइये। बंगलौर में जाकर एक प्राइवेट आदमी के फार्म को देख लें कितना डेवलपमेंट किया है। आपके डिपार्टमेंट में पौधे भी आये हैं। इससे कन्ज्यूमर को सस्ते दर पर मिलेगा और किसानों को भी लाभ मिलेगा।

मंडी समिति के बारे में कहना चाहता हूं। आपने समय लिया, कुछ भी कीजिए लेकिन जन प्रतिनिधियों को मंडी समिति में लाइये। आप नामीनेट कर दीजिए लेकिन जन प्रतिनिधि लाइये। मैं क्यों कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि फीगर्स देख लीजिये जो आपने नामीनेट किया और हमने नामीनेट किया, प्रदेश की मंडियों की इनकम बढ़ी होगी। आखिर जन प्रतिनिधि हम काहे के लिए हैं। जन-प्रतिनिधियों को बैठा लिए।

विदेशों में हमारे देश की साख हैण्ड्रीक्राफ्ट्स ने जमा रखी है। इसमें काम बहुत है। मैं मानता हूं कि प्रयास हो रहा है, लेकिन प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, इसमें लेबर लगती है। जो कला पीछे छूट गयी है, उसे पुनः-जीवित करें।

आल इण्डिया पशु प्रदर्शनी के बारे में कहना चाहता हूं कि आपके यहां भी अच्छी नस्लों की भैंस और बकरी (बर्बरी) हैं, जिनकी ब्रीड्स धीरे-धीरे नष्ट हो

रहो हैं । जो ट्रेडीशनल क्रीडन हैं, उनको प्रिजर्व करिये। एक आपका महाविद्यालय है । मथुरा पशु महाविद्यालय । सिवाय डाक्टरों के पैदा करने के और कोई काम नहीं करता है । इन बातों की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में इस ओर प्रगति हो तो इस दिशा में अवश्य ध्यान दिया जाये ।

श्रीमन, गन्ने के बारे में पहले भी काफी डिस्कस हुआ, मैं इस दिशा में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । वैसे गन्ना प्रदेश की कैश क्राप है । शाहजहांपुर का इंस्टीट्यूट केन रिसर्च आफ वैराइटी नहीं, मैं समझता हूं कि आज न वहां डायरेक्टर है और न कोई काबिल अन्य अधिकारी है, इसलिए इसका जो फंक्शन होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिये । श्रीमन्, आई० आर० डी० पी० तथा अन्य योजनाओं जिनके अन्तर्गत बैंकों से किसानों को ऋण सुविधा प्राप्त है इसमें मेरा स्पष्ट सुझाव है कि जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी खंड स्तर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धित सभी विभागीय बैठकें अपने तत्वाधान में निश्चित समय से कराकर ऋण दिलाने का सरल प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि किसानों को इस ओर राहत मिले । ताकि बाद में जो ब्लाक स्तर पर शिकायतें आती हैं, फिर उन्हें समय लगता है । जितनी शिक्षण संस्थायें हैं, उनमें यूनियनबाजी को बालेन्ट्री किया जाए । दूसरे जितनी भी शिक्षा संस्थायें हैं उनमें राजनैतिक लोगों के घुस जाने से शिक्षा के स्तर पर काफी असर पड़ा है, इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए। फिर आइये ट्रांसपोर्ट परमिट की तरफ। इसमें भी बड़ा भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है । आज श्रीमन, ट्रक और बसों के परमिट की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं । बाई मैटर आफ राइट यह परमिट इश्यू नहीं किए जाते । दूसरे श्रीमन बसों व ट्रकों के परमिटों का ट्रांसफर सिर्फ उनके वारिसों के नाम होना चाहिये आज ऐसा न होकर दिल्ली में देखिये ऐसे परमिटों की कीमत 7-7 लाख व 8 8 लाख पर ब्लैक चल रही है । तो इसकी ओर आप देखें और इसे समाप्त करने के प्रयास करें यह बहुत बड़ा ओपेन भ्रष्टाचार है । तो मान्यवर, मेरा सुझाव है कि ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित विभिन्न टैक्सेज को एक देना चाहिए, जिसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आश्वासन के रूप में दिया गया है ।

श्रीमन् भूमि वितरण के मामलों को देखिये जिसमें भी बेशुमार गड़बड़ियां आज देखने को मिल रही हैं । जिला ललितपुर के ग्राम गोविन्दपुर में 20 हजार एकड़ भूमि पर सैकड़ों फर्जी नाम दर्ज हैं । यह फार्म एक आदमी का है लेकिन सैकड़ों नाम फर्जी उसमें दिखाये गये हैं । इसी तरह और भी तमाम मामले यदि आप छानबीन करना चाहें तो मिलेंगे । इसी तरह पीलीभीत में आप देखिए चंचल

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

सिंह फार्म, ग्राम धांवा में राजा अजीत प्रताप सिंह के केप्टाईफ के पुत्र के नाम से हैं । उनके पास 104 बीघा जमीन फर्जी नामों से है इसे मान्यवर, भूतपूर्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद जी अच्छी तरह से जानते होंगे अगर यहां मौजूद होंगे । इसी प्रकार श्रीमन्, लखनऊ चिनहट के पास भी एक गांव है, वहां पर आधिपत्य हमारे एक साथी त्रिपाठी हैं सत्ता पक्ष में, उनके रिश्तेदारों का बना हुआ है । और त्रिपाठी जी का, मैंने देखा नहीं है, सुना है कि मिर्जापुर में इनका पांच हजार एकड़ का फार्म है ।

श्री लोकपति---

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने एक किस्सा हातिमताई का शुरू किया हैं और लगता है कि उसका अन्त शायद वे मेरे ऊपर करना चाहते हैं मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास 5,000 एकड़ भूमि का फार्म है तो मैं नेता विरोधी दल को बुला रहा हूं कि वह आकर स्वयं देखें कि यह बात कितनी सच है । यह बात कई बार विधान सभा में आ चुकी है । 1974 में मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट आयी, उस समय भी इस बात पर विचार किया गया । मैंने सदन में उस समय भी कहा कि मंगलदेव जो उस स्थान पर गये ही नहीं थे जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है । मान्यवर, जमीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसे कहीं गाड़ दिया जाय या छिपा लिया जाय । माननीय नेता विरोधी दल जाकर स्वयं जांच कर लें, यदि जमीन है, तो मुझे जो सजा चाहें दे दें और यदि जमीन नहीं है तो वे अपनी बात को वापस ले लें ।

श्री राजेन्द सिंह---

मान्यवर, मैं बार-बार इस बात को कहता हूं कि मेरी सूचना मंगलदेव कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है और मैंने यह बात सुनी है, देखी नहीं । अब माननीय त्रिपाठी जी की बात को सुनकर मैं मानता हूं कि नहीं होगी ।

की लोकपति---

मैं आपका आभारी हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मंगलदेव कमेटी की रिपोर्ट आयी, उसमें यदि कुछ खामियां हैं तो आप दूसरी कमेटी बना दीजिए ताकि वह अपनी रिपोर्ट दे । लेकिन जब तक मंगलदेव कमेटी की रिपोर्ट सामने है, हम उसे पढ़ते हैं और गलतफहमी होती है ।

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि आपको जैसे-जैसे जमीन उपलब्ध होती है चाहे सीलिंग से या और किसी प्रकार से उस पर गट्ठे लगवाने का प्रबन्ध कीजिए जिससे कम से कम 300 आदमियों को रोजगार मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल, कितना समय और लेंगे आप ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मुश्किल से बस दो या तीन मिनट । इसमें कोई ऐसा सुझाव नहीं है जो कि आपकी भावनाओं के विपरीत हो । यदि कोई ऐसी बात होगी तो मैं उसके लिये क्षमा मांग लूंगा । गबन के केसेज दबा दिये जाते हैं और प्रमोशन्स

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

हो जाते हैं। आप इसके लिये एक सेल बना दीजिये जो कि 6 महीने में इस बात को स्क्रूटनी करके आपको दे दे जिससे कि आपको सारे तथ्यों का आभास हो जाय। जिन अधिकारियों के विरुद्ध गबन या भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हों उन्हें प्रमोशन नहीं मिलना चाहिये।

इसी प्रकार से प्रान्तीय सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों को वेटेज मिलना चाहिये क्योंकि आपके देहात के बच्चे की शिक्षा-दीक्षा उस प्रकार की नहीं होती है जैसी कि यहां के बच्चों की होती है इसलिये वे इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। अतः उन्हें वेटेज दिया जाना चाहिये।

विकास योजनाओं में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बड़ी होना चाहिये जिस पर कि सरकार स्टाम्प ड्यूटी लेती है। आप उसी स्टैन्डर्ड को मान कर चेक काटिये और दे दीजिये। चकबन्दी कानून में संशोधन की बात तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कह ही दी है। मैं चाहूंगा कि इस में कोई बात आनी चाहिए। कर्मचारियों में समर्पण की भावना नहीं है, उन में ऐसा वातावरण हो कि उनमें समर्पण की भावना आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने सेवक से अधिकारी बना दिया। ग्राम सेवक था, अब ग्राम विकास अधिकारी कर दिया, पंचायत सेवक था अब उसको पंचायत विकास अधिकारी कर दिया है। पशु चिकित्सक है वह एक टेकनिकल आदमी होता है उसको पशुधन विकास अधिकारी कर दिया। मान्यवर, आप इस बीमारी को रोकिए और इस प्रथा को तोड़िए। आप सेवक की भावना को लाइये।

एक सदस्य--

आपने ही तो पटवारी से लेखपाल किया है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं नहीं कहता कि मुझसे गलतियां नहीं हुई। आप इनको कहें। मान्यवर, आपकी बेसिक शिक्षा बहुत ही बिगड़ गयी है।

श्री भीखा लाल--

मेरा प्रस्ताव है कि नेता विरोधी दल बोल रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि उनका भाषण टुकड़ों में न हो।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करने वाले हैं।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

मैं उनकी भावन को समझ रहा हूं । मुझसे गलती हुई । मैं उनसे क्षमा मांगूंगा मुझे इस का दुख है । जो बेसिक शिक्षा है उसको आप जिला परिषद् को दे दीजिए । जन साधारण की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए । एक मैप बन्ड होना चाहिए । लोगों की भावना हो गयी है कि बिना मंत्री के कहे या लिखे बगैर कोई काम होने वाला नहीं है । अगर आप गौर करें और आप कोई स्टैन्डर्ड बनायें तो जितनी भी शिकायतें ब्लाक से आती हैं उन पर आप एक्शन लीजिए तो जनता में आपके प्रति भावना बनेगी । यह काम हैं जिले के । जिले पर उनके निराकरण की व्यवस्था होनी चाहिये । जिलाधिकारी बैठे हैं लेकिन काम नहीं होता है । बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए आप 55 वर्ष के बाद ही रिटायरमेंट दे दीजिये, बहुत से टेलेन्ट बाहर पड़े हुये हैं । इन शब्दों के साथ में आप से क्षमा चाहता हूं कि मैंने अधिक समय लिया ।

(श्री प्रियदर्शी जेतली का नाम पुकारे जाने तथा उनके खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपका भाषण कल जारी रहेगा ।

श्री मुख्तार अनीस, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री लटूरी सिंह एवं श्री रेवती रमण सिंह के दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि सर्वश्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर) श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी) श्री लटूरी सिंह (जिला एटा) एवं श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद) जो कि सदन में निर्दलीय सदस्य के रूप में कार्य करते थे, अब जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है । तद्नुसार उपर्युक्त चारों माननीय सदस्यों को अब जनता पार्टी के सदस्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है ।

उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना यह है कि उपाध्यक्ष विधान सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में सदन द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 1983 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मुझे माह मार्च, 1983 के द्वितीय सप्ताह में उक्त निर्वाचन हेतु कोई तिथि निर्धारित की है । अतः उक्त निर्वाचन अब सोमवार 14 मार्च, 1983 को प्रश्नोत्तर काल के बाद होगा । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्र नियमानुसार रविवार, दिनांक 13 मार्च, 1983 को मध्यान्ह 12 बजे से पहले सचिव, विधान सभा को दिये जा सकते हैं । नाम निर्देशन-पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक से भेजा जायेगा ।

अब तक प्राप्त नाम-निर्देशन निरस्त समझे जायेंगे ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुईं । एक श्री बुद्धपाल सिंह की बुलन्द शहर स्थित उद्योगों में पुरानी और नई फैक्ट्री इकाइयों में कोयला आवंटन सम्बन्धी नीति में भेदभाव के सम्बन्ध में दूसरी व तीसरी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री प्रदीप कुमार यादव की लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में । चौथी श्री गौरी शंकर भैय्या की महमूदाबाद, सीतापुर के राजकीय महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में । पांचवी श्री सरदार सिंह की मांट ब्रांच गंगा नहर, मथुरा में कुछ ब्लाकों में पानी न जाने के सम्बन्ध में तथा इसी तरफ की श्री कन्हैया लाल की भी सूचना है । छठी तथा सातवीं श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री किरन पाल सिंह की है जो कि उन्होंने ऐनेक्सी में हुये पुलिस तथा सचिवालय के गार्डों में मारपीट के सम्बन्ध में दी है । इन सबको मैंने नियम 51 के अन्तर्गत श्री बुद्धि पाल सिंह की सूचना के अलावा, अस्वीकार कर दिया है । श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है । श्री सरदार सिंह तथा श्री कन्हैया लाल की सूचना पर चर्चा आगे लगी हुई है तथा श्री रेवती रमण सिंह एवं किरन पाल सिंह की सूचनाओं पर दिनांक 25 फरवरी, 1983 को वक्तव्य हो चुका है । श्री बुद्ध पाल सिंह की सूचना नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई है । संसदीय कार्य मन्त्री, इस पर कब वक्तव्य हो सकेगा ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, 7/8 मार्च के लिये रख दें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है । अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
28 फरवरी, 1983

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1208 पर)

तिलहन अथवा दलहनी फसलों के बीजों का विधायन की तिथि :

क्रम सं0	बीज का नाम	बीज की श्रेणी	प्रोसेसिंग की तिथि प्रारम्भ	अन्त	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	तिलहन	जनक/आधारीय प्रमाणित	27-9-82	7-10-82	
2	दलहन	जनक/आधारीय प्रमाणित	30-9-82	31-10-82	

राष्ट्रीय बीज निगम, कानपुर को आपूर्ति की तिथियां

क्रम सं0	बीज का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा आवंटन का दिनांक	राष्ट्रीय बीज निगम कानपुर को बीजों को उठाने हेतु वि0 वि0 द्वारा जारी किये गये स्मरण पत्र की तिथि	रा0 बीज निगम, कानपुर द्वारा बीजों को उठाने की तिथि	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1	तिलहन एवं दलहन	(1) 3-9-82	11-10-82	13-10-82	
		(2) 22-9-82	12-10-82	13-10-82	

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1230 पर।)

गोरखपुर इकाई संलग्नक(1)

वर्ष 1981-82 में प्रभावीकरण के लिए पंजीकृत उत्पादकों एवं क्षेत्रफल का विवरण

क्रम-सं0	विभाग उत्पादक का नाम	मौसम	पंजीकृत प्रक्षेत्रों उत्पादकों की संख्या	पंजीकृत क्षेत्रफल (हे0 में)
1	कृषि विभाग	खरीफ	17	190.77
		रबी	17	261.71
2	उद्यान विभाग	खरीफ	2	10.00
		रबी	3	36.70
		जायद	3	19.50
3	राष्ट्रीय बीज निगम	खरीफ	33	195.00
		रबी	99	528.85
		जायद	20	34.40
4	उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम	खरीफ	3	12.80
		रबी	19	128.00
		जायद	1	0.80
5	मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज	रबी	1	20.00
	योग ..		218	1438.53

गोरखपुर इकाई

संलग्नक–2

वर्ष 1981–82 में पंजीकृत उत्पादकों के बीज नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट तथा सम्बन्धित विवरण––

क्रम–सं0	विभाग/उत्पादक का नाम	मौसम	कुल नमूनों की संख्या	मानकों के अनुरूप पाये जाने वाले नमूनों की संख्या	अंकुरण में मानकों से न्यून पाये जाने वाले नमूनों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि विभाग	खरीफ	54	35	19	
		रबी	51	44	7	
2	उद्यान विभाग	खरीफ	..	..	..	विधायन नहीं कराया गया ।
		रबी	2	2	..	एक प्रक्षेत्र में विधायन नहीं कराया गया।
		जायद	3	1	2	
3	राष्ट्रीय बीज निगम	खरीफ	27	26	1	3 उत्पादकों ने उत्पादन नहीं लिया । 6 उत्पादकों ने विधायन नहीं कराया । 3 उत्पादकों की फसल निरस्त हो गई ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
		रबी	105	105	..	1 उत्पादक ने उत्पादन नहीं लिया । 18 उत्पादकों ने विधायन नहीं कराया। 3 उत्पादकों की फसल निरस्त हो गई।
		जायद	3	3	..	6 उत्पादकों ने उत्पादन नहीं लिया । 9 उत्पादकों ने विधायन नहीं कराया। 2 उत्पादकों की फसल निरस्त हो गई।
4	उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम लि0	खरीफ	1	1	..	1 उत्पादक ने उत्पादन नहीं लिया। 1 उत्पादक ने विधायन नहीं कराया।
		रबी	14	14	..	5 उत्पादकों ने विधायन नहीं कराया। 5 उत्पादकों की फसल निरस्त हो गई ।
		जायद	..	..	..	फसल निरस्त हो गई ।
5	मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज	रबी	1	1	..	
		योग ..	261	232	29	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1241 पर।)

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रा० पा० की चौ

विकास क्षेत्र बनकटा

1—सोहनपुर

2—बंजरिया पान्डेय

3—इगुरी बाजार

4—पंडितपुरा

5—रामपुर बु० 0

6—पंचरुखिया

7—खोरावार

8—मुडवार

9—गाढ़ा

10—छेरिया

11—भैसही मठ

12—बौलिय पान्डेय

13—सुन्दर भटवलिया

14—सिकटिया

15—रामपुर बदौली

16—गजहडवा

17—अहिरौली बघेल

18—परसिया छितनी

19—बतरौली

20—छितौनी

21—नौनार कपरवार

22—बखारी बाजार

23—रहमपुर

24—पडरा

25—भडसर तिवार

26--टंडवा

27--खुसुरबसिया

28--रौहिनीया

29--बासोपट्टी

30--बगरुआ

31--मिसरौली

32--रामपुर कोठी

33--जगदीशपुर

34--रतसिया

35--हाटा भटवलिया

36--बंकुल

37--बनकटा चित्रसेन

38--नियरवा

39--क0 सोहनपुर

40--क0 बनजरिया पान्डेय

41--क0 गाढ़ा

42--क0 बबुसी गांव

43--क0 अहिरौली बघेल

44--सुखल

45--क0 भड़सर तिवारी

46--क0 रामपुर कोठी

47--ढोला अहिवरन बास

48--बंगरा बाजार

49--बरई पार पांडेय

50--इन्दिरा छावनी

51--पिपरा बघेल

52--छपिया बघेल

53--भूपत पुरा

54—करजनिया

55—सिरसिया पवार

56—सिरसिया बाबू

57—परगसहा

58—बलिवन खास

59—चौरंगी चक

60—क0 पिपरा बघेल

61—कड़सरवा बुजुर्ग

62—चकरबा टोला

बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राइमरी पाठशाला

भवन सहित विकास क्षेत्र बनकटा

1—सोजनपुर

2—इंगुरी बाजार

3—पंडितपुरा

4—पचरुखिया

5—खोरावर

6—मुड़वार

7—भैंसही मठ

8—बौलिया पान्डेय

9—रामपुर बदौली

10—अहरौली बघेल

11—भडसर तिवारी

12—पुरवसिया

13—दासो पट्टी

14—मिश्रौली

15—रामपुर कोठी

16—रतसिया

17—कन्या बंजरिया पांडेय

18—सुखल

19—क0 रामपुर कोठी

20--बंगरा बाजार

21--कन्या अहिरौली बघेल

22--बरईपार पांडेय

23--सिरसिया पवार

भवनहीन प्राइमरी पाठशाला

विकास क्षेत्र बनकटा

1--गाढ़ा

2--छेरिया

3--गजहड़वा

4--बतरौली

5--खखरा बाजार

6--पडरी

7--टडवा

8--हाटा भटवलिया

9--बंकुल

10--बनकटा चित्रसेन

11--नियरवा

12--क0 सोहनपुर

13--क0 बासी गांव

14--क0 भड़सर तिवारी

15--क0 टोला अहिबरन दा

16--इन्दिरा छावनी

17--पिपरा बघेल

18--छपरिया बघेल

19--करजनिया

20--सिसवा बाबू

21--कन्या पिपरा बघेल

22--चकरवा टोला

गिरे एवं क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण प्रा0 पा0 की सूची

विकास क्षेत्र, बनकटा

1--बंजरिया पाण्डेय

2- रामपुरबुजुर्ग

3--सुन्दर भटवलिया

4--सिकटिया

5--परसिया छतनी सिंह

6--छितौनी

7--नौनार कपरवार

8--रहीमपुर

9--रोहिनिया

10--बंगरुआ

11--जगदीशपुर

12--गाढ़ा (कन्या)

13--भूपति पुरा

14--प्रगसहा

15—बलुअस खास

16--क0 पिपरा बघेल

17--कडसरवा बुजुर्ग

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रा0 पा0 की सूची

विकास क्षेत्र, भाटपार रानी

1--कन्या फुलवरिया

2--कुईचपार

3--पुरैनी

4--पकड़ी उभय

5--नगउर

6--कन्या बड़का गांव

7—भाटपार रानी

8—महाउर

9—कन्या पकड़ी बाबू

10—बेलपार प0

11—मेहरौना

12—भठवा तिवारी

13—बन्या भठवा तिवारी

14—भिडा मिश्र

15—बड़का गांव

16—अहिरौली तिवारी

17—रूचापार

18—टिकमपार

19—पकड़ो बाबू

20—जसूई

21—पिपरहिया

22—भटवा पांडेय

23—खड़ेसर तिवारी

24—रघुनाथपुर

25—कोठिलवा

26—नौनाकर पांडेय

27—धरहनिया

28—जैतपुरा

29—कटघरा

30—हरपुर

31—सुकवा

32—भेड़ा पाकड़

33—गढ़ चनक

34—बांसी

35—अजौरिया

36—बेलहीमठ

37—सरिया

38—धर्मचौरा

39—केहुनिया कोठी

40—बनकटा संभू

41—क0 सिरसिया मिश्र

42—सरया (कठे)

43—खामपार

44—धनराछापार

45—करौदामठ

46—मारीपुर

47—ततायर बु0

48—बहोरवा

49—माली छपरा

50—क0 खामपार

51—भिखारी बाजार

52—छपिया

53—क0 भिगारी बाजार

54—बन्धी मोसा

55—कुकुरघाटी

56—क0 कुकुरघाटी

57—परोहा

58—निसनिया पंकौली

59—लगननाथ छापर

60—जगहटा

61—मायापुर

भवन सहित प्राइमरी पाठशाला की सूचः

विकास क्षेत्र--भाटपार रानी

1--भाटपार रानी

2--महाउर

3--बेपार पं0

4--भठवा तिवारी (व)

5--बड़कागांव

6---रूचापार

7--टीकमपार

8--पकड़ी बाबू

9--पिपरहिया

10--भठवा पाण्डेय

11--खडेसर तिवारी

12--धरहनिया

13--भेड़ा पाकड़

14--कोड़रा

15--शंकरपुरा

16--बांसी

17--बेलही मठ

18--धर्म चौर

19--केहुनिया कोठी

20--धनराज छापर

21--माली छापर

22--कुकुरघाटी

23--क0 कुकुरघाटी

भवनहीन प्राइमरी पाठशाला की सूची

विकास क्षेत्र--भाटपार रानी

1--कुईचपार

2--पुरैना

3—नगउर

4—पकड़ी बाबू (क)

5—जसुई

6—नौनार पान्डे

7—कटघरा

8—हरपुर

9—सुकुआ

10—मदन चक

11—धवरकन

12—वमकटा शंभू

13—क0 सिरसिया मि*

14—ततायर बुजुर्ग

15—क0 खामपार

16—क0 भिगारी बाजार

17—बन्दी मीसां

18—जगन्नाथ छापर

19—बड़का गांव दुबे

20—मेहरौना

21—भिनुआ मिश्र

22—जगहथा

23—मायापुर

गिरे या जीर्ण-शीर्ण प्राइमरी विद्यालय की सूची

विकास क्षेत्र—भाटपार रानी

1—क0 फुलवरिया

2—पकड़ी उगन

3—भटवा तिवारी

4—अहिरौली तिवारी

5—रघुनाथ पुर

6—जैतपुरा

7—अजोरिया

8—सरया

9—क0 सरया

10—खामपार

11—करौदा मठ

12—माणिकपुर

13—बहोरवा

14—भिगारी बाजार

15—छपिया

16—परोहा

17—निशनिया पंकौली

18—कोठलवा

बेसिक शिक्षा प0 द्वारा संचालित, प्रा0 पा0 की सूची

विकास क्षेत्र भटनी—

1—मिथौली कोइलार

2—देवघाट

3—बरसाथ

4—बीरसिंहपुर

5—साहोपार

6—बेलवाबासू

7—देतुआ

8—पुरना छापर

9—पिपरा देवराज

10—हतवा बाजार

11—रुपई

12—मगराइच

13—पिपरा शुकुल

14—बरडीहा

15—खजुरी कनौता

16—अघैला

17—परसिया ठाकुर

18—सिसई

19—धनौती

20—नूनखार

21—दनउर

22—उसका

23—सिगहीडीह

24—संबरेजी

25—लोनापार

26—मरहेचौरा (क)

27—खोरावारी

28—सल्हपुर

29—डेचरा

30—बलुआ अफगान

31—महुराव

32—फतेहपुर

33—पिपरा बिठ्ठल

34—पिपरा दीक्षित

35—मिश्रौली दीक्षित

36—बनकटा शिव

37—कुरमौठाघुरी

38—क0 हतवा बाजार

39—पडौली

40—अभवा पाण्डेय

41—अहिरौली

42—कुरमौटाघाट

43—रामपुर भटनी

44—साहोपार (क)

45—जिगिना मिश्र

46--अभवा पाण्डेय (क)

47--भरहे चौरा

48--वेहरा डावर (क)

49--उसका (क)

50--खोरीवारी (क)

51--सल्हपुर

52--बैद मिश्रौली

53--बांस घाटी

54--गोपालपुर

55--रानीघाट

56--मोतीपुर

57--खुटहा

58--खोराट

59--धर्मखोर दुबे

60--घाटी

61--रायबारी

62--अलावालपुर

63--सोहपुर

64--डेमुसारे

65--मायापुर

66--घाटी (क)

67--मायापुर (क)

68--लक्ष्मीपुर

बेसिक शिक्षा प0 प्राइमरी पाठशाला भवन सहित

विकास क्षेत्र--भटनी

1--प्रा0 पा0, बीरसिंहपुर

2--प्रा0 पा0, साहोपुर

3--प्रा0 पा0, बेलवा बाबू

4--प्रा0 पा0, पिपरा देवराज

5—प्रा० पा०, बरडीहा

6—प्रा० पा०, हतवा बाजार

7—प्रा० पा०, अंधला

8—प्रा० पा०, परसिया ठाकुर

9—प्रा० पा०, घनौती

10—प्रा० पा०, उसका

11—प्रा० पा०, खौरीबारी

12—प्रा० पा०, सलहपुर

13—प्रा० पा०, बलुआ अफगान

14—प्रा० पा०, महुरावा

15—प्रा० पा०, पिपरा दीक्षित

16—प्रा० पा०, मिश्रौली दीक्षित

17—प्रा० पा०, बनकटा शिव

18—प्रा० पा०, कुरभौटापुरी

19—प्रा० पा०, पडौली

20—प्रा० पा०, अभवा पान्डेय

21—प्रा० पा०, कुरमौटाघाट

22—प्रा० पा०, क० हतवा बाजार

23—प्रा० पा०, जिगिना मिश्र

24—प्रा० पा०, भरहेचौरा

25—प्रा० पा०, बंहराडावर

26—प्रा० पा०, वैद मिश्रौली

27—प्रा० पा०, गोपालपुर

28—प्रा० पा०, खैराट

29—प्रा० पा०, डेमुसा

भवनहीन बेसिक शिक्षा प० प्राइमरी पाठशाला

विकास क्षेत्र—भटनी

1—प्रा० पा०, मिश्रौली कोइलार

2—प्रा० पा०, देवघाट

3—प्रा० पा०, बरसाथ

4—प्रा० पा०, मंगराइच

5—प्रा० पा०, रुपई

6—प्रा० पा०, सिसहीडीह

7—प्रा० पा०, देघरा

8—प्रा० पा०, फतेहपुर

9—प्रा० पा०, रामपुर भटनी

10—प्रा० पा०, अभ वा पान्डेय (क)

11—प्रा० पा०, उसका (क)

12—प्रा० पा०, खोरीबारी (क)

13—प्रा० पा०, सल्हापुर (क)

14—प्रा० पा०, खुटहा

15—प्रा० पा०, धर्मखोर दुबे

16—प्रा० पा०, रायवारी

17—प्रा० पा०, घाटी (क)

18—प्रा० पा०, मायापुर (क)

19—प्रा० पा०, लक्ष्मीपुर

20—प्रा० पा०, लोनादार

21—प्रा० पा०, साहोपार

गिरे या क्षतिग्रस्त प्रा० पा०,

विकास क्षेत्र—भटनी

1—प्रा० पा०, तेन्दुआ

2—प्रा० पा०, पुरन छापर

3—प्रा० पा०, पिपरा शुक्ल

4—प्रा० पा०, खजरी करौता

5—प्रा० पा०, सिसई

6—प्रा० पा०, नूनखार

7—प्रा० पा०, बनउर

8—प्रा० पा०, सबरेजी

9—प्रा० पा०, हरहे चौरा (क)

10—प्रा० पा०, पिपरा बिठ्ठल

11—प्रा० पा०, अहिरौली

12—प्रा० पा०, बौसघाटी

13—प्रा० पा०, रानीघाट

14—प्रा० पा०, मोतीपुर मुआल

15—प्रा० पा०, घाटी

16—प्रा० पा०, अलवापुर

17—प्रा० पा०, सोहपुर

18—प्रा० पा०, मायापुर

सत्यमेव जयते

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 111 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1255 पर।)

वर्ष 1981-82

विकास खंड का नाम	गांवों के नाम जहां कूप निर्मित किये गये	निर्मित किये गये कुंओं की संख्या	निर्माणाधीन कुंओं की संख्या	निर्माण का प्रतिशत	प्रत्येक कुएं पर हुए व्यय का विवरण
					(रु0 में)
1--राजगढ़	1--पुरैनियां (लाहौरा)	1	..	100 प्रतिशत	7,000·00
	2--धनसिरिया	1	..	,,	9,000·00
2--नारायनपुर	3--धासोपुर	1	..	,,	6,578·25
	4--नौगरहा	1	..	,,	8,051·40
3--जमालपुर	5--पिडखिड़	1	..	,,	8,000·00
	6--विशेसरपुर	1	..	,,	5,000·00
4--सीखड़	7--लालपुर	1	..	,,	8,000·00
	8--शिल्पी	1	..	,,	7,500·00
5--धोरावल	9--मुडिहाडीह	..	1	90 प्रतिशत	6,480·00
	10--जुडवरिया	..	1	90 प्रतिशत	6,480·00
	11--महांव	..	1	90 प्रतिशत	4,480·00
	योग ..	8	3		76,569·65

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1—राजगढ़	1—विशुनपुर	..	1	25 प्रतिशत	प्रत्येक कुएं के निर्माण के लिए 9,000 रु० की धनराशि आवंटित है। निर्माण कार्य पूरे होने पर वास्तविक व्यय का विवरण प्राप्त हो सकेगा।
	2—गोरथरा	..	1	,,	
	3—करौदा	..	1	,,	
2—धोरावल	4—नरकवाह	..	1	,,	2,000·00
3—नरायनपुर	5—नेठी	..	1	,,	1,000·00
	6—कैलहट	..	1	,,	1,000·00
4—जमालपुर	7—देवरा	1	..	100 प्रतिशत	8,700·00
	8—धरवाह	1	..	,,	8,000·00
	9—बिसौरा खुर्द	..	1	25 प्रतिशत	1,000·00
5—सीखड़	10—सोनबरसा	..	1	90 प्रतिशत	8,000·00
	11—बसन्तपुर	1	..	100 प्रतिशत	9,000·00
	योग ..	3	8		38,700·00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1263 पर ।)

गाजीपुर जनपद के जिन हाई स्कूल/इण्टर कालेजों में हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट स्तर पर कृषि विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है उनके नाम एवं छात्र संख्या का विवरण :

क्रमांक	विद्यालय का नाम	कृषि विज्ञान की छात्र संख्या						स्कूल की छात्र संख्या	
		कक्षा 9	कक्षा 10	योग	कक्षा 11	कक्षा 12	योग	महायोग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पचोतर नेशनल इन्टर कालेज, मरवह, गाजीपुर	253	178	431	158	102	260	691	1428
2	महाबीर इन्टर कालेज, मालकपुरा, गाजीपुर	185	168	353	126	79	205	558	1539
3	महन्थ रामबरन दास इन्टर कालेज, भुड़कुडा, गाजीपुर	119	168	287	74	38	112	399	929
4	बापू इन्टर कालेज, सादात, गाजीपुर	100	150	250	430	189	619	869	1655
	एस0 के0 वी0 एम0 इन्टर कालेज, किसारनगर, गाजीपुर	46	26	72	66	60	126	198	1129
	(1) श्री शिव कुमार शास्त्री इन्टर कालेज, जखोपुर, गाजीपुर	319	166	485	..	..	..	485	1362

7	(2) जनता आदर्श इण्टर कालेज, मुबारकपुर-गंगौली, गाजीपुर	162	161	323	..	..	..	323	778
8	(3) गांधी मेमोरियल इन्टर कालेज, बहादुरगंज, गाजीपुर	81	83	164	..	..	..	164	915
9	(4) हनुमान सिंह इन्टर कालेज, देवकली, गाजीपुर	124	73	197	..	..	..	197	866
10	(5) टाउन नेशनल इन्टर कालेज, सैदपुर, गाजीपुर	77	100	177	..	..	..	177	1202
11	(6) श्री केदार नारायण कृषक इन्टर कालेज, उचौरी, गाजीपुर	181	164	345	..	..	..	345	896
12	(7) श्री महन्थ शिवदास उदासीन इन्टर कालेज, सादात, गाजीपुर	51	80	131	..	..	..	131	1040
13	(8) आदर्श इन्टर कालेज, सियावां, भितरी, गाजीपुर	85	58	143	..	..	..	143	1011
14	(9) हिन्दू इन्टर कालेज, जमानियां, गाजीपुर	28	23	51	..	..	..	51	1662
15	(10) श्री शिवपूजन इन्टर कालेज, मलसा, गाजीपुर	36	53	89	..	..	..	89	982
16	(11) सुभाष विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहरियाबाद, गाजीपुर	75	154	229	..	..	..	229	260
	योग ..	1922	1805	3727	854	468	1322	5049	17654

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ब"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 136 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1263 पर।)

"संलग्नक"

गाजीपुर जनपद के (क) इन्टर कालेजों की संख्या 62

(ख) हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या 35

योग .. 97

प्रत्येक इण्टरमीडिएट कालेज एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल का नाम एवं उनकी छात्र संख्या :

क्रमांक	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या
1	2	3
	इण्टर कालेज	
1	राजकीय सिटी इण्टर कालेज, गाजीपुर	1476
2	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गाजीपुर	902
3	आदर्श इण्टर कालेज, गाजीपुर	1028
4	एम0 ए0 एच0 इण्टर कालेज, गाजीपुर	1007
5	डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, गाजीपुर	470
6	इन्टर कालेज, खालिसपुर, गाजीपुर	784
7	श्री शिव कुमार शास्त्री इण्टर कालेज, जंगीपुर, गाजीपुर	1362
8	इण्टरमीडिएट कालेज, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर	1385
9	एस0 एम0 नेशनल इन्टर कालेज, मछटी, गाजीपुर	679
10	सर्वोदय इण्टर कालेज, खारडीहा, गाजीपुर	723
11	जगनारायण इण्टर कालेज, बीरपुर, गाजीपुर	1134
12	हार्टमन इण्टर कालेज, हार्टमनपुर, गाजीपुर	614
13	जनता जनार्दन इण्टर कालेज, गांधीनगर, गाजीपुर	1702
14	मारखण्डेय महादेव राष्ट्रीय इण्टर कालेज, भेर करीमउद्दीनपुर, गाजीपुर	594

1	2	3
15	किसान इण्टर कालेज, जवाहरनगर, गाजीपुर	481
16	डा0 एम0 ए0 अन्सारी इण्टर कालेज, यूसुफपुर, गाजीपुर	901
17	नृसिंह इण्टर कालेज, मोहनपुरा, गाजीपुर	1263
18	श्री गांधी इण्टर कालेज, ढोटारी, दहेन्द्र, गाजीपुर	591
19	जनता आदर्श इण्टर कालेज, मुबारकपुर, गंगोली,गाजीपुर	778
20	नेशनल इण्टर कालेज, कासिमाबाद, गाजीपुर	1018
21	गांधी मेमोरियल इण्टर कालेज, बहादुरगंज, गाजीपुर	915
22	पचोतर नेशनल इण्टर कालेज, मरदह, गाजीपुर	1428
23	महाबीर इण्टर कालेज, मलिकपुरा, गाजीपुर	1538
24	महन्थ राम बरन दास इण्टर कालेज, भुड़कुड़ा, गाजीपुर	929
25	सुभाष इण्टर कालेज, फतेहउल्लाहपुर, गाजीपुर	743
26	हनुमान सिंह इण्टर कालेज, देवकली, गाजीपुर	866
27	शहीद स्मारक इण्टर कालेज, नन्दगंज, गाजीपुर	883
28	मोती लाल नेहरू इण्टर कालेज, बासुपुर, गाजीपुर	402
29	टाउन नेशनल इण्टर कालेज, संदपुर, गाजीपुर	1202
30	जनता इण्टर कालेज, बभनौली, रामपुर, गाजीपुर	791
31	श्री किरतू राय इण्टर कालेज, अठगांवां, सैना, गाजीपुर	602
32	केदार नारायण कृषक इण्टर कालेज, उचौरी, गाजीपुर	896
33	गोविन्द इण्टर कालेज, सादात, गाजीपुर	619
34	बापू इण्टर कालेज, सादात, गाजीपुर	1855
35	महन्थ शिवदास उदासी इण्टर कालेज, सादात, गाजीपुर	1040
36	बेनी सिंह इण्टर कालेज, लच्छीपुर दौलतपुर, गाजीपुर	612
37	आदर्श इण्टर कालेज, सियावां, भितरी, गाजीपुर	1011
38	डा0 सैयद महमूद इण्टर कालेज, भितरी, गाजीपुर	673
39	इण्टरमीडिएट कालेज, करन्डा, गाजीपुर	1202
40	इण्टर कालेज, रामपुरमाझा, गाजीपुर	865
41	हिन्दू इण्टर कालेज, जमानियां, गाजीपुर	1662
42	आदित्य इण्टर कालेज, दाउदपुर, गाजीपुर	563

1	2	3
43	श्री शिवपूजन इन्टर कालेज, मलसा, गाजीपुर	982
44	जनता इन्टर कालेज, जीवपुर, गाजीपुर	449
45	इन्टरमीडिएट कालेज, बेटावर, गाजीपुर	1219
46	राधाकृष्ण गुप्त आदर्श इन्टर कालेज, दिलदारनगर, गाजीपुर	1697
47	राजकीय बालिका इन्टर कालेज, दिलदारनगर, गाजीपुर	570
48	एस0 के0 बी0 एम0 इन्टर कालेज, दिलदारनगर, गाजीपुर	1129
49	गहमर इन्टर कालेज, गहमर, गाजीपुर	1417
50	नवली इन्टर कालेज, नवली, गाजीपुर	1172
51	इन्टर कालेज, बारा, गाजीपुर	654
52	नेहरू विद्यापीठ इन्टर कालेज, रेवतीपुर, गाजीपुर	790
53	श्री कृष्णा इन्टर कालेज, डेढगावां, गाजीपुर	603
54	सुहवल इन्टर कालेज, सुहवल, गाजीपुर	546
55	आदर्श इन्टर कालेज, गुडउर, गाजीपुर	730
56	जगजीवन राम इन्टर कालेज, असांव, नगसर, गाजीपुर	734
57	आचार्य नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, साधापुर, महडौर, गाजीपुर	558
58	शहीद संस्मरण इन्टर कालेज, शेरपुर, गाजीपुर	448
59	राजकीय बालिका इन्टर कालेज, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर	425
60	राजकीय बालिका इन्टर कालेज, जमानियां, गाजीपुर	458
61	इन्दिरा गांधी बालिका इन्टर कालेज, मलिकपुरा, गाजीपुर	316
62	इन्टरमीडिएट कालेज, ताड़ीघाट, गाजीपुर	308
	हायर सेकेन्डरी स्कूल	
63 (1)	लूर्द कान्वेन्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर	337
64 (2)	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सैदपुर, गाजीपुर	217
65 (3)	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नारीपंचदेवरा, गाजीपुर	277
66 (4)	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सादात, गाजीपुर	86
67 (5)	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गहमर, गाजीपुर	385
68 (6)	उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, बालापुर, गाजीपुर	393

1	2	3
69 (7)	आदर्श हिन्दी उच्चत्तर माध्यमिक, विद्यालय, परसा, गाजीपुर	275
70 (8)	शहीद उदय नारायण स्मारक उ0 मा0 वि0, भाला, नोनहरा, गाजीपुर	205
71 (9)	जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सादियाबाद, गाजीपुर	641
72 (10)	सुभाष विद्या मन्दिर उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, बहरिया-बाद, गाजीपुर	260
73 (11)	जसवन्त राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोरखा, गौरी, गाजीपुर	493
74 (12)	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दपुर, गाजीपुर	483
75 (13)	जनता योगेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फूली, गाजीपुर	402
76 (14)	श्री बापू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पचोखर, गाजीपुर	203
77 (15)	बैजल बघेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मिर्जापुर, गाजीपुर	348
78 (16)	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाला, पलिवार, गाजीपुर	273
79 (17)	महा मण्डलेश्वर श्री बालकृष्ण यती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बृन्दाबन, गाजीपुर	248
80 (18)	सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हुरमुजपुर, गाजीपुर	300
81 (19)	जय सतगुरुदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुल्लहपुर, गाजीपुर	480
82 (20)	श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोजापुर, गाजीपुर	387
83 (21)	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लहुरापुर, भोजापुर, गाजीपुर	365
84 (22)	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिधउल, कासिमाबाद, गाजीपुर	288
85 (23)	श्री बिसेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बासुदेवपुर, गाजीपुर	185
86 (24)	लोक भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिलिया, तलवल, गाजीपुर	395
87 (25)	शहीद चन्द्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सलेम-पुर, बघाई, गाजीपुर	220
88 (26)	अमर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमरूपुर, गाजीपुर	327
89 (27)	श्रीकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जमानियां, गाजीपुर	[illegible] 8

1	2	3
90	(28) कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ईशोपुर, रामपुर, गाजीपुर	667
91	(29) आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जोगामुसाहिब, गाजीपुर	271
92	(30) अजीमियां इस्लामिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर	211
93	(31) आदर्श सेवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नोनहरा, गाजीपुर	658
94	(32) महन्थ रामबरनदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तिरछी, गाजीपुर	648
95	(33) जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नौरंगपुर, रानीपुर, गाजीपुर	215
96	(34) जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महीचा, देवचन्दपुर, गाजीपुर	225
97	(35) इन्दिरा गांधी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नन्दगंज, गाजीपुर	183

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—44 वि0 सभा—6-5-83—813(पी0 डी0)।